महानगर नई दिल्ली बुधवार 28 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

आरबीआइ कोष के उपयोग पर अभी निर्णय नहीं : निर्मला

आरोप लगाने से पहले राहुल को अपनी पार्टी के वित्त मंत्रियों से बात करनी चाहिए

पुणे, 27 अगस्त (भाषा)।

रिजर्व बैंक के सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए अंतरित करने के निर्णय के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यहां कहा कि सरकार ने आरबीआइ से मिले कोष के उपयोग के बारे में निर्णय नहीं किया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बजट में अधिशेष के रूप में आरबीआइ से 90,000 करोड़ रुपए लेने की बात कही गई है। इस धन का उपयोग सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को गति देने में किया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'आरबीआइ का आरक्षित धन चुराने' के कांग्रेस के आरोप पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि वह ऐसे आरोपों की परवाह नहीं करतीं और विपक्षी नेता को ऐसे आरोप लगाने से पहले पूर्व में वित्त मंत्री रहे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआइ बाकी पेज 8 पर

आनंद शर्मा

आरबीआइ से जुड़ा निर्णय इस बात का प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है।

आर्थिक हालात पर श्वेतपत्र लाए सरकार : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

कांग्रेस ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को आर्थिक आपातकाल और दिवालिएपन की तरफ धकेलने का आरोप लगाया और मांग की कि सरकार एक सप्ताह के भीतर अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेतपत्र लाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) बाकी पेज 8 पर

सफलता मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्व चैंपियन पीवी सिंधू। *खबर पेज 14 पर*

जम्मू-कश्मीर में हालात पहले से बेहतर, स्कूल खुले

श्रीनगर, 27 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि जिन इलाकों में पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। वहीं कश्मीर घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की सूचना व जन संपर्क निदेशक सेहरीश असगर ने संवाददाताओं से कहा कि और अधिक इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन को बहाल करने के लिए घाटी में और भी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। असगर ने कहा, 'जहां-जहां पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें खोली जा सकती हैं।' दरअसल, उनसे पूछा गया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कब खुलेंगे। उन्होंने कहा कि घाटी में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं और पिछले कुछ दिनों में उनमें छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि घाटी में उन इलाकों में उच्च विद्यालय बुधवार से खुलेंगे, जहां पाबंदियां हटा दी गई हैं।

स्कूलों की स्थिति के बारे में शिक्षा निदेशक, कश्मीर युनिस मलिक ने संवाददाताओं को बताया कि घाटी में 3037 प्राथमिक विद्यालय और 774 बाकी पेज 8 पर

जम्मू कश्मीर की सूचना व जन संपर्क निदेशक सेहरीश असगर ने कहा कि घाटी में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं और पिछले कुछ दिनों में उनमें छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है।

घाटी में अधिकतर इलाकों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं लेकिन कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी वहां तैनात हैं।

'चीन विवादित क्षेत्र में 100 बार घुसा तो हम 200 बार घुसे हैं'

कोलकाता, 27 अगस्त (भाषा)।

सेना के उप-प्रमुख मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल एम. एम. नरवाने ने मंगलवार को कहा कि अगर चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर विवादित क्षेत्र में 100 बार अतिक्रमण किया है तो भारतीय सेना ने 200 बार ऐसा किया है। उन्होंने दावा किया कि चीन ने डोकलाम गतिरोध के समय 'क्षेत्रीय बाकी पेज 8 पर

ईडी मामला : चिदंबरम को मिली गिरफ्तारी से आज तक की मोहलत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि बुधवार तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के बाकी पेज 8 पर

जोगी के 'कंवर आदिवासी' होने का प्रमाणपत्र खारिज

रायपुर, 27 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है। इधर, जोगी ने इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बाकी पेज 8 पर

कुछ ट्रेनों में यात्रा 25 फीसद तक सस्ती होगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

शताब्दी, तेजस, डबल डेकर व गतिमान जैसी प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों को टिकट पर 25 फीसद तक छूट मिलेगी। मंगलवार को रेल मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी। इस फैसले से रेल टिकटों की बिक्री बढ़ाई जा सकेगी और यात्रियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेलवे को इस समय सड़क व हवाई परिवहन से टक्कर मिल रही है।

मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह रियायत वातानुकूलित कुर्सीयान, एग्जीक्यूटिव कुर्सी यान सीटों के आधार पर किराए में दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक, 'जिन ट्रेनों में पिछले साल मासिक 50 फीसद से कम टिकट बिकीं, यह योजना उन सभी ट्रेनों के लिए लागू की जा बाकी पेज 8 पर

MARUTI SUZUKI ARENA

FREEDOM OFFER

परफॉरमेंस भी, सेफ्टी भी.

इस स्वतंत्रता दिवस, आगे बढ़े अपनी पसंदीदा फैक्ट्री-फिटेड S-CNG गाड़ी के साथ.

31 अगस्त तक खरीदने पर पाएं अतिरिक्त ₹15,000* तक का फ्रीडम ऑफर.

8.99%^ के खास इंटरेस्ट पर

S-CNG

बेहतरीन परफॉरमेंस
बेजोड़ सेफ्टी
सम्पूर्ण सहूलियत

ALTO ₹ 50,000* तक की बचत + Freedom Offer ₹ 5,000*

ALTO K10 ₹ 47,500* तक की बचत + Freedom Offer ₹ 5,000*

CELERIO ₹ 37,500* तक की बचत + Freedom Offer ₹ 15,000*

ALTO ALTO K10 CELERIO

E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership. | For bulk orders, mail at: anindya.sarkar@maruti.co.in (NCR); abhinav.verma2@maruti.co.in (Delhi)

NORTH DELHI: Saya (Azadpur) 47088888; DD Motors (Narela) 9873563171; T.R. Sawhney (Saraswati Vihar) 9582263509; D.D. Motors (Peeragarhi) 25963535; T.R. Sawhney (Badli) 9999324333; Rana Motors (Prashant Vihar) 9711507777; D.D. Motors (Wazirpur) 27153999; Krish (Pitampura) 9999159577; Rana Motors (Tis Hazari) 9873477744; Krish (GT Karnal Road) 9999149577; Fairdeal (Budh Vihar) 7290009371; Rana Motors (Safdarjung) 26712222

SOUTH DELHI: Rohan (Mathura Road) 9560036262; T.R. Sawhney (Amar Colony) 9999563333; Competent (Lajpat Nagar) 8377007979; AAA Vehicleades (Malviya Nagar) 9971500011; Prem Motors (Mahipalpur) 8745887458; Rohan (Chhatarpur Metro Station) 011-66764444; D.D. Motors (Okhla Ph-1) 40523000; Bagga Link (Kotla) 8826892666; AAA Vehicleades (Mundka) 9650445555; Competent (Dwarka) 9582797879; Magic Auto (Palam Dabri Road) 47777777; TR Sawhney (Naraina) 9999137164; Competent (Shivaji Marg) 9582797748; Rana Motors (Janakpuri) 011-47911111; D.D. Motors (Mayapuri) 41845000

CENTRAL DELHI: Magic Auto (Karol Bagh) 9650699556; Competent (C.P) 9582797749; T.R. Sawhney (I.P Station) 9999399157

WEST DELHI: Magic Auto (Sec-20, Dwarka) 9560677777; T.R. Sawhney (Rajouri Garden) 9873781333; Competent (Najafgarh) 9582797763; Magic Auto (Dwarka Sec-13) 9818444481

EAST DELHI: Fairdeal (Bhajanpura) 7290009372; Fair Deal Cars (Shahdara) 9910894050; Competent (Gazipur) 8377007977

NOIDA: Bagga Link (Patparganj) 9818199370; T.R. Sawhney (Gokulpuri) 9999399150; Magic Auto (Preet Vihar) 011-49077777; Vipul (Sec-63) 0120-4824000; Fairdeal Cars (Sec-10) 9999700944; Rohan (Sec-1) 9873501288; Vipul (Sec-18) 8800091555

GREATER NOIDA: Rohan (Udyog Vihar) 9971910523

GURGAON: Competent (Sec-12) 9582797711; Prem Motors (32nd Milestone) 8750487504; Rohan (Sec-54) 4845400; Prem Motors (JMD Sikanderpur) 8750987509; Vipul (UdyogVihar) 4395700; Pasco (Sec-18) 4012000; Competent (Islampur Sohna Road) 9582797739; Rana Motors (SCO Plot No-322 Sec-29) 4260000; Pasco (Silverton Sec-50) 7835003300

FARIDABAD: Vipul (Mathura Road) 9999994707; TCS Autoworld (Neelam Chowk) 0129-4252525; Auto Nation (Mathura Road) 9899596002; Vipul (Ballabgarh) 9717073300; Rohan (Palwal) 01275-304100; Fairdeal Cars (Piyali Chowk) 9582139824

MANESAR: Platinum Motocorp (IMT Chowk) 9953345312; Platinum Motocorp (Farrukhnagar) 9205192634; Platinum Motocorp (Pataudi) 9953345311; Platinum Motocorp (Narnaul) 9053088437

GHAZIABAD: Rohan (Mukund Nagar) 9650100045; Motorcraft (Sahibabad) 9650972222; T.R. Sawhney (Mohan Nagar) 9582263544; Regent Auto (Meerut Road) 7065191234; Rohan (Hapur) 0122-2313204; Motorcraft (Modi Nagar) 8057692222

SOHNA: Pasco (Alipur) 8683000956

REWARI: Auto Vibes (Kosli) 01259-275300; Auto Vibes (Bawal) 7082100280; Auto Vibes 7082010000

BULANDSHAHAR: Rohan (Delhi Road) 05732-281900

*Terms & conditions apply. Terms & conditions are subject to change without any prior notice. All offers are brought you by Maruti Suzuki dealers only. ^Rate of Interest Scheme of 8.99% is from Sundaram, Cholamandalam, Kotak Mahindra & Mahindra Finance. Loan at the sole discretion of the financier. Total savings include cash discount (on selected models & variants), exchange bonus (on selected models & variants), ISL offer (for select Govt. & Corporate employees on select models & variants) and additional offer on AIS 145 Regulation Non-Compliant vehicles (applicable on select models & variants) as per applicability. Savings shown above are applicable on Alto (CNG), Alto K10 (CNG) and Celerio (CNG). Accessories/Color/Features shown may not be part of standard equipment and are for indicative purpose only. Black gloss on vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purposes only. All offers valid till stock last. All offers are applicable on invoicing till 31st August 2019.

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general notice that I, Astha Madhotra, D/o Sh. Ranjan Madhotra, resident of D-111 Street Number-5, Laxmi Nagar, Delhi-110092 inform that name of mine has been wrongly written as Aastha Madhotra in my passport. The actual name of mine is Astha Madhotra respectively which may be amended accordingly. 0040509579-1

I,Mohan Lal Batra S/O Bhajan Dass Batra R/O 246, Sainik Vihar,Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name to Mohan Batra. 0040509568-8

I, hitherto known as Puran Singh S/o Sh.Jagdish Singh, Village-Chitauli,Post-Ubarpur, Teh & Distt.-Hapur,U.P.-245101,have changed my name to 'Ajay Singhaniya' for all future purposes. 0040509581-1

I, Zalal Uddin S/o Abdul Latif R/o,5020 Gali Baghichi Wali Kucha Rehman Chandni Chowk Delhi -110006, have changed my name to Jalaluddin, Permanently. 0070671883-1

I, Vipin Walia S/o Harmesh Chand R/o A-9, Sector-27, Noida (U.P.) have changed my name from Vipan Walia to Vipin Walia for all future purposes. 0040509603-2

I, Vikas Yadav S/o Vijay Vir Singh R/o A-304, Nanda Devi Apartment, Plot No-19, Sector-10, Dwarka Delhi-110075, have changed my minor Son name from Vansh Singh alias Vansh Yadav aged 13 Years to Vansh Yadav forever 0070671878-1

I, Vijay Kumar Suman S/o-Kedar Sah R/o-H.No.1010, G.F., GaliNo.32, Kh.No.66, Jafrabad Delhi-110053,have changed my name to Vijay Sah,for all purposes. 0040509665-2

I, Vijay Kumar Kinger S/o Bhagwan Dass R/o-E2/247, Shastri-Nagar, Delhi-110052,have changed my name to Vijay Kumar for all future purposes. 0040509592-3

I, Vijay Chauhan S/o Daya Nidhan Mahto R/o RZ-112/344, Street-1C, Shivpuri, West Sagarpur, New Delhi-46, have changed my name from Vijay to Vijay Chauhan for all purpose in future. 0040509631-1

I, Ved Parkash S/o Late Ram Niranjan R/o-G-25, Adhyapak Nagar, Nangloi, N.Delhi-110041 have changed my name to Sahdev permanently. 0040509639-7

I, Sweta Chack D/o Munna Lal R/o-Flat-16, Rainbow-Appartments, Pocket-6, Sector-12, Dwarka, New Delhi have changed my name to Shweta Chack. 0040509606-7

I, Sunil Kumar S/o Shri Jogender Kumar Sahni doing self employed and R/o GH14/28, Paschim Vihar, New Delhi 110087, I shall hereafter be known as Sunil Kumar Sahni for all future purpose, intimates that my correct DOB is 06.10.1978 instead of 06.10.1977. 0040509594-1

I,Himanshu Dhankar,S/o-Virender Singh,R/o-C-14,Vijay-Vihar,Ph-2,Rohini,N.Delhi-110085,confirm that in my educational documents my father name wrongly mentioned as Virendra Singh instead of Virender Singh. 0040509568-7

I, Sunder Vathi Devi, spouse of Balwant Singh Dahiya (S.No. 282807) resident of RZ 5, X 1 Block, New Roshanpura, Najafgarh, New Delhi-110043, have changed my Name from Sunder Vathi Devi to Sunder Wati for all future purposes (vide Affidavit dated 17/08/2019 at New Delhi.) 0040509549-1

I, Sunaina Sethi., H.No-5802, Street No-12, Balbir-Nagar, Shahdara, Delhi-110032.,have changed my minor Daughter's name from Vanisha Gill to Vanisha Sethi,for all future Purposes 0040509592-2

I, Soni W/O, Chandrajeet Kumar R/o H. No.-130, Gali No-3, Surya Vihar Part-2, Sehatpur, Amarnagar, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name to Smita Sinha for all purposes. 0040509630-1

I, Sneha Yadav D/O Praveen Yadav R/O 174, Punjabibagh Apartments, Rohtak Road, New Delhi-110063. Changed My Name To Sneha Rao. 0040509639-5

I, Siddhartha Tomar S/o Narender Singh Tomar R/o QTR No.118, Type-2, Police Colony, Shakar Pur, Delhi-110092 have changed my name to Siddharth Tomar for all future purposes. 0040509580-1

I Sanjeev Kumar Taneja S/O Brij Lal Taneja R/O-F-1-U-35, Pitampura Delhi-110034., Have Changed My Name To Sanjiv Kumar Taneja. 0040509606-9

I Maninder Kaur Sardarni Chhatwal W/o Inderjeet Singh R/o-S-1/91 Plot No-78 First-Floor Old Mahavir-Nagar Tilak-Nagar Delhi-110018. have changed my name to Maninder Kaur. 0040509654-6

व्यक्तिगत

I, Shyam Lal S/o, Kishan Lal Sharma R/o-H.No.G-52, Adhyapak Nagar,Nangloi, N.Delhi-110041 have changed my name to Shyam Lal Sharma permanently. 0040509616-4

I, Shubham S/O Pradeep Burman R/O Rz-58 J/8, Tughlakabad Extn, Delhi-110019. Changed My Name To Shubham Burman. 0040509639-6

I, Shisir Kumar Banerjee S/o Sh. Sailesh Chandra Barari R/o I-1759, Ground Floor, Chittaranjan Park, Delhi-110019, inform that Shisir Kumar Banerjee and Shishir Kumar Banerjee is one and the same person, that is myself. 0040509623-1

I, Shilpi Agarwal D/o Surinder Narain Puri R/o-C-39/A3, 2nd-Floor, Ardee City, Gurgaon-123003, have changed my name to Shilpi Puri, permanently. 0040509654-2

I, Sharma Gaurav Taradutt S/o Tara Datt Sharma R/o-215 Rampura Patwari Lekh, Kashipur,Udham Singh Nagar,Uttarakhand,have Changed my Name to Gaurav Sharma for all Purposes. 0040509568-2

I, Sesw Mohd Ismail Ghani Sadayan Ebrams, R/o C4/202, 2nd Floor, Bharat City Phase 1, Indraprastha Yojna, Near Tilla Mor, Ghaziabad, Uttar Pradesh, have changed my name to Sadayan Ebramsah Ismail Ghani for all purposes. 0070671837-1

I, Seema W/o Rajeev Bindra R/o U-1/21, Budh Vihar, Phase-1, Delhi-110086 have changed my name to Seema Bindra. 0040509639-8

I, Saurabh S/o Ashok Kumar Srivastava R/o.B-603, Mod Apartments,Plot.No.61, Vasundhara Enclave, Delhi-110096,have changed my name to Saurabh Kumar Permanently. 0040509568-3

I, Sanchita Dubey D/o Shri J.P Dubey R/o F-73, Sector-20, Noida, Uttar Pradesh-201301, have changed my name to Sanchita Pandey for all future purposes. 0040509555-1

I, S.T. Daniel Haokip, S/o Letkhohao Haokip R/o-D-5 N.I.H.F.W Campus-Munirka New Delhi-110067. have changed my name to Daniel Tilminlun Haokip.,for all purposes. 0040509654-4

I, Rohini Rahate mother of minor daughter, Navvya Rahate R/o-10/201, Orange-County, AhinsaKhand, Part-1, Indirapuram, Ghaziabad inform that my name is wrongly-written as Rohini S. Rahate in her birth-certificate. My actual name is Rohini Rahate. 0040509606-2

I, Ritu w/o Tarun Sharma R/o TC-9/6, New Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Ritu Sharma. 0040509596-1

I, Ravinder Dutt Joshi S/o Vagambar Dutt Joshi R/o E269A, Sector-22, Noida have changed my name to Ravindra Joshi S/o Bagamber Dutt Joshi for all future purposes. 0040509603-1

I, Ranpal Rajput S/o Amar Singh R/o-775-B, Pocket-2, Paschimpuri, N.Delhi-110063 that my minor son's name has been wrongly-written as Arush Rajput aged-16 years in his 10th-Class certificate. But his correct name is Aarush Rajput. 0040509616-5

I, Ramvati W/o No.13807984 Ex. Sep. Narain Singh R/o-Vill.Bajitpur, Nangal-Thakran, Delhi. have changed my to Ramrati., for all future Purposes. 0040509592-4

I, Rakesh Kumar Garg S/o-Bishan Lal Garg R/o-1064/3 St.No.7, Bholanath Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Rakesh Garg.,for all purposes. 0040509592-10

I, Rajesh Kumar S/O Ram Sewak R/O-G-132, Shubh-Enclave, Parwana-Road, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Rajesh Kumar Bhaskar. 0040509616-7

I, Rajendra Singh S/o Bhup singh R/o 42, Nagla Khanji, Soron, Uttar Pradesh-207403, that name of my father has been wrongly written as Bhupal in my Pan Card. The actual name of my father is Bhup Singh 0070671880-1

I, Rajendra Prasad S/o Ram Narayan R/o-C-64, 2nd-Floor, C-Block Sector-8, Dwarka New Delhi-110075.,have wrongly-written my name Rajinder Prasad instead of Rajendra Prasad, both are same persons. 0040509639-2

I, Raj Rani D/o Ranjeet Singh W/o Ramesh Dangi, R/o H.No.50, Gali No.B10, Ashok-Vihar Phase-3 Extension, Gurgaon(Haryana), have changed my name to Rani Devi. 0040509606-8

Be it known to all that I, Muskan Sharma, D/o Shri Balram Sharma & Mrs.Geeta Sharma R/o-WP-215, Wazirpur-Village, Ashok-Vihar, Delhi-110052 have changed my name from Muskan to Muskan Sharma, for all intents and purposes. 0040509592-7

I Rajani Kumari, D/O-Mahender Prasad Sah, R/O- E-1/1088, Ground Floor 25 Ft Main Road , Sonia Vihar 4.5 Pusta, Near Sani Bazar Chowk, Karawal Nagar Post, North East Delhi-110094. have changed my name to Rajni Kumari 0070671882-1

I, R VIJAYA KUMAR S/o Late Sh. G. Ramachandran R/o H-3/20, Bengali Colony, Mahavir Enclave Part-I, New Delhi-110045 have changed my name to R M VIJAYA KUMAR for all purposes. 0040509570-1

I, Priyanksh Tanwar D/o Kishan Chand Tanwar R/o A-152, Pandav Nagar, New Patel Nagar, Delhi, have changed my name to Priyankash Tanwar permanently. 0040509572-1

I, Pradeep Pratap Krishnabal Bahadur S/o Krishnabal Singh R/o-PB-2,655/C 40,Block Road,Gangotri Colony, Bhusawal,Jalgaon, Mahatashtra-425201,have changed my neme to Pradeep Pratap Krishnabal Singh for all purposes. 0040509485-1

I, Nanda Madhab Bhattacharya S/o Indu Madhav Bhattacharya R/o C1/C2 Flat No-110 First Floor, Om Vihar Uttam Nagar, Delhi, have changed my name to Nanda Madhav Bhattacharya permanently. 0040509572-3

I, Nancy Massey W/o Vikas Kumar R/o C-176, SF, Block-C, Clock Tower Hari Nagar, Delhi-110064, have changed my minor son's name from Siddharth Kumar aged 16 years to Siddharth Massey forever 0070671873-1

I, Nancy Massey W/o Vikas Kumar R/o C-176, SF, Block-C, Clock Tower Hari Nagar, Delhi-110064, have changed my minor son's name from Aaryan Kumar aged 8 years to Aaryan Massey forever 0070671871-1

I, S.M. Onesima Haokip son of Letkhohao Haokip R/o-D-5 N.I.H.F.W Campus Munirka New Delhi-110067 have changed my name to Onesima Manglemsang Haokip,for all purposes. 0040509654-3

I, Munish Chand Rekbar S/O Deep Chand R/o Qr.no.1, Sector-1, Sadiq Nagar, New Delhi-49, have changed my name to Manish Baghel for all purposes. 0040509595-1

I, Mohd Rashid S/o Mohd Abid R/o-T-395,Gali No.24, GautamPuri, Delhi-110053, have changed my name to Mohd Rashid Khan.,for all purposes. 0040509665-3

I, Mohd Haleem S/O Mohd Salim R/O-123 Gali No-2, Ziyaudeen-Pur New Mustafabad Delhi-110094 Have Changed My Name To Hafiz Mohd Haleem. 0040509606-5

I, Mohammad Mustaqim S/o Mohammad Shafiq R/o H. No.5289, Gali Shimle Wali, Kucha Rehman, Chandni Chowk, Delhi-110006 have changed my name to Mohd Mustaqeem 0040509559-1

I, Manoj Mittal S/O, Dharm Paul Mittal R/o D-42, Jalvayu Vihar, Sector- 21, Noida, have changed my name to Manoj Kumar Mittal for all purposes. 0040509641-1

I, Mahasweta Mahtab W/o Sh.Bhartruhari Mahtab R/o Beharibagh Chandinichowk Cuttack-753002 inform that my correct date-of-birth is 24/08/1961 instead of 24/08/1957. 0040509592-6

I, Kunal Sudhakar Rahate father of minor daughter, Navvya Rahate R/o-10/201, Orange County, AhinsaKhand, Part-1, Indirapuram, Ghaziabad inform that my name is wrongly-written as Kunal S.Rahate in her birth-certificate and Kunal Rahate in her school certificate. My actual name is Kunal Sudhakar Rahate. 0040509606-1

I, Kishan Chand S/o Ami Chand R/o A-152 Pandav Nagar, New Patel Nagar, Delhi, have changed my name to Kishan Chand Tanwar permanently. 0040509572-2

I, Khaim Karan S/o-Phool Singh R/o H No-3208/B ,Mahindra Park, Shakur Basti Delhi-110034Have Changed My Name Pappu,For All Purposes. 0040509568-6

I, Keshav Dayal S/o Sh. Rameshwar Dayal R/o H.No.418, Gali No. 26-B, Swatantra Nagar, Narela, Delhi-110040, informs that Keshav Dayal and Sunil Kumar are the names of one and same person. In future, I shall be known as Keshav Dayal. 0040509577-1

I, Karuna D/o,Vinod Kumar Gurung R/o Vill.Kehla, Tehsil-Bhatiyat, WardNo.4, Kakirajarai-(160) Chamba, HP-176313 have changed my name to Karuna Gurung. 0040509616-3

I, Kareem Akhtar Mohammed Yaseen S/O Mohammed yaseen Manzoor Ahmed R/O 302 , Alankar APT.Block No: A-4 , R.NO: 24, ULHASNAGAR, THANE 421001 Passport Holder of M 4453402, have changed my name to Kareem Akhtar S/O Mohammed Yaseen and changed permanent address to F-154, Ist Floor, Abu Fazal Enclave part - 2, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, New Delhi-110025, for all purpose. 0040509610-1

I Mandeep Singh Virdi S/o Kuldip Singh Virdi R/o-H-246 Vikaspuri New Delhi-110018.,have changed the name of my minor son Dharam Pratap Singh aged 14years and he shall hereafter be known as Dharam Pratap Singh Virdi. 0040509654-5

व्यक्तिगत

I, Kanchan Kandpal D/o B.D.Kandpal W/o Ramesh Chander R/o-B-334, Dakshinpuri, Pushpa-Bhawan, South-Delhi, Delhi-110062.have changed my name to Kanchan Masiwal, for all purposes. 0040509639-3

I, Jitendra Chaubey R/o-N2/104 Royal Nest, plot No-Gh-8b, Tech-Zone-4, Greater Noida(West) UP-201306.have changed my minor daughter's name from Pooja Kumari to Pooja Chaubey. 0040509639-1

I, Deepal Kumar Mallick S/o Deepak Kumar Mallick R/o.H.No.1418, Tower-C,11th Avenue,Gaur City-2,Greater Noida,G.B.Nagar, U.P-201009,have changed my name to Deepal Mallick. 0040509568-1

I, Jatinder Pal Khurana S/o Ram Prakash Khurana, R/o 44, Goodwill Apartments, Plot No-48, Sector-13Rohini, Delhi-110085, declare that name of mine has been wrongly written as Jatender Pal in my minor Son Ronit Khurana aged 16 years School Records. The actual name of mine is Jatinder Pal Khurana 0070671876-1

I, Jasleen Gandhi W/O Pawanjit Singh Gandhi R/O-Side No-11, Plot No-5, Third-Floor West Patel-Nagar Delhi-110008, Have Changed My Name To Jasleen Kaur. 0040509616-1

I, Jaskamal Mann, daughter of Shri Kamal Jit Singh Mann, Residence of Flat.no.783, South-Delhi Apartments, Sector-4, Plot.No.8, Dwarka, New Delhi-110078. Having passport bearing no. S2435000 in which my name is mentioned as "Jaskamal Kaur Mann" insead of "Jaskamal Mann" and Jaskamal Kaur Mann and Jaskamal Mann is the name of one and the same person. 0040509654-1

I, Iram D/O Hafiz Mohd Haleem R/O-123 Gali No-2 Ziyaudeen-Pur New Mustafabad Delhi-110094 Have Changed My Name To Iram Jhan. 0040509606-6

I, Gurjit Singh Sethi S/o Hardarshan Singh Sethi R/o-H.No.1/5975 Kabool-Nagar, Shahdara Delhi-110032,have changed my name to Gurjeet Singh Sethi for all purposes. 0040509592-9

I, Gurcharan Kaur R/o J803 JalVayu Towers Kharar do solemnly affirm & inform that my name has been erroneously mentioned as Gurucharan Kaur in PPO No.08/14/A/0067/2001 of my husband WgCdr Iqbal Singh (11717B)& my correct name is Gurcharan Kaur. 0040509430-2

I, Govindanm Vill-Po Tiruvannamalai, Taluk Tamilnadu son's name is wrongly entered as Karthik. In future my son's name is known as Karthik G. 0060069042-4

I, Govindanm Vill-Po Tiruvannamalai, Taluk Tamilnadu daughter's name is wrongly entered as Sangeetha. In future my daughter's name is known as Sangeetha G. 0060069042-2

I, Davinder Singh Janjuha S/o Manohar Singh R/o-WZ-110/5 Guru-Nank Nagar Street No.15 Tilak-Nagar Delhi-110018,have changed my name to Davinder Singh. 0040509592-5

I, DESH RAJ S/o GOPAL DASS R/o C- 518 , FIRST FLOOR, SUSHANT LOK - 01, GURGAON, HARYANA-122001 have changed my name from DESH RAJ to DESH RAJ KUMAR for all future purposes. 0040509547-1

I, Charanjeet Kaur W/o Jyot Singh R/o 3/18 Jangpura Extension, New Delhi-110014 have changed my minor daughter name from Channur Kaur to Channoor Kaur for all purposes. 0040509557-1

I, Bhogendra Ram S/o Channu Ram R/o-A-67 Vijay-Vihar Phase-2, Sector-4, Rohini Delhi-85.inform that my and my minor son name wrongly-written as Virender Yadav and Krishna Yadav aged 15years in his school record the actual name of mine and my son is Bhogendra Ram and Krishna Ram. 0040509606-3

I, Avinash S/o Sikander Sharma R/o 563 Near Pradhan Chakki Bijwasan, ND-61, have changed my name to Avinash Sharma for all purposes. 0040509561-1

I, Ashwani Kumar Kanojia S/o Vinod Kumar R/o-RZ-7-10/274, Street No.-5A, Geetanjali-Park, Sagarpur, Nangal-Raya, New Delhi-110046., have changed my name to Ashwani Kanojia. 0040509606-10

I, Arvind Kumar S/o, Rajendra Prasad R/o-A-5A/54, Janta-Flats, Janakpuri, N.Delhi-110058 that Neha Verma and Neha both names of one and the same person i.e.my wife. 0040509616-2

I, Ariba Saif W/O Mohammad Rais R/O-3390, Gali Jangli Kuan, Kucha-Pandit, Lal-Kuan, Delhi-110006., changed My Name To Ariba. 0040509639-4

I Balveer Singh alias Balbeer S/o Amit Singh Bhandari R/o Shivlok Colony, Hardwar, Uttrakhand-249403, have changed my name to Sahil Bhandari for all purpose 070671879-1

I Km Shayba Saifi D/O Sahabuddin R/O-Amka Road Mohalla Brahampuri Dadri G.B.Nagar U.P. Have Changed My Name To Sahiba Saifi. 0040509665-1

मैंने सतीश कुमार सुपुत्र कन्हैया लाल निवासी 84 त्रिवेणी अपार्टमेंट्स विकास पुरी दिल्ली ने सभी उद्देश्यों हेतु अपना नाम सतीश कुमार सपरा रख लिया है।

मैं, दिनेश कुमार, पुत्र श्री फेरन चंद बरसैन्या, निवासी, 4/10, रेलवे कॉलोनी, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-110003 को दिनेश गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। दिनेश कुमार और दिनेश गुप्ता एक ही व्यक्ति हैं।

मैं, राजेश्वर सिंह पुत्र श्री तेजप्रताप सिंह नि. 568 KH/491 गीतापल्ली, लखनऊ ने अपना नाम राजेश सिंह से बदलकर राजेश्वर सिंह कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए।

It is for general information that I Jegeshwar S/o Bhagwan Din residing at H. No. 693, H Block, Gali No. 16, Sangam Vihar, New Delhi-110062 declare that name of my wife has been wrongly written as CHANDRAWATI in my service Record. The actual name of my wife is **Sunita**, which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040509244-12

I, Anupam W/o Harish Kumar Gupta R/o C-204, Sector-1, Avantika, Rohini, New Delhi-110085, have changed my name as Anupama for all future purposes. 0040509552-1

I, Anu Kumari W/o Niroj Kumar Pathak R/o H.No.65, Block-F, KH. No. 21/12/1, Qutub Vihar, Phase-I, Delhi, have changed my name to Anupma Pathak for all future purposes. 0040509614-1

I, Anshu Rani W/O Vinod Singh & D/O Dharamveer Singh born on 23-Aug-1991 R/O 245, Gali-6b/4,K-block, Mahipalpur Extn, Delhi-37, have changed my name to Anshu Singh for all purposes on behalf of affidavit IN-DL45137811956638R. 0040509562-1

I, Ambrish Kant Verma S/o Rama Kant Verma R/o:B-115A, Vikas Nagar Extn., Uttam-Nagar, NewDelhi-59 inform that Ambrishkant Verma and Ambrish Kant Verma are One and the Same Person. 0040509606-4

I, Akankasha Jain D/O Jinendra Jain. R/O-C-1/401, P.No-72,Iv/F, Milan-Vihar, Cghs-Indra Prastha-Extn, Patparganj, Delhi-110092., changed My Name To Akanksha. 0040509616-6

I, Ajay Keshav Patle S/O, Keshav Patle R/o G-502, Skytech Matrott, Sector-76, Noida, have changed my name to Ajay Patle for all purposes. 0040509563-1

I, Abhinav Sood R/o L-12 Kailash Colony, New Delhi - 110048 have changed my minor daughter's name from Ayishani Sood to Ayeshni Sood 0070671885-1

I Suman Rani W/O Suresh Kumar Gulati R/O A-44, 1st-Floor Vikaspuri Delhi-110018. Have changed my Name to Suman Rani Gulati. 0040509592-8

I Hitherto Known As Eram Rao W/O Shahid Ali Rao, Residing At-C2/102, Capital-Apartment, 3 Vasundhra-Enclave, Delhi-110096, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Eram Shahid Rao. 0040509592-1

I Deepak Khushlani S/o Sh. J. C. Khushalani R/o C-2/272, Janak Puri, B-1, New Delhi-110058 have changed my name to Deepak Kumar Khushalani for all purposes. 0040509591-1

It is for general information that I Rakesh Kumar Ganotra son of Shri Suraj Parkash Ganotra Resident of B-1/148, First Floor, Ashok Vihar Phase-II, Delhi-110052, declare that the name of mine my minor son Saksham Ganotra aged 15 years has been wrongly written as Rakesh Ganotra. The actual name of mine is Rakesh Kumar Ganotra respectively which may be amended accordingly.It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 00405096581-6

I, Charan Gopal Shriyan, F/o Dishan R/o C2/1604, Supertech Livingston, Crossing Republic, Ghaziabad have changed minor son name Dishan Charan Shriyan. 0040506339-5

PUBLIC NOTICE

It is for general information that, I CHITTER SINGH S/O SH YAD RAM R/O HNO,161-C, BLOCK C-6, KESHAV PURAM, DELHI-110035. Declare that name of my minor daughter SRISHTI SINGH aged 14 years has been wrongly written as SRISHTI in, her school records (admn no. 9936). The actual name of my minor daughter is SRISHTI SINGH which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

रिक्त स्थान

Urgently Required Marketing Executive

0-3 years' experience in the Field of Environment, Health & Safety (EHS), Compliance Management & Safety Training's.
Education: Graduate / Post Graduate/ BBA / MBA (in Marketing).
Location: Delhi & Neemrana (Raj.)
Salary: Based on Knowledge and Expertise.
Interested Candidate: Send their Updated CV at manoj@elservices.in, elservices001@gmail.com
Walk in interview: for more details, Please contact at: 011-45007110 / 8076557072 / 9811086201
Add.: EL Services
101-C, Ist, Floor, Kundan Vatika, Harinagar; Ashram, behind NAFED Building, New Delhi-110014

खोया+पाया

I, Akash Kumar S/o Vaidnath Yadav R/o H.No.103, 70/1/1, Mangolpur-Kalan, Delhi-110085, have lost my CBSE-Certificates and Marksheets of Class-10th Roll No.8682835 (2017), 12th Roll No.9669013 (2019). 0040509616-8

I, Akshay Kumar S/O Lakhmi Chand, C-227A, F/F, Patel-Garden, Dwarka New Delhi-110078. Have Lost My 8th-Class Marksheet (2016-17), Roll No.02, 0040509616-9

I, Deepanshu Popli S/O Ravinder Popli R/O-E-9/11 Malviya-Nagar New Delhi-17. Have Lost My Original Certificate Class-12th Year-2018 Rollno-9198233 Cbse, Delhi. 0040509639-9

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate and Marksheet of Main Higher Secondary Examination of Year 1977 and Roll No. 57171 issued by CBSE has been actually distroyed. Name of the Candidate: Naved Akhtar, S/o Shamin Akhtar, R/o J-1861, Ground Floor, Chitaranjan Park, New Delhi-110019, Mobile No. 9818091824 0040509548-1

I Neelam Raj W/o Bhagat Raj R/o-B-44, LIG-Flat B-Pocket GTB-Enclave Delhi-110093. have lost my original convence Deed wide-file No-15543 dated-28/9/2015 of above address. 0040509616-10

It's notified for the information that my Original Qualifying 12th-Examination Certificate & Marksheet of Senior-Secondary, Examination year-2019, and Roll-No.9626072 issued by CBSE has been lost. JANVI ABROLE R/o, A-280, Sudershan Park, Moti Nagar, N.Delhi-110015, MOB-7011209449. 0040509639-10

Lost my original Allotment Letter of my Plot No.E-3/A-1, Tronica City, Loni, Ghaziabad, Finder may Contact-Rajeev Wadhwa at 417, Nimri Colony, Ashok Vihar, Phase-4, Delhi-52. 0040509636-1

I Nikita Verma has lost my Original Pass Certificate of HS Year 2012 Roll No. T/3033/021 Metric Board from St. Joseph's Greater Noida. If Found Pls Contact 9810192921 0050154043-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2007, Roll No.6423842 and Senior Secondary Examination of Year 2009, Roll No.6703048 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate: Khushmuda, R/o B-201, Nehru Camp, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019, Contact-9540965619. 0040509554-1

PUBLIC NOTICE

We hereby inform that I, Sudha Sharma, W/o Late Subhash chand Sharma, R/o - MIG Flats No.72, Pocket-KG-1,Second Floor, Vikas Puri,New Delhi. Have Lost My original Allotment letter & possession Slip, Original Bank, Challan,Original Demand Letter. FIR lodged for same LR No. 1406023/2019 Dated: 19.08.2019 Finder Call :- 9758314769

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SH. PURAN SINGH, S/o LT. MOHAN LAL R/o O-56 H, KRISHAN VIHAR, SULTANPURI, C-BLOCK DELHI-110086, HAVE DISOWNED/ DEBARRED HER SON DHARMVIR SINGH AND HIS WIFE NEERESH CHAUDHARY (YOGITA) AND GRAND SON ARYAN SINGH FROM ALL HIS MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES WITH IMMEDIATE EFFECT AND HE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ACTS AND DEEDS DONE ON HIS BEHALF. HE HAS SEVERED ALL RELATIONS FROM THEM. IF ANY PERSON KEEPS RELATIONS WITH THEM THEY ARE SOLELY REPONSIBLE FOR THEMSELVES AND WILL BE DOING AT THEIR OWN COST, RISK AND CONSEQUENCES.
Sd/-
PRATEEK TANWAR
ADVOCATE
OFFICE- 12/21, FIRST FLOOR, OLD RAJINDER NAGAR, NEW DELHI-110060
Ph. 9810443443

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS RAJESH AGGARWAL S/O LATE SH. NIADER SINGH AGGARWAL AND SMT. MAYA AGGARWAL W/O SH. RAJESH AGGARWAL R/O UP-58, PITAMPURA, DELHI-110034, SEVERE ALL THEIR RELATIONS & DEBAR THEIR ELDER SON SH. ANUJ BANSAL AND HIS WIFE NAMELY MRS. NEHA ANUJ BANSAL AND YOUNGER SON SH. ANISH BANSAL ALL R/O UP-58, PITAMPURA, DELHI-110034 FROM THEIR ALL MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES WITH IMMEDIATE EFFECT DUE TO THEIR MISCONDUCT & MISBEHAVIOUR WITH THEM. MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY OF THEIR ACT IN FUTURE WHATSOEVER IT MAY BE.
Sd/-
SHYAM LAL PAHUJA
ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Ram Gopal Pahwa S/o Late Shri Hukam Chand and Smt. Purnima Pahwa W/o Ram Gopal Pahwa both Husband – wife and R/o Plot No. 42, New T Block, Gali No. 8, 2nd Floor, Matiala, Uttam Nagar, New Delhi-110059 do hereby disown and debar their daughter namely Twinkle Pahwa from all his movable and immovable properties with immediate effect because she is out of control of my clients and lift the house with some unknown person without consent and knowledged of my clients on 8-8-2019. Anybody dealing with her shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility my above mentioned clients and their other family members & relatives will not be held responsible for any of her act, deed and things done by her in future.
Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
SR-IInd B Coumpus, Janakpuri,N Delhi-58

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely **Mr. Ajit Singh S/o Shri Guruvachan Singh and Mrs. Manjeet Kaur W/o Mr. Ajit Singh both R/o N-17C/199, F-Block, T-Huts, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052,** wants to disown his/her son namely **Mr. Sukhvinder Singh and his wife namely Mrs. Balvinder Kaur,** from self acquired movable and immovable property for future all actions, and above said statements are true & correct in the best of my knowledge & belief.
Place: **New Delhi**
Date: **24.08.2019**
Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह पता डी-177/4, सत्या गली नं. 2, नौथ घोण्डा दिल्ली-53 ने फ्लैट नं. 1702 17 वां तल टावर एमरोज मैसर्स देव साई कन्सट्रेकशन प्रो लि. सपोर्ट सीटी प्लाट न. जी-एच-2 एण्ड जोईनिग टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उ.प्र. 201301 दिनांक 9-12-2018 को दोनों पक्षो के मध्य मैमारेडम ऑफ अन्डर स्टेडिग हस्ताक्षर हुआ था को आज तत्काल प्रभाव निरस्त करता हूँ जो भी इसका प्रयोग करेगा वह गैर कानूनी माना जायेगा मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
भवदीय
ए. एस. जुनेजा (एडवोकेट)

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल विजेन्द्र सिंह शौकिन पुत्र श्री कर्ण सिंह पता-2991-ए, से.-23 गुड़गाँव हरियाणा-1220117 के पुत्र विपुल शौकिल ने अनुजा शैफाली सिंह से अपनी मर्जी से विवाह कर लिया है। इस विवाह से उपजे किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम के लिए विपुल शौकिन अनुजा शैफाली सिंह स्वयं उत्तरदायी होंगे। उनके कृत्यों के लिए मेरे मुवक्किल व परिवारजन उत्तरदायी नहीं होंगे।
प्रशान्त राणा (अधिवक्ता)
चै.नं. सी-95-96,
सी.एल. जोसफ ब्लॉक,
तीस हजारी कोर्ट दिल्ली-54

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल प्रकाश पुत्र श्री स्व. हनुमान निवासी- पुराना म.नं. जी-20/1, नया मकान नं. जी-98, ब्लॉक- जी, शास्त्री पार्क, दिल्ली- 53 ने अपने पुत्र ''कमल कुमार'' को नियंत्रण से बाहर होने व अभद्र व्यवहार के कारण उसको अपनी चल व अचल सम्पत्ति से व रिश्ते से बेदखल कर दिया है और भविष्य में कमल कुमार के द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कार्यों के लिये मेरा मुवक्किल व उसके परिजन जिम्मेदार नहीं होंगे। मनोज कुमार अधिवक्ता।

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किलान श्रीमती शिव कुमारी, पत्नी श्री सिंह पाल, निवासिनी सबोली बाग, पार्ट-II, गली नं. 5, सबोली दिल्ली-110093, ने अपने पुत्रगण रोहित कुमार व उसकी पत्नी सुषमा तथा मोहित कुमार एवं उसकी पत्नी सिमरन, चारों को उनके अनैतिक आचरण, क्रूर व्यवहार आदि के कारण अपने संबंध विच्छेद कर अपनी सभी चल-अचल सम्पतियों से बेदखल कर दिया है और भविष्य में उपरोक्त चारों के किसी भी कृत्य, लेन-देन आदि के लिए मेरी मुवक्किला व श्री टेकचंद उत्तरदायी नहीं होंगे।
Sd/-
JAGDISH CHANDRA
ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

General public at large is informed that my clients Sh. Rakesh Kumar S/o Late Sh. Bhudev Prasad R/o C-11, Gali No.6, F.F. Rajapuri, Uttam Nagar, New Delhi-110059 has disowned and disinherited his son Sh. Ashish Kumar from all her moveable and immovable properties/ assets. Henceforth whosoever may be dealing with said son, he shall be doing so at his own risks, costs and responsibilities. My client shall not be responsible for any misdeeds/act of her aforesaid son.
Sd/-
SANJAY AGGARWAL (Advocate)
E-8, 3rd Floor, Om Vihar Ext.
Uttam Nagar, New Delhi-59

PUBLIC NOTICE

All general public are hereby informed that my client Sh. Radhey Shyam S/o Sh. Ramdass Address: Madan Kathna Chemical Industries,Vijay Nursing Home Gali,Narela Road, Sonipat Haryana-131028 has disowned and debarred his son Madan Lal and his daughter in law Sarswati D/oSh.Hari Narayanfrom all the movable and immovable properties owned by my client due to their misbehavior and disobedience towards my client. My client shall not pelable for any loss, whatsoever in nature, caused to any one because of them
AJAY BANSAL-ADVOCATE
Ch. No. 30, Western Wing, Tis Hazari Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

The notice is hereby given to public at large that our clients namely Rahis Ahmed S/O Mohd. Sharief and Saira Bano W/O Rahis Ahmed both R/O R-3 A-2 B47, Gali No. 6, Mohan Garden, New Delhi disown their son namely Jameel Ahmed S/O Rahis Ahmed and his wife Sana W/O Jameel Ahmed and also disown their another son namely Nafees Ahmed S/O Rahis Ahmed and his wife Gulshan W/O Nafees Ahmed from their all movable and imm

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–36.6 डि.से. सूर्योदय– 5:57
न्यूनतम– 26.8 डि.से. सूर्यास्त– 18:49

दिल्ली सरकार के फैसले से दस लाख उपभोक्ताओं को होगा फायदा

चार श्रेणियों में पानी का बकाया माफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

जल बोर्ड ने दिल्ली में चार श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इन श्रेणियों को देरी बकाया भुगतान (लेट पेमेंट सरचार्ज) का भुगतान नहीं करना होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि 100 फीसद राहत वालों में 'ई, एफ, जी, एच' श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। इन उपभोक्ताओं के घरेलू मीटर अगर चालू हालत में हैं, तो उनके पानी का बकाया माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 'ए' से 'एच' श्रेणी में से चार श्रेणी में भुगतान में राहत का प्रावधान किया है। बकाया भुगतान के लिए 25 से 100 फीसद की राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं। अब दिल्ली में पानी आता है, बिल नहीं। आगामी पांच साल में दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पीने का पानी मिलेगा'। दिल्ली की कॉलोनियों को 'ए से एच' तक की श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 'ए से डी' श्रेणी मध्यम और ऊपरी मध्य श्रेणी जबकि 'ए' श्रेणी की कॉलोनी में वीवीआइपी इलाके जैसे महारानी बाग,

चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक्स जैसी कॉलोनियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राहत एक बार के लिए होगी और इसका लाभ करीब 10.5 लाख लोगों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मीटर चालू हालत में होंगे या 30 नवंबर तक मीटर लगा लेंगे वे इस राहत का लाभ ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राहत देने के बाद भी योजना से जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। इसकी मदद से पुराने बकाए के मामलों का निपटारा तेजी से होगा और वे खुद इसके लिए उपभोक्ताओं को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली के करीब 13.5 लाख उपभोक्ताओं पर जल बोर्ड का पैसा बकाया है जबकि इस समय जल बोर्ड के नेटवर्क में 23.73 लाख उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया जल बोर्ड को घरेलू क्षेत्र के 2500 करोड़ रुपए और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से 1500 करोड़ रुपए वसलूने हैं। उन्होंने बताया कि यह बकाया सिर्फ बिल के भुगतान नहीं करने से ही नहीं बल्कि बिल प्रणाली समेत जल बोर्ड की गलती से भी जमा हो जाता है। इस कदम से समय पर अपना पानी बिल भुगतान करने वालों के साथ 'अन्याय' होने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'भविष्य में ऐसी माफी की योजना नहीं लाई जाएगी।'

'आप' के सत्ता में आने के बाद से पानी के नए कनेक्शन में 25 फीसदी का इजाफा हुआ है और बिना मीटर के पानी के कनेक्शन पिछले पांच साल में तीन लाख से घटकर डेढ़ लाख हो गए हैं। पिछले पांच साल में 5 लाख पानी के कनेक्शन बढ़े हैं। प्रेसवार्ता में जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

'आप' सरकार ने रोका 30 फीसद लीकेज पानी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'आप' सरकार ने पानी के रिसाव, पानी चोरी व टैंकर माफिया पर लगाम कसी है। दिल्ली में पानी के 3000 फ्लो मीटर लगाए जा रहे हैं। इसकी मदद से रिसाव को नियंत्रित करने में मदद मिली है। अब तक 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मीटर लगे हैं और 30 फीसद रिसाव खत्म हुआ है। 2015 में जब 'आप' सरकार ने कमान संभाली थी तो घरों में पानी नहीं आता था और 4 से 5 हजार रुपए की बिल आते थे।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता (मध्य) व अन्य।

केजरीवाल की घोषणाओं पर दिल्ली भाजपा का हमला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पानी की कालाबाजारी के लिए दिल्ली में करीब दो हजार टैंकर चल रहे हैं। बीते साढ़े चार साल में दिल्ली सरकार ने इस टैंकर में से केवल दो ही पकड़े हैं। उन्होंने बताया कि अब तक अरविंद केजरीवाल टैंकर माफिया पर राजनीतिक संरक्षण होने का आरोप लगाते रहे हैं लेकिन अपने कार्यकाल में माफिया को रोकने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में पानी के रिसाव व टैंकर माफिया को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाते तो दिल्ली भर में पानी के लिए त्राहि–त्राहि नहीं होती।

उन्होंने दिल्ली सरकार से बीते पांच सालों का हिसाब मांगा है और जल बोर्ड के कामकाज पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पानी के बिलों पर राहत देने की योजना के तहत दिल्ली सरकार अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि यह एक बार दी गई राहत योजना है, जो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे कर केजरीवाल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रेसवार्ता में विधायक जगदीश प्रधान व मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जल बोर्ड चलाने में विफल : तिवारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास केवल जल बोर्ड एक ही विभाग हैं और यह विभाग भी घाटे में चल रहा है। इस विभाग को चलाने में मुख्यमंत्री फेल साबित हुए हैं। दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बीते साढ़े चार साल में कोई पहल नहीं की है। इस वजह से दिल्ली के दूर दराज के क्षेत्रों में भीषण पानी का संकट हैं। अब जब दिल्ली के चुनाव सिर पर आ गए हैं तो आप सरकार कोरी घोषणाएं करके आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

एनएसयूआइ ने शुरू किया 'आवाज उठाओ, सीटी बजाओ' अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को 'आवाज उठाओ, सीटी बजाओ' अभियान शुरू किया। एनएसयूआइ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, एआइसीसी सचिव व एनएसयूआइ प्रभारी रुचि गुप्ता की मौजूदगी में डीयू परिसर में असमानता के विरुद्ध इस अभियान की शुरुआत की गई।

रुचि गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम परिसर और कॉलेजों के साथ विद्यार्थियों के बीच असमानता के हर उदाहरण को उजागर करेंगे और मांग करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय, समानता के वादे को पूरा करे। एनएसयूआइ युवाओं को सीटी

बजाकर विरोध दर्ज कराने का एक शांतिपूर्ण तरीका बताकर उन्हें सशक्त बनाना चाहती है।

एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि आज डीयू के अलग–अलग कॉलेजों में एक ही पाठ्यक्रम की फीस अलग–अलग है। हर कॉलेज और विभाग की फीस अलग–अलग है। ऐसे में यह असमानता नहीं तो क्या है। इस अवसर पर एनएसयूआइ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नीरज मिश्रा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा आदि उपस्थित रहे।

बिना पूर्व सूचना डीयू ने जारी की आठवीं कटऑफ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन की ओर से इस बार दाखिला प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और समयबद्धता की माखौल उड़ाया गया है और यह क्रम अब भी जारी है। डीयू की ओर से बिना पूर्व सूचना दिए योग्यता आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सोमवार देर रात आठवीं कटऑफ सूची जारी की गई। इसके मुताबिक अधिकतर कॉलेजों के कई पाठ्यक्रमों में विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सीटें खाली हैं। इस कटऑफ के आधार पर दाखिले के लिए सिर्फ दो दिन का समय दिया गया। दूसरी ओर, मंगलवार को डीयू की वेबसाइट ने भी विद्यार्थियों को परेशान किया।

डीयू की विद्वत परिषद (एसी) और दाखिला समिति के सदस्य डॉक्टर रसाल सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहां भारत भर से विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं। विश्वविद्यालय की नीति और निर्णय उन सबकी जरूरत और सुविधा के अनुरूप होने चाहिए। कॉलेजों में सीटें (खासकर आरक्षित वर्गों की सीटें) खाली न रहें इसके लिए भविष्य में प्रभावी और संवेदनशील नीति–निर्माण की आवश्यकता है। एसी और दाखिला समिति के पूर्व सदस्य प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा कि डीयू ने बिना पूर्व सूचना के आठवीं कटऑफ जारी की है। ऐसे में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में रहने वाने विद्यार्थी कैसे इस कटऑफ के आधार पर दाखिला लेने दिल्ली पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर समान अवसर के अधिकार के हनन का मामला है।

डीयू के छात्र कल्याण डीन और दाखिला समिति के प्रमुख प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने बताया कि किन्हीं वजहों से हम आठवीं कटऑफ की पूर्व सूचना देने से रह गए। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में एक–दो सीटें ही खाली बची हैं जिनके लिए आठवीं कटऑफ जारी की गई है। जब उनसे पूछा गया कि इस कटऑफ को जारी करते समय दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर में रहने वाले बच्चों के बारे में सोचा गया था तो उन्होंने कहा कि अब तक अधिकतर बच्चे दाखिला ले चुके हैं। यह कटऑफ नियमित कटऑफ नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि कैंपस के बाहर के कॉलेजों में अधिक सीटें बची हैं।

पंजाब एंड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
अंचल कार्यालय: गुड़गाँव
प्लॉट नं. 151, सेक्टर-44, गुड़गाँव

प्रिय ग्राहक,
आरबीआई की मैन्डेट के अनुसार ऐसे ग्राहकों जिनका आवधिक केवाईसी नियत है, उनसे अनुरोध है कि अपनी होम शाखा में 20.9.2019 से पूर्व अपने केवाईसी/पैन/प्रपत्र 60/61 को अद्यतन करा लें, अन्यथा उनकी खाता फ्रीज कर दी जायेगी।

अधिक विवरणों के लिये हमारी शाखा में पधारें।
अंचल प्रबंधक

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 076 (भारत)
निगमित पहचान संख्या. : L24232DL1988PLC030958
दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फैक्स : 91-11-26823629
ई-मेल : imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट : www.delhi.apollohospitals.com

31वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

वार्षिक आम सभा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों के 31वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार 20 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11 बजे सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, सिरीफोर्ट कल्चरल कॉम्प्लेक्स अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली– 110049 में आयोजित की जायेगी जिसमें सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

सदस्यों को यहां यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम सभा की सूचना (जोकि वार्षिकी रिपोर्ट का हिस्सा है) का प्रेषण पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची, प्राक्सी फार्म के साथ 26 अगस्त 2019 को पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों ने कम्पनी/डिपाजिटर प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पते पंजीकृत कर रखे हैं, उन्हें दस्तावेज इलेक्ट्रानिक माध्यम में भेज दिये है, तथा अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भौतिक रूप से भेज दी गई है। सूचना तथा पूर्ण वार्षिकी रिपोर्ट, कम्पनी की वेबसाइट www.delhi.apollohospitals.com तथा एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित कम्पनीज (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधित नियम, 2015 तथा सेबी (सूचियन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ और इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एस.एस.–2) के अनुपालन में कम्पनी ने सभी सदस्यों को वार्षिक आम सभा सूचना के सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक आधार पर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। वार्षिक आम सभा के अलग स्थान से मत डालने की सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक आम सभा सूचना में ई–वोटिंग से सम्बन्धित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ई–वोटिंग सुविधा का विवरण इस प्रकार है:

1. रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार 17 सितम्बर 2019 (प्रातः 9.00बजे) से बृहस्पतिवार 19 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे) तक खुली रहेगी।
2. कोई भी व्यक्ति जो, वार्षिक आम सभा की सूचना भेजे जाने के बाद, कम्पनी के शेयर खरीदकर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास कम्पनी के शेयर कट ऑफ तिथि 13 सितम्बर 2019, पर रहते है, वह एक अनुरोध ईमेल द्वारा evoting@nsdl.co.in या swapann@linkintime.co.in पर भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि, कोई व्यक्ति एनएसडीएल के साथ पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए कर सकता है।
3. रिमोट ई–वोटिंग बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 के उपरान्त एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मत डालने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. जिन सदस्यों रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मत का प्रयोग नही किया, उन्हें वार्षिक आम सभा में मत पत्र के माध्यम से मत डालने की सुविधा दी जायेगी। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से मत किया है वे वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं पर वार्षिक आम सभा में पुनः मत करने की अनुमति नही होगी। सदस्यों का मत अधिकार कॅट–ऑफ तिथि पर धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।
5. ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तिथि की सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में है, केवल वह ही ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में पोलिंग पत्र के माध्यम से वोट देने के पात्र होगें।
6. ई–वोटिंग के बारे में किसी भी जानकारी/समाधान हेतु सदस्य श्रीमान् स्वपन कुमार नस्कर, एवीपी–उत्तर भारत संचालन, मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., नोबल हाईटस, प्रथम तल, एनएच–2, सी–1 ब्लॉक, एलएससी, नियर सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, फोन नं. 011–49411000 से सम्पर्क करें या swapann@linkintime.co.in पर ई–मेल करें एवं एनएसडीएल के हेल्पडेस्क 1800–222–990 पर सम्पर्क करें या evoting@nsdl.co.in पर मेल करें।

बुक क्लोजर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुसरण में जिसे सूचीकरण विनियमन के अधिनियम 42 के साथ पढ़ा जाए, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 14 सितम्बर 2019 से सोमवार, 20 सितम्बर 2019 (दोनों दिन शामिल) तक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभांश की घोषणा तथा वार्षिक सामान्य बैठक हेतु बन्द रहेंगे।

निर्देशक मण्डल बोर्ड के आदेशानुसार
कृतेय इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता./–
अजय कुमार सिंघल
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

दिनांक: 27.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

YMS MOBITECH PRIVATE LIMITED
(UNDER LIQUIDATION)
LIQUIDATOR OFFICE :- PRABHJIT SINGH SONI GG1/144/C, NEAR P V R CINEMA, VIKAS PURI, NEW DELHI 110018
9810262299 LIQUIDATIONYMS@GMAIL.COM
PSGURLEENSONI@GMAIL.COM

4TH E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and regulation thereunder, that the properties stated in Table below, will be sold by **E-Auction** through the service provider **YMS Mobitech Private Limited** - via website http://www.eauctions.co.in

Date and Time of Auction	MONDAY 02.09.2019 between 01:00 P.M. to 03:00 P.M.
Last Date for Submission of EMD	31/08/2019
Inspection Date & Time	On 30.08.2019 between 12.00P.M. to 05:00 P.M. The person to be contacted for inspection is Mr. P.S.SONI 9810262299,9310262298

Lot No.	Particulars	Reserve Price	EMD
1	AROUND 5500 USED MOBILE PHONES OF ALL BRANDS AS IT IS WHERE IT IS BASIS	17,00,000	2,00,000
2	500 SHARES OF EZCRED PVT LTD	14,00,000	2,00,000

The EMD (Refundable) shall be payable by interested bidders through NEFT/RTGS on or before- 28.08.2019 in an account of **"YMS Mobitech Private Limited (Under Liquidation)"** having **Account No. 148311031126** and **IFSC Code BKDN0711483** OR by DD/Pay order favouring **"YMS Mobitech Private Limited (Under Liquidation)"**. For detailed terms & conditions of E-auction sale, refer **TENDER DOCUMENTS** available on http://www.eauctions.co.in/ or www.sunresolution.in. For any query regarding E- Auction, contact **Mr. Dixit Prajapati (M:7874138237)** on admin@eauctions.co.in or Liquidator on liquidationyms@gmail.com.
PRABHJIT SINGH SONI
(LIQUIDATOR)
Appointed by HON'BLE NCLT, ALLAHABAD BENCH
FOR YMS MOBITECH PRIVATE LIMITED (UNDER LIQUIDATION)
LIQUIDATIONYMS@GMAIL.COM IBBI/IPA-002/IP-N00065/2017-18/10143
DATED 26th August, 2019
PLACE NEW DELHI 9810262299

SEASONS TEXTILES LIMITED
CIN - L18101DL1986PLC024058
Regd. Off: 26,Feroze Gandhi Road, (Lower Ground Floor), Lajpat Nagar -III, New Delhi: 110 024
Website : www.seasonsworld.com, Email : cs.stl@seasonsworld.com
Phone No. 0120-4690000,Fax : 0120-4351485

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of SEASONS TEXTILES LIMITED will be held on Monday the 23rd day of September, 2019 at 11.00 A.M. at Royal Vatika, Main Bus Stand, Khera Khurd, Delhi – 110082.

Notice convening the AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 has been mailed through electronic mode to the members who have registered their e-mail IDs with their Depository Participants and dispatched through courier to the other members in physical mode to their registered address. The notice of the AGM of the Company inter alia indicating the process and manner of e-voting alongwith attendance slip and proxy form can also be downloaded from www.seasonsworld.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with rules and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain close from Monday, the 16th day of September, 2019 to Monday, the 23rd day of September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management And Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by The Institute of company Secretaries of India, the Company is pleased to provide the Members, facility to exercise their right to vote at the 33rd AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The details pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

1. Date of completion of sending notice :30th August, 2019
2. The voting period begins on September 19, 2019 (10.00 A.M.) and ends on September 21, 2019 (5.00 P.M.). During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (relevant date) of September13, 2019, may cast their vote electronically.
3. The e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 P.M. on September 21, 2019.
4. The notice of AGM is available on Company's website www.seasonsworld.com.
5. In case of any queries or issues regarding e-voting, please contact helpdesk.evoting@cdslindia.com or 1800-200-5533.
6. Kindly note that once you cast your vote through E-voting, you cannot modify or vote on poll at the AGM. However, you can attend the meeting and participate in the discussions.
7. The result of e-voting will be announced by the Company on its website and also informed to the Stock Exchanges.

By the order of the Board
For Seasons Textiles Limited
Sd /-
Managing Director

Date : 26.08.2019
Place : New Delhi

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.8 डि.से.	36.8 डि.से.	35.3 डि.से.	37.3 डि.से.
न्यूनतम	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	27.3 डि.से.	27.3 डि.से.

रिश्वत लेने में पुलिस अधिकारी को चार साल की जेल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी को चार साल की सजा सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि जन सेवकों में भ्रष्टाचार में शामिल होने की प्रवृत्ति है और इस पर सख्ती के साथ काबू पाने की जरूरत है। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने सरूप सिंह को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

जज ने कहा कि भ्रष्टाचार की समस्या शायद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें शामिल लोगों को न्यूनतम से कम कारावास की सजा देने का कोई सवाल ही नहीं है। सिंह के खिलाफ 2016 में लिखित शिकायत पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि केशवपुरम थाने के तहत आने वाले लारेंस रोड औद्योगिक इलाके में शिकायतकर्ता अपनी कैंटीन की मरम्मत करा रहा था, लेकिन सिंह ने उसे ऐसा करने से रोका। उस समय वे हेड कांस्टेबल थे। शिकायत के मुताबिक, सिंह ने कैंटीन की मरम्मत का काम करने देने के लिए दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद सीबीआइ ने जाल बिछा कर सिंह को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेने के दौरान रंगे-हाथों पकड़ लिया। दोषी ने अदालत से इस आधार पर नरमी की गुहार लगाई कि उसके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता, बीमार पत्नी और नाबालिग बेटी और बेटा हैं जो सभी उसी पर निर्भर हैं।

हेडफोन खरीदने को लेकर हुआ विवाद

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर युवक की पीट-पीट कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

- पुलिस ने शुरुआती जांच में दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया है
- स्टेशन परिसर के बाहर अवैध दुकान लगाने वालों को हटाने की मांग

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकास द्वार पर हेडफोन खरीदने को लेकर हुए कथित झगड़े में एक युवक की दुकानदारों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक के परिवार वालों अन्य आरोपियों की गिरफ्तार की मांग की है।

चश्मदीदों ने बताया कि ओवैस का स्टेशन पर पटरी लगाने वाले कुछ युवकों के साथ झगड़ा हो गया था। मारे गए युवक की पहचान मोहम्मद ओवैस के रूप में हुई है। जबकि चश्मदीदों के बयान पर लल्लन और अयूब उर्फ सरफराज को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि झगड़ा हेडफोन की कीमत को लेकर हुआ था। उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सोमवार रात 10 बजे सूचना मिली कि स्टेशन के निकास द्वार के पास एक युवक अचेत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उसे तुरंत अरूणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के पास से मिले कागजात से उसकी पहचान मोहम्मद कारी ओवैस के रुप में हुई है।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर और निकास द्वार पर पटरी पर कई लोग अवैध रुप से दुकान लगाते हैं। कई बार शिकायत के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोगों ने इन्हें हटाने की मांग की है।

पुलिस मुख्यालय में तैनात संयुक्त आयुक्त साइबर ठगी के हुए शिकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

पुलिस मुख्यालय में तैनात संयुक्त आयुक्त अतुल कटियार के क्रेडिट कार्ड से हुई 28 हजार रुपए की ठगी में मंगलवार को पुलिस के हाथ कुछ सुराग नही लगे। ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड से दो बार में 28 हजार 150 रुपए उड़ा दिए। घटना के एक दिन पहले कटियार के मोबाइल पर एक लिंक वाला मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि कार्ड का क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए भेजे गए लिंक पर अपनी जानकारी अपडेट करें। ठगों के झांसे में आए कटियार को खाते से रुपए निकालने का समाचार तब पता चला जब उनके खाते से रुपए निकाल लिए गए। कटियार के पास स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) का क्रेडिट कार्ड है। इस मामले में आला अधिकारियों की टीम जांच कर रही है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

उत्तम नगर में व्यापारी के घर पर गोलीबारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

उत्तम नगर इलाके में एक व्यापारी के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई और फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आए व्यापारी श्याम वर्मा ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है।

कुलदीप बिश्नोई का 150 करोड़ का 'बेनामी होटल' जब्त

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

आयकर विभाग ने हरियाणा के कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई के गुरुग्राम स्थित एक होटल को 'बेनामी' संपत्ति के तौर पर जब्त कर लिया है। यह एक महंगे व्यावसायिक इलाके में है और इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों की यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत की गई है। एजंसी द्वारा देखे गए आदेश-पत्र के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम है। इसकी पहचान 'ब्रिस्टॅल होटल' के तौर पर की गई जो डीएलएफ फेज-1 में स्थित है। विभाग ने कर-अपवंचन के आरोप में जांच के सिलसिले में 23 जुलाई को हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बिश्नोई से जुड़े 13 ठिकानों पर छापे डाले थे। आयकर सूत्रों के बताया कि जांच में सामने आया है कि जब्त की गई कंपनी में 34 फीसद शेयर एक 'दिखावे की' कंपनी के नाम हैं जो करचोरों की पनाहगाह माने जाने वाले विदेशी क्षेत्र 'ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड' में पंजीकृत है और उसका परिचालन संयुक्त अरब अमीरात से हो रहा था। उन्होंने कहा कि होटल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी और उसके स्वामित्व वाली होटल की अचल संपत्तियां 'कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन (बिश्नोई के भाई) की बेनामी संपत्तियां हैं।' बेनामी संपत्ति उन्हें कहा जाता है जिसका वास्तविक लाभार्थी वह नहीं होता जिसके नाम पर वह पंजीकृत होती है। दोनों भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता भजन लाल के बेटे हैं। बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। जबकि मोहन राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड में बेनामी शेयरधारक बिश्नोई परिवार के 'बेहद निकट संबंधी' हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी पर नियंत्रण बिश्नोई के पास है और ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए पैसे के प्रबंध भी बिश्नोई ने किया। विभाग ने अपने आदेश में आरोप लगाया है कि मूल तौर पर कंपनी का परिचालन बिश्नोई बंधु अपने देश और विदेश के सहयोगियों के साथ मिलकर कर रहे हैं।

छापे के बाद आयकर विभाग ने आधिकारिक बयान में कहा था कि बिश्नोई और उसके परिवार से जुड़ी 200 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी संपत्ति उसकी जांच के दायरे में है। बेनामी संपत्ति कानून 1988 में बनकर तैयार हो गया था लेकिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नवंबर 2016 में लागू किया। इस कानून में सश्रम कारावास समेत सात साल तक की सजा और संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 25 फीसद तक का जुर्माने का प्रावधान है।

गुरुग्राम के महंगे व्यावसायिक इलाके में स्थित है ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड

बवाना की एक फैक्टरी और महिला आयोग के दफ्तर में आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली के बावना इलाके की एक फैक्टरी में मंगलवार दोपहर आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफल रहे। उधर, आइटीओ विकास भवन स्थित दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर के एक कमरे में भी मंगलवार शाम आग लग गई। इन दोनों वारदातों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मंगलवार रात तक दोनों जगहों पर दमकल और बचाव टीम आग बुझाने में लगे रहे।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक, बवाना की फैक्टरी में दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर एच ब्लॉक के 616 नंबर प्लाट पर कुरकुरे (पॉपकार्न) बनाने की फैक्ट्री में आग लगी थी। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग को शाम छह बजे तक बुझा लिया गया था। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर के एक कमरे में शाम 6 बजकर 30 मिनट पर अचानक आग लग गई। भवन की दूसरी मंजिल पर आयोग का दफ्तर है। अग्निशमन विभाग ने सात गाड़ियां मौके पर भेजा।

स्वाति मालीवाल पहुंची महिला आयोग के दफ्तर

संत समिति शुरू करेगी जंतर मंतर पर अनशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली के चर्चित संत रविदास के मंदिर को लेकर सियासत मंगलवार को तेज हो गई। एक तरफ जहां मंदिर तोड़ जाने खिलाफ खड़े हुए संत समाज ने जंतर मंतर पर 30 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने की घोषणा कर दी, वहीं कांग्रेस के दो नेता इस मुद्दे को लेकर अदालत पहुंच गए। बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 अगस्त को मंदिर गिरा दिया था।

संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की वकालत कर रहे संत समाज की ओर से संत सुखदेव वाघमारे ने मंगलवार को बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में सरकार से तुगलकाबाद स्थित संत रविदास के मंदिर स्थल व आश्रम को तुरंत उसके मूलस्थान पर दोबारा स्थापित करने और मंदिर व आश्रम की भूमि को गुरु रविदास जयंती समारोह समिति को अविलंब सौंपने की मांग की। इसके अलावा वाघमारे ने 21 अगस्त को रामलीला मैदान में हुए रोष प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को अविलंब और बिना शर्त रिहा करने की मांग भी की। सुखदेव वाघमारे ने संवाददाताओं से कहा- यदि सरकार संत समाज और संत गुरु रविदास में आस्था रखने वालों की बात नहीं मानती है, तो 30 अगस्त से संत समाज के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा।

कांग्रेस ने दाखिल की याचिका

रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 'पूजा का अधिकार' संवैधानिक अधिकार है। लिहाजा पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे में मंदिर का पुनर्निर्माण कराने के साथ दोबारा मूर्ति स्थापित की जाए। इससे पहले संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक को भी ज्ञापन भेजा जा चुका है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर डीडीए से जमीन सौंपे जाने की सूरत पर मंदिर का निर्माण दिल्ली सरकार की ओर से किए जाने की घोषणा कर चुके हैं।

96 लोग हुए हैं गिरफ्तार

रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ दलित समाज के लोगों ने पिछले हफ्ते रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया था। आंदोलन के बाद इलाके में हिंसा और आगजनी की घटना भी हुई। मामले में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर समेत 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए चंद्रशेखर का दावा था कि उन्हें साजिश में फंसाया गया। पुलिस ने दावा किया कि हिंसा में लगभग 50 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

बुजुर्गों और बच्चों को आपस में मित्र बनाएगा 'मैत्री'

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 अगस्त।

बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली पांच छात्राओं ने 'मैत्री' नाम से ऐप बनाया है, जो अनाथालय एवं वृद्धाश्रम को आपस में जोड़कर बच्चों एवं बुजुर्गों के बीच दोस्ती कराएगा। यह ऐप हर व्यक्ति को अनाथालय एवं वृद्धाश्रम में समय, धन एवं अन्य सामान प्रदान करने के लिए मंच भी प्रदान करेगा। 100 फीसद मुफ्त में प्रयोग होने वाले इस ऐप को एक हजार से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। फिलहाल 13 वृद्धाश्रम और सात अनाथालय इस ऐप से जुड़े हैं। ऐप को भारत के साथ वैश्विक स्तर पर भी खासी लोकप्रियता मिल रही है।

पांच छात्राओं ने बनाया है ऐप

अनन्या ग्रोवर, वंशिका यादव, वसुधा सुधिंद्रा, अनुष्का शर्मा और अरेफा, पांचों एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं। मैत्री ऐप टीम की मुखिया अनन्या ग्रेवर ने बताया कि वह बुजुर्गों की देखभाल करने में अपना योगदान देना चाहती थीं। मैत्री ऐप टीम को विश्व टेक्नोवेशन चैलेंज में कांस्य पदक मिला है। भारत का प्रतिनिधित्व केवल इसी समूह ने किया। स्कूल अध्यक्ष अमिता चौहान के मुताबिक यह ऐप उन सभी के लिए सहायक होगा, जहां बुजुर्गों को बच्चों का सहारा एवं निश्छल प्रेम मिलेगा, वहीं बच्चों को भी बुजुर्गों से जीवन जीने का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

खबरों में शहर

'कूड़ा जलाने से रोकने को लगाए कर्मचारी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक पार्क से प्लास्टिक का अपशिष्ट हटा दिया है और कूड़ा जलाने से रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अतिक्रमण करने वालों को हटाकर पार्क का जीर्णोद्धार करने के लिए पुलिस से मदद मांगी जा रही है।

कच्ची कॉलोनियों के सम्मेलन रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

भाजपा नेता विजय गोयल ने बताया कि 31 अगस्त को कच्ची कॉलोनियों का सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद यह निर्णय लिया गया है। उनहोंने बताया कि इस सम्मेलन को 1797 कच्ची कॉलोनियों के आरडब्लूए संगठन आयोजित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबिटाट सेंटर : उर्दू लेखन पर चर्चा, सभागार, लोधी रोड, शाम 7 बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : प्रो एमजीके मेनन स्मृति ब्याख्यान, सीडी देसमुख सभागार, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े 6 बजे।

फेसबुक से दोस्ती कर नौकरी दिलाने के नाम पर 16.25 लाख ठगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

फेसबुक पर बनी एक दोस्त ने राजस्थान के युवक से इंग्लैंड में नौकरी लगाने के नाम पर 16.25 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला महरौली इलाके का है। आरोपी महिला ने युवक को इंग्लैंड की एक कंपनी के फर्जी दस्तावेज भी भेजे। पीड़ित राजस्थान निवासी सुशील कुमार शर्मा के बयान पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी हैं।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों के मोबाइल नंबर फर्जी आइडी पर लिए गए थे और फेसबुक आइडी भी फर्जी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़ित सुशील ने अपनी शिकायत में बताया है कि मार्च 2019 में फेसबुक पर उनके पास फेसबुक पर गरिमा शर्मा नाम से एक महिला ने दोस्ती का प्रस्ताव भेजा। दोस्ती के बाद बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान सुशील शर्मा ने गरिमा शर्मा को बताया कि वह दुबई में नौकरी करता था लेकिन बीते कुछ समय से उसकी नौकरी छूट गई है। इसके चलते वह इन दिनों गांव आया हुआ था और विदेश में नौकरी की तलाश कर रहा है। इस बात पर गरिमा शर्मा ने इंग्लैंड में उनकी नौकरी लगवाने की बात कही। उसने एक ई-मेल आइडी व फोन नंबर देकर उस पर दस्तावेज और पैसे मांगे।

'आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं दिल्ली सरकार के कॉलेज'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध कॉलेजों में आर्थिक संकट के निदान के लिए डीयू कार्यकारी परिषद और नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से राहत की मांग की है।

संगठन की ओर से इस बाबत लिखे गए पत्र में विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा गया है कि सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इन सभी सहभागियों के साथ किसी भी तरह के अन्याय न करें और यदि डीयू के स्तर पर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसके लिए विश्वविद्यालय के स्तर पर समाधान करें।

एनडीटीएफ के पूर्व अध्यक्ष व डीयू में कार्यकारी परिषद् के पूर्व सदस्य डॉक्टर एके भागी ने बताया कि हमने अपने पत्र के माध्यम से उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत कॉलेज कर्मचारियों को मिलने वाले एचआरए की राशि को तुरंत प्रदान करने की कार्रवाई करें। साथ-साथ सभी अनुदान प्राप्त कॉलेजों को निर्धारित अनुदान समय रहते जारी किया जाए जिससे कि कॉलेज में वेतन प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुदान की कमी न रहे।

युवा हुनर — एकाग्रता नहीं मस्ती के माहौल में बनाते हैं डूडल

कम सोच और संसाधन की उत्सवी कला

आशीष दुबे
नोएडा, 27 अगस्त।

डूडल आर्ट यानी चित्रकला और रेखांकन का ऐसा मिश्रण है, जिसे एकाग्रता के बजाए मस्ती या कैसे भी माहौल में बनाया जाता है। कई लोगों में एक खास आदत होती है, वे कभी कॉपी पर, पेपर पर तो कभी किताबों या डेस्क पर चित्र बनाते नजर आते हैं। इन चित्रों को डूडल्स कहा जता है। डूडल व्यक्ति के नजरिए और सोच को बताता है। यदि कोई व्यक्ति आड़ी-तिरछी लकीरों से बार-बार एक खास चित्र बनाता है, तो यह उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। डूडल विशेषज्ञ किसी के द्वारा बनाए गए चित्रों के जरिए उसके स्वभाव को काफी हद तक बता सकते हैं।

बड़ी आइटी कंपनियां डूडल आर्ट का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों का तनाव दूर करने या मेडिटेशन के लिए भी कर रही हैं। खास तौर पर युवाओं के बीच इस कला को सीखने का जबरदस्त क्रेज है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर-16 ए में तीन दिवसीय कला प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में पहुंचे स्कूल- कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने इस कला की अंतरराष्ट्रीय स्तर के डूडल आर्टिस्ट शांतनु हजारिका से बारीकियां समझी। शांतनु हजारिका 2014 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुई विश्व डूडल आर्ट प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। 2017 में कैलीफोर्निया में हुई इस प्रतियोगिता में वे बतौर जज रहे। फिलहाल वे चित्रकला और रेखांकन के मिश्रण वाली इस कला की बारीकियां लोगों को सिखा रहे हैं। उनके मुताबिक गूगल का डूडल, वास्तव में इस कला का बहुत छोटा भाग है। डूडल कला भारत की मधुबनी पेंटिंग कला जैसी है। लेकिन इसका उद्गम पश्चिमी देशों से हुआ है। वहीं से यह कला भारत समेत अन्य देशों तक पहुंची है। भारत के ग्रामीण अंचल में बहुत पहले से डूडल-ट्रक आर्ट से प्रेरित हैं। ट्रकों पर काफी पहले से खूबसूरत चित्रकारी की परंपरा रही है, ताकि ट्रक चालक घर से महीनों दूर रहने के दौरान अपने दिमाग को तनाव मुक्त रख सकें। डूडल में पशु-पक्षी और पेड़-पौधों को शामिल किया गया है। शांतनु बताते हैं कि बगैर सोच के कुछ बनाना डूडल है। आप किसी बैठक में बैठकर बगैर संसाधन (स्केल आदि) के जो वैचारिक रेखांकन करते हैं, वही डूडल आर्ट है। यह यादाश्त बढ़ाने वाली वर्जिश जैसी है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में रहने वाले शांतनु लगातार कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित युवाओं को डूडल आर्ट की विधा में दक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। डूडल आर्ट का इन दिनों फैशन, टी-शर्ट प्रिंटिंग समेत किताबों और विज्ञापनों में जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है।

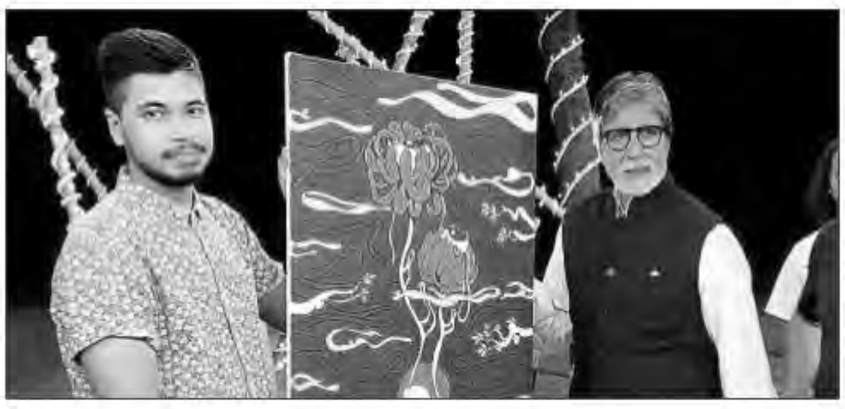

अमिताभ बच्चन के साथ शांतनु

गूगल डूडल- घटनाओं या उपलब्धियों का अस्थायी परिवर्तन

स्वतंत्रता दिवस पर गूगल डूडल में भारत के तिरंगा को खूबसूरती से शामिल किया है। इससे पहले विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाया। गूगल डूडल एक विशेष अस्थायी परिवर्तन है, जो गूगल के होमपेज पर प्रतीक निशान (लोगो) को बदलकर किया जाता है, ताकि घटनाओं और लोगों की उपलब्धियों को यादगार बनाया जा सके। विश्व स्तर पर गूगल और रेड बुल डूडल कला को बढ़ावा देने का सबसे ज्यादा काम कर रही हैं।

जमानत देने के लिए की गई थी 40 करोड़ की पेशकश : पूर्व जज

हैदराबाद, 27 अगस्त (भाषा)।

खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी से जुड़े 'धन के बदले जमानत' के कथित मामले में एक पूर्व सीबीआइ विशेष न्यायाधीश यहां की अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुए और दावा किया कि 2012 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री को जमानत देने के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

पूर्व न्यायाधीश एन मारुति सरमा 2012 में सीबीआइ मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधीश रहे थे और वह रेड्डी से जुड़े कथित अवैध खनन मामले की सुनवाई कर रहे थे।

सरमा ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत के समक्ष अपना पुराना दावा दोहराया कि रेड्डी को जमानत प्रदान करने के लिए एक अन्य न्यायिक अधिकारी के जरिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। मामले की सुनवाई वर्तमान समय में शहर की एसीबी अदालत में हो रही है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 सितंबर तय की गई। रेड्डी मामले के सिलसिले में 2012 में हैदराबाद की जेल में थे और उन्होंने सीबीआइ अदालत से जमानत मांगी थी।

सरमा ने पहले दावा किया था कि उन्होंने न्यायिक अधिकारी द्वारा की गई पेशकश ठुकरा दी थी। पेशकश कथित रूप से उस समय की गई थी, जब सरमा न्यायिक अधिकारी से मिलने गए थे, जो उनके वरिष्ठ थे। उस न्यायिक अधिकारी ने सरमा को कथित रूप से मिलने के लिए बुलाया था। रेड्डी को मामले में एक अन्य न्यायाधीश द्वारा जमानत दी गई थी और सीबीआइ ने मामले में एसीबी से शिकायत की थी। मामले में दो न्यायाधीशों को निलंबित किया गया था।

प्रेस की स्वतंत्रता एकतरफा नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह द्वारा समाचार पोर्टल 'द वायर' और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एकतरफा नहीं हो सकती और पीत पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए।

यद्यपि शीर्ष अदालत ने मामले में मुकदमे का सामना करने के संबंध में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ समाचार पोर्टल को अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी, लेकिन पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से देश में पत्रकारिता हो रही है उससे हाल के समय में न्यायपालिका संस्था को काफी कुछ झेलना पड़ा है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई सक्षम अदालत तेजी से पूरा करेगी। पीठ ने साथ ही कहा, 'प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकती।' पीठ ने शीर्ष अदालत में पिछले करीब डेढ़ साल से लंबित इस अपील को वापस लेने की अनुमति देते हुए देश में इस समय की जा रही पत्रकारिता पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने इस तरह के चलन की कड़ी आलोचना की कि समाचार पोर्टल किसी व्यक्ति का पक्ष जानने के लिए प्रतिक्रिया मांगने के बाद 5-6 घंटे भी इंतजार नहीं करते हैं और लेख प्रकाशित कर देते हैं।

SBI भारतीय स्टेट बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
एस एम ई ब्रांच मायापुरी
ए-95, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, मायापुरी, नई दिल्ली, दिल्ली-110064, ईमेल: sbi.03479@sbi.co.in

कब्जा सूचना

नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिए

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के 8 और 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सूचना निर्गत कर उक्त सूचना में वर्णित राशि का जारी कर कर्जदारों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का वापस लौटाने का निर्देश दिया था। कर्जदारों द्वारा राशि को वापस लौटाने में विफल रहे अतः एतद्द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुनाफे जाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों पर उधारकर्ता के ध्यान को आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे वहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवहार लागत, ब्याज, आकस्मिक लागत आदि तथा उस पर ब्याज के लिए भारतीय स्टेट बैंक के भार के अधीन होगा। कृपया की गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है।

उधारकर्ता और गारंटर का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण (चल व अचल)	बकाया राशि (धारा 13 (2) की सूचना में वर्णित के अनुसार	मांग सूचना की दिनांक 02.05.2019
उधारकर्ता मैसर्स एम पी डी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड गारंटर श्रीमती नीलो भान, श्रीमती प्रभा भान, श्री अनुप भान और श्री अनिल भान	1) डी-32, सेकेण्ड फ्लोर, माप 605 वर्ग गज, खसरा (27*5 =135), खसरा नं. 100/1, 102/2, 3 ग्राम महमूदाबाद, तहसील, दिल्ली 110043 में स्थित है। 2) मकानों के बिल्डिंग सर्वे नं. डी-402 (440), थर्डी मंजिल, पार्ट ऑफ डी-40, थर्डी मंजिल मदनगीर क्वार्टर्स (HM HT क्वार्टर्स) (पार्ट) इन्डस्ट्रियल सोसाइटी, सेक्टर-22, द्वारका, दिल्ली-110075	₹ 3,51,93,705.29 दिनांक 02.05.2019 तक तथा आगे के ब्याज और अन्य खर्चे आदि।	कब्जा सूचना की दिनांक 26.08.2019

दिनांक 28.08.2019 स्थान: दिल्ली हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

बागी भूपेंद्र हुड्डा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे की चुनावी टीम का एलान शीघ्र करेंगी और इसके लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ-साथ वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।

सूबे में पार्टी नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण चुनावी तैयारियों पर पड़ रहे असर के मद्देनजर गांधी ने प्रदेश के प्रभारी पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद को ताकीद की है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दी से जल्दी कांग्रेस की एक मजबूत टीम बनाई जाए और राज्य के सभी प्रमुख नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर सियासी बिगुल फूंक दिया जाए। समझा जा रहा है कि झारखंड की तर्ज पर ही हरियाणा में भी एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ तीन-चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और नई टीम की घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है।

हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव आजाद ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। झारखंड कांग्रेस के महासचिव आरपीएन सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे।

ब्राजील ने आग बुझाने की पेशकश ठुकराई

ब्रासीलिया, 27 अगस्त (एएफपी)।

अमेजन के जंगलों में लगी भयावह आग बुझाने के लिए जी-7 देशों की ओर से की गई मदद की पेशकश ब्राजील ने ठुकरा दी है।

राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो के चीफ ऑफ स्टाफ ओनिक्स लोरेन्जॉनी ने कहा, 'हम (मदद की पेशकश की) सराहना करते हैं लेकिन शायद वे संसाधन यूरोप में पुनः वनीकरण के लिए ज्यादा प्रासंगिक हैं।' लोरेन्जॉनी की यह टिप्पणी जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस की ओर से दो करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का संकल्प लेने के संदर्भ में थी। ब्राजील के शीर्ष अधिकारी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह अपने घर व क्षेत्र पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, 'मैक्रों विश्व धरोहर गिरजाघर में आग लगने से रोक नहीं पाए। वह हमारे देश को क्या सिखाना चाहते हैं।' उनका इशारा 'नोत्रे देम कैथेड्रल' में अप्रैल में लगी आग की ओर था। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस टिप्पणी की बाद में पुष्टि की गई है।

गंदगी फैलाने से मना करने पर पीट-पीटकर हत्या

मुंबई, 27 अगस्त (भाषा)।

दक्षिण मुंबई में फुटपाट पर रहने वाले व्यक्ति ने 63 साल के रेहड़ी वाले की कथित रूप से बांस से पीट-पीट कर हत्या कर दी। रेहड़ी वाले ने आरोपी को अपनी रेहड़ी के पास गंदगी फैलाने से मना किया था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान 30 साल के राजेश विश्वकर्मा के तौर पर हुई है।

BHARAT EKANSH LIMITED
REGD. OFF.- H NO.116, F/F, VILLAGE KOTLA, MAYUR VIHAR PHASE-I, NEAR HUKUM SINGH DAIRY, DELHI-110091
CIN: L74899DL1985PLC020973, Ph. No. 9355777335-36, Website-www.bharatekansh.com, E-mail: bharat.ekansh.ltd@gmail.com

Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter & Year ended 31.03.2019 (in Rs)

Sr No	Particulars	Quarter Ended 31.03.2019 Audited	Quarter Ended 31.12.2018 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2018 Audited	Year ended 31.03.2019 Audited	Year ended 31.03.2018 Audited
1	Total income from operations	330,000.00	50,000.00	161,400.00	480,000.00	302,800.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-42,606.00	-41,730.00	37,272.00	15,278.50	131,106.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-42,606.00	-41,730.00	37,272.00	15,278.50	131,106.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-57,391.00	-41,730.00	37,272.00	495.50	97,336.00
5	Paid-up equity share capital (Face Value of the Share shall be indicated)	8,269,210	8,269,210	8,269,210	8,269,210	8,269,210
6	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-
7	Earnings per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)					
	(a) Basic	-0.069	-0.050	0.045	0.001	0.118
	(b) Diluted	-0.069	-0.050	0.045	0.001	0.118
8	Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)					
	(a) Basic	-0.069	-0.050	0.045	0.001	0.118
	(b) Diluted	-0.069	-0.050	0.045	0.001	0.118

See accompanying note to the financial results

Note:-
1 The above is an extract of the detailed format of Quarter & Year ended March 31, 2019, Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Financial Results has been filed with Stock Exchange.
2 The Statutory Auditor of the Company have conducted a "Limited Review" of the financial results for the period ended on March 31, 2019
3 Figures for the previous periods have been regrouped , wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

By Order of the Board
Bharat Ekansh Limited
Sd/-
Sunil Kumar Director
DIN No. 08161469

Place : Delhi
Date : 27.08.2019

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

Gujchem Distillers India Limited
(Corporate Identification Number: L24230GJ1939PLC002480)
Registered Office: Office No. 6, 2nd Floor, National Chambers, Nr. City Gold, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India
Tel. No. +91-79- 26580893, **Email:** gujchemdistillers@gmail.com; **Web:** www.gujchemdistillers.com

This advertisement ("**Post Offer PA**") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("**Manager to the Offer**") on behalf of Mr. Sagar Samir Shah ("**Acquirer 1**") and Mrs. Rajasvee Sagar Shah ("**Acquirer 2**") (Acquirer 1 and Acquirer 2 are jointly referred to as the "**Acquirers**") pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (the "**SEBI (SAST) Regulations**") in respect of the Open Offer ("**the Offer**") to acquire upto **42,091** fully paid-up equity shares of Rs.10/- each (the "**Equity Shares**") at a price of **Rs. 120/-** per Equity Share (the "**Offer Price**"), representing 26.00% of the Equity Share & Voting Capital of Gujchem Distillers India Limited (the "**Target Company**"). The Detailed Public Statement ("**DPS**") and Corrigendum to DPS ("**Corrigendum**") with respect to the aforementioned Offer was published on June 12, 2019 and July 16, 2019 respectively in the following newspapers:

Sl. No.	Newspapers	Language	Editions
1.	The Financial Express	English	All Editions
2.	Jansatta	Hindi	All Editions
3.	Mumbai Lakshadeep[1]	Marathi	Mumbai Edition
4.	The Financial Express[2]	Gujarati	Ahmedabad Edition

[1]Where Equity Shares of the Company are listed and traded
[2]Where Registered Office of the Target Company is situated.

The terms used but not defined in this Post-Offer PA shall have the same meanings assigned to them as in the PA, the DPS, the Letter of Offer (LOF), Corrigendum and the Offer Opening PA.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

1. Name of the Target Company : Gujchem Distillers India Limited
2. Name of the Acquirers and PACs : **Acquirers** Mr. Sagar Samir Shah ("Acquirer 1") and Mrs. Rajasvee Sagar Shah ("Acquirer 2") There is no PAC with the Acquirers.
3. Name of the Manager to the Offer : Systematix Corporate Services Limited
4. Name of the Registrar to the Offer : Bigshare Services Private Limited
5. Offer Details
   Date of Opening of the Offer : Wednesday, July 31, 2019
   Date of Closure of the Offer : Wednesday, August 14, 2019
6. Date for communicating the rejection / acceptance of Equity Shares in the Offer and /or corresponding payment for the acquired Equity Shares and / or refund or credit of the rejected share certificate(s) or Equity Shares to corresponding Shareholders or accounts holders : Wednesday, August 21, 2019
7. Details of Acquisition

Sl. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price (per Equity Share) • Fully Paid-up Shares • Partly Paid-up Shares	Rs. 120.00/- Not applicable		Rs. 120.00/- Not applicable	
7.2	Aggregate number of shares tendered	42,091		7,755	
7.3	Aggregate number of shares accepted	42,091		7,755	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	Rs. 50,50,920/-		Rs. 9,30,600/-	
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreement / Public Announcement • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital & Voting Capital	NIL NIL		NIL NIL	
7.6	Shares acquired by the Acquirers by way of Agreement*(s) • Number • % of total Share Capital & Voting Capital	84,329 (52.09%)		84,329 (52.09%)	
7.7	Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirers • Number • % of total Share Capital & Voting Capital	42,091 (26.00%)		7,755 (4.79%)	
7.8	Shares acquired by the Acquirers after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	NIL		NIL	
7.9	Post offer shareholding of the Acquirers • Number • % of total Share Capital & Voting Capital	1,26,420 (78.09%)		92,084 (56.88%)	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public • Number • % of total Share Capital & Voting Capital	Pre-Offer 77,556 (47.91%)	Post-Offer 35,465 (21.91%)	Pre-Offer 77,556 (47.91%)	Post-Offer 69,801 (43.12%)

*Agreement means the SPA as defined in the PA, the DPS and the LOF.

8. Out of total Sale Shares i.e 84,329 Equity Shares, the Acquirers have acquired 79,853 Equity Shares on August 22, 2019 and the balance (4,476 Equity Shares) shall be acquired by them shortly, in compliance with Regulation 22 (1) of the SEBI (SAST) Regulations.
9. Post Open Offer, the Acquirers shall jointly hold 92,084 Equity Shares aggregating to 56.88% of the Equity Share & Voting Capital of the Target Company.
10. Post acquisitions of Open Offer and the SPA Shares, the minimum public shareholding (MPS) as required under Regulation 38 of the Listing Regulations read with Rule 19A(1) of SCRR has been maintained in the Target Company.
11. The Acquirers severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer PA and also for the obligations under the SEBI (SAST) Regulations.
12. A copy of this Post-Offer PA will be available on the websites of SEBI and BSE and at the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

SYSTEMATIX GROUP
Investments Re-defined

Systematix Corporate Services Limited
SEBI Registration No. INM 000004224
The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India
Telephone: +91-22-6704 8000; **Facsimile:** +91-22-6704 8022
Email: ecm@systematixgroup.in; **Website:** www.systematixgroup.in
Contact Person: Mr. Amit Kumar

Sd/-
Mr. Sagar Samir Shah
(Acquirer 1)

Sd/-
Mrs. Rajasvee Sagar Shah
(Acquirer 2)

Date: August 27, 2019.
Place: Ahmedabad

LINDE INDIA LIMITED
Regd. Office: Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal, 700088
Tel.: +91 33 6602 1600 | **Fax:** +91 33 2401 4206 | **Website:** www.linde.in | **CIN:** L40200WB1935PLC008184

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("**IDC**") of Linde India Limited ("**Target Company**") on the Open Offer ("**Offer**") made by The BOC Group Limited ("**Acquirer**") along with Praxair, Inc. ("**PAC 1**") and Linde Holdings Netherlands B.V. ("**PAC 2**") (collectively referred to as the "**PACs**") to the Public Shareholders of the Target Company ("**Shareholders**") pursuant to Regulations 3(1), 4, 5(1) and 5(A)(3) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("**SEBI (SAST) Regulations**").

1.	Date	August 27, 2019
2.	Name of Target Company (TC)	Linde India Limited
3.	Details of the Offer pertaining to TC	This Offer is being made pursuant to Regulations 3(1), 4, 5(1) and 5(A)(3) of the SEBI (SAST) Regulations for acquisition of upto 2,13,21,056 Equity Shares of face value ₹ 10/- each representing 25% of the Voting Share Capital of the Target Company at a price of ₹ 478.40 ("**Offer Price**")
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	The BOC Group Limited (Acquirer) Praxair, Inc. (PAC 1) Linde Holdings Netherlands B. V. (PAC 2)
5.	Name of the Manager to the offer	ICICI Securities Limited
6.	Members of the Committee of Independent Directors	Mr Jyotin Mehta [DIN No. 00033518], Chairman of the IDC Mr Arun Balakrishnan [DIN No. 00130241] Dr Shalini Sarin [DIN No. 06604529]
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the IDC Members are duly appointed independent directors of TC. None of the independent directors hold any shares in the TC. None of the IDC Members: (i) Have any relation with the TC's other directors, and (ii) Have any contracts/relationship with the TC other than in their capacity as independent directors.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the Members of IDC have traded in any of the equity shares / other securities of the Target Company during: a) the 12 months period preceding the date of public announcement; and b) from the date of public announcement till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members: (i) are directors of Acquirer and the PACs; (ii) hold any shares or other securities of the Acquirer and the PACs; and have any contracts/relationship with Acquirer and the PACs
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of IDC Members have ever traded in the shares/other securities of Acquirer and the PACs.
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹ 478.40 as offered by the Acquirer: 1. Is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. Appears to be fair and reasonable. However, the IDC has advised that the public shareholders of the TC should independently evaluate the Offer Price and take an informed decision before subscribing to the Open Offer.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC has reviewed: a) The Public Announcement ("**PA**") dated October 24, 2018; b) The Detailed Public Statement ("**DPS**") which was published on November 10, 2018; c) The Draft Letter of Offer ("**DLOF**") dated February 01, 2019;and d) The Letter of Offer ("**LOF**") dated August, 24, 2019; IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: (i) For a period of 12 calendar months (i.e., a period of December 1, 2015 to November 1, 2016, both days included) preceding the announcement of the press release dated December 20, 2016, wherein LindeAktiengesellschaft and PAC 1 announced their intention to merge, which is the triggering underlying transaction for this Open Offer, the equity shares of the TC were infrequently traded in terms of SEBI (SAST) Regulations. In such cases, SEBI (SAST) Regulations require the Acquirer/PACs and the Manager to the Offer to determine the offer price in accordance with Regulations 8(3), 8(4), and 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations. In this case, the basic offer price was determined to be ₹ 276.09 (Rupees Two hundred and Seventy Six and Paise nine only) per equity share, in accordance with the valuation report provided by Ernst and Young Merchant Banking Services Pvt. Ltd. (an independent SEBI registered merchant banker) dated 16 October 2018, in compliance with Regulation 8(16) of the SEBI (SAST) Regulations. Subsequently, SEBI appointed CNK & Associates LLP, Chartered Accountants as an independent chartered accountant for determining the fair price of the equity shares of Linde India Ltd. for the purpose of the Open Offer. As per the direction of SEBI, CNK & Associates LLP have vide their valuation report dated August 6, 2019 ("CNK Valuation Report") determined the fair price of per equity share of Linde India Ltd. at ₹ 376.63 (Rupees Three Hundred and Seventy Six and Paise Sixty three only) as on December 20, 2016. SEBI vide it's letter dated August 14, 2019, had asked the Acquirer and PACs to revise the Offer Price to ₹ 376.63 and adding interest as per Regulation 8(12) and Regulation 5A(3) of SEBI (SAST) Regulations. (ii) The new base Offer Price of ₹ 376.63 as aforesaid has been enhanced to ₹ 478.40 (Rupees Four Hundred Seventy Eight and Paise Forty only) as a result of inclusion of ₹ 101.77 towards total interest for the period of delay, comprising (a) interest amounting to ₹ 71.10 (Rupees Seventy One and Paise Ten only) per Equity Share computed at the rate of 10% (ten percent) per annum for the period between December 20, 2016 and the date of publication of the DPS in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations, on basic Open Offer price of INR 376.63 and an additional interest amounting to ₹ 30.67 (Rupees Thirty and Paise Sixty Seven only) per Equity Share computed at the rate of 10% (ten per cent) per annum for the period between January 24, 2019 and the revised date of payment of consideration to the Public Shareholders of Linde India Ltd. i.e. October 1, 2019 in terms of Regulation 5A(3) of the SEBI (SAST) Regulations. (iii) Hence, the final Offer Price is ₹ 478.40 (Rupees Four Hundred Seventy Eight and Paise Forty only). (iv) CNK & Associates LLP, Chartered Accountants in its report dated August 6, 2019 has adopted the following valuation methods for arriving at the fair price of the equity shares and each of the methods were given equal weightage: (a) Comparable Companies' Multiple Method/Guideline Company Method – EV/EBITDA multiples of comparable companies; and (b) Discounted Cash Flows (DCF) method. Based on the review of the PA, DPS, Letter of Offer and CNK Valuation Report, and keeping in mind the above facts, the IDC is of the opinion that the final Offer Price of ₹ 478.40 offered by the Acquirers and the PACs is fair and reasonable and is in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. However, the public shareholders of the TC are advised to independently evaluate the offer price and take an informed decision before subscribing to the Open Offer.
13.	Details of Independent Advisors, if any.	None
14.	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Linde India Ltd.
Sd/-
Jyotin Mehta
Chairman of IDC

Place : Mumbai
Date : August 27, 2019

जनसत्ता

28 अगस्त, 2019

संकट की पूंजी

आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जमा पूंजी से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए देने का फैसला कर ही लिया। रिजर्व बैंक के चौरासी साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्रीय बैंक सरकार को अपनी सुरक्षित जमा पूंजी से इतनी मोटी रकम देने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने यह ऐतिहासिक फैसला जालान समिति की सिफारिश पर किया है। सरकार इस भारी-भरकम रकम को हासिल करने के लिए लंबे समय लगी हुई थी लेकिन इस मुद्दे पर केंद्रीय बैंक और उसके बीच समय-समय पर टकराव सामने आते रहे। पूर्व गवर्नर, डिप्टी गवर्नर इस पक्ष में नहीं थे कि सरकार को आरक्षित कोष से पैसा दिया जाए, क्योंकि इस तरह का कोष संकट काल के लिए रखा जाता है। ऐसे में सरकार को सामान्यतौर पर इस तरह लाखों-करोड़ों रुपए देने की परंपरा नहीं है। लेकिन अब जालान समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने सरकार को पैसे देने का फैसला कर लिया है। इस रकम में एक लाख तेईस हजार चार सौ चौदह करोड़ रुपए अपने सरप्लस से और बावन हजार छह सौ सैंतीस करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त प्रावधान के हैं। इसके अलावा नब्बे हजार करोड़ रुपए सरकार को केंद्रीय बैंक से लाभांश के रूप में मिलने हैं सो अलग। सरकार को अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं।

अब सवाल है कि सरकार रिजर्व बैंक से मिलने वाले का क्या और कैसे इस्तेमाल करती है। यह बात इसलिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि केंद्रीय बैंक पूर्व में इस तरह पैसे दिए जाने के पक्ष में नहीं रहा है। जाहिर है, आरबीआइ को कहीं न कहीं इसे लेकर कुछ संदेह रहे होंगे। मसला यह नहीं है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, बल्कि इन पैसों को किन-किन मदों में और कैसे खर्च किया जाना है, इसमें सरकार और शीर्ष बैंक के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय बैंक सरकार को हर साल सरप्लस का पैसा देता रहा है, जो एक तरह से लाभांश ही होता है। तात्कालिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल देश को मौजूदा आर्थिक संकट से निकालने में होगा। इस पैसे का इस्तेमाल ढांचागत क्षेत्र, आवास क्षेत्र, रेलवे और सड़क परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में जान डालने के लिए भी यह पैसा काम आ सकता है। अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर से रही है, निजी निवेश, निर्यात और खपत सब ठंडे पड़े हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

रिजर्व बैंक और सरकार के बीच पैसे को लेकर विवाद इसलिए गहराया था कि दो पूर्व गवर्नरों रघुराम राजन और उर्जित पटेल का मानना था कि इस तरह के कदमों से आरबीआइ की रेटिंग पर बुरा असर पड़ता है और उधारी की लागत भी बढ़ती है। इसी तरह पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी अर्जेंटीना का उदाहरण देते हुए सरकार को आरक्षित कोष से बड़ी रकम देने का विरोध किया था। अर्जेंटीना में भारी दबाव के बीच वहां के केंद्रीय बैंक ने साढ़े छह अरब डॉलर से ज्यादा की रकम सरकार को दे दी थी और कुछ महीने बाद ही उस देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नरों सहित कई अर्थशास्त्रियों को यही चिंता थी। लेकिन मौजूदा गवर्नर का कहना रहा है कि आरबीआइ के पास पर्याप्त आरक्षित कोष है और यह काफी बड़ा है। इस पैसे से अर्थव्यवस्था के संकट दूर किए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि इस पैसे से अर्थव्यवस्था के तात्कालिक संकट किस हद तक दूर होते हैं।

वादे और हकीकत

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं, जब उनकी जनसभा में एक व्यक्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश की। खट्टर इन दिनों युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ पूरे राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में वे सोनीपत में थे। सोनीपत के एक गांव में जब वे अपना रथ रोक कर जनता को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त रथ के पास पहुंच कर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। वह पहले से अपने ऊपर तेल छिड़क कर आया था। बताते हैं कि वह व्यक्ति अपने बेटों को नौकरी न मिल पाने की वजह से बहुत व्यथित था। मुख्यमंत्री ने उसके बेटों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, पर उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई थी। इस तरह आत्मदाह करने का प्रयास कर उसने खट्टर के घूम-घूम कर युवाओं को रोजगार देने के वादे की कलई खोल दी। इस प्रयास के पीछे अभी तक कोई राजनीतिक साजिश होने का प्रमाण नहीं है, जिसके पीछे सरकार अपना मुंह छिपा सके।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, इसलिए राजनीतिक दल लुभावने वादों के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास में लगे हैं। मनोहरलाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा भी इसी मंशा से आयोजित है। युवाओं को आकर्षित करने की उनकी कोशिश की वजहें भी साफ हैं। दरअसल, पिछले पांच सालों में चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें, रोजगार के नए अवसर पैदा कर पाने में नाकाम रही हैं। खुद सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह हैं। यों युवाओं को अपने रोजगार शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने की कई योजनाएं चलाई गई हैं। सरकारें कर्ज भी खूब बांटे जाने का दावा करती हैं, पर हकीकत यही है कि बेरोजगारी की दर पर काबू नहीं पाया जा सका है। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद हजारों लोगों के हाथ का रोजगार भी छिन गया। ऐसे में युवाओं और उन पर आश्रित परिजनों में हताशा साफ नजर आने लगी है। कई जगह लोगों में नाराजगी भी दिखी है। इसी नाराजगी, असंतोष और भय को दूर करने के मकसद से मनोहरलाल खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा में युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिलाते फिर रहे हैं। यह अलग बात है कि वे नए रोजगार का सृजन कैसे और कितना कर पाएंगे, इसका कोई भरोसेमंद खाका उनके पास नहीं है।

चुनाव के वक्त राजनीतिक दल गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी व्यापक स्तर पर असर डालने वाली समस्याओं को दूर करने के बढ़-चढ़ कर वादे करते देखे ही जाते हैं। मगर सत्ता में रहने वाली पार्टियों के लिए ऐसे वादे कई बार उलटा भी पड़ते हैं, क्योंकि लोगों के सामने उनके कामकाज का लेखा-जोखा होता है। मनोहरलाल खट्टर के कामकाज से लोग अपरिचित नहीं हैं। हालांकि आत्मदाह की ताजा घटना केवल उनके लिए कड़ा संकेत नहीं है। मंदी के इस दौर में, जब बाजार में मायूसी का आलम है, कई क्षेत्रों में निराशा दिख रही है, अनेक कंपनियां अपने हाथ रोके हुए हैं, यह सभी सरकारों के लिए चेतावनी है। इस घटना से विपक्ष को बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। वह पहले ही बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र को घेरने में लगा रहा है, इस घटना को एक नतीजे के रूप में पेश करेगा। इसलिए नजदीक आ रहे दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इसकी गूंज सुनाई दे, तो हैरानी नहीं।

कल्पमेधा

जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। लगातार विकसित होना स्थिर अवस्था में रहने की आज्ञा नहीं देता।

-जवाहरलाल नेहरू

ई-वाहन की कठिन डगर

सतीश सिंह

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर परंपरागत वाहनों के मुकाबले ई-वाहन महज एक फीसद हैं। लिहाजा, वर्ष 2030 तक सौ फीसद ई-वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल यात्री वाहन के निर्माण में हर साल आठ फीसद की दर से वृद्धि हो रही है। यदि देश में अभी से केवल ई-वाहनों का निर्माण किया जाता है तब भी वर्ष 2030 तक सौ फीसद ई-वाहनों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

बिजली से चलने वाले वाहनों को अपनाना समय की मांग है क्योंकि प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन गहराती जा रही है। ई-वाहनों के उपयोग से प्रदूषण का स्तर तो कम होगा ही, साथ ही पेट्रोलियम आयात पर भी देश की निर्भरता कम होगी। इतना ही नहीं, इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि ई-वाहनों का उत्पादन और इन्हें सबके लिए सुगम बनाना सरकार और उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। ई-वाहन महंगे होने के कारण आमजन इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं। एक बात यह कही जा रही है कि इन वाहनों से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।

इस साल के बजट भाषण में ई-वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। बजट में कहा गया कि यदि कोई बैंक से कर्ज लेकर ई-वाहन खरीदता है तो ब्याज पर डेढ़ लाख रुपए तक आयकर में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ई-वाहन की बैटरी खरीदने के लिए भी ग्राहकों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। देश में ई-वाहन की बिक्री बढ़ाने और बैटरी के निर्माण के लिए फैक्ट्रियां लगाने के लिए खाका तैयार किया है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2030 तक देश में सौ फीसद ई-वाहन बिकने लगेंगे।

ई-वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में पहले दौर में दिल्ली, अमदाबाद, बंगलुरु, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, जम्मू एवं गुवाहाटी आदि शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इन शहरों में एक हजार चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अलावा देश में ही बैटरी निर्माण पर जोर दिया जाएगा। भारत में लगभग 75 फीसद छोटी कारें हैं जिन्हें बिजली की गाड़ियों में बदलना और उनकी कीमत को किफायती रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वर्तमान में ई-वाहन में बैटरी के रूप में लिथियम आयन बैटरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत महंगी है।

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर परंपरागत वाहनों के मुकाबले ई-वाहन महज एक फीसद हैं। लिहाजा, वर्ष 2030 तक सौ फीसद ई-वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल यात्री वाहन के निर्माण में हर साल आठ फीसद की दर से वृद्धि हो रही है। यदि देश में अभी से केवल इ-वाहनों का निर्माण किया जाता है तब भी वर्ष 2030 तक सौ फीसद ई-वाहन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

भले ही प्रदूषण कम करने के लिए इ-वाहन के उपयोग की वकालत की जा रही है लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में रख-रखाव, गति, कीमत आदि के मामले में यह कमतर है। ई-वाहन की बैटरी काफी ज्यादा भारी होती है। यह एक बार चार्ज करने पर बहुत कम दूरी तक चल पाती है। बैटरी को तुरत-फुरत चार्ज भी नहीं किया जा सकता। भारत में बैटरी रिचार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की नहीं के बराबर ही हैं। जर्मनी जैसे विकसित एवं इ-कार के जन्मदाता देश में भी केवल चौदह हजार तीन सौ बाईस चार्जिंग स्टेशन हैं। ई-वाहन के मॉडल के अनुसार बैटरी को चार्ज करने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है। इसके सॉकेट और प्लग के लिए भी अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। चार्जिंग के सॉकेट और प्लग भी एकसमान नहीं होते हैं, जिसके कारण चार्जिंग स्टेशन पहुंचने के बाद भी बैटरी रिचार्ज हो पाएगी या नहीं, इसका डर बना रहता है। चार्जिंग के दौरान सॉकेट भी बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है। भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओला ने मिल कर नागपुर में सौ से अधिक ई-वाहन प्रयोगिक तौर पर चलाए हैं लेकिन कंपनियों को बैटरी चार्ज करने और बैटरी जनित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ई-वाहन की राह में बिजली की कमी सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए ई-वाहन की योजना को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले देशभर में सौ फीसद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

भारत में आज भी नब्बे फीसद बिजली कोयले से बन रही है। हालांकि देश में नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दर बढ़ी है लेकिन अभी भी इस स्रोत से अपेक्षित बिजली का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण की समस्या का भी बिजली वाहन निराकरण नहीं करते। वर्ष 2018 में जर्मनी में 40.2 फीसद बिजली का

उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से किया जा रहा था। नार्वे में भी बिजली का उत्पादन परंपरागत ऊर्जा की जगह नवीकरणीय ऊर्जा से ज्यादा किया जाता है, लेकिन भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत कोयला है। शोधों से पता चला है कि ई-वाहन की बैटरी के निर्माण में बिजली की ज्यादा खपत होती है और जिन देशों में कोयले से बिजली उत्पादित की जाती है वहां कार्बन-डाईऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है जबकि नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने में ऐसा नहीं होता है।

एक अनुमान के मुताबिक एक बैटरी को बनाने में लगभग पंद्रह टन कार्बन-डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा बैटरी को रिचार्ज करने में भी बिजली की खपत काफी ज्यादा होती है। लीथियम-आयन बैटरी का औसत जीवनकाल दस साल का होता है और एक कार औसतन पंद्रह हजार किलोमीटर हर साल चलती है। चूंकि भारत में दस साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में ई-वाहन में हर दस साल में बैटरी बदलने की जरूरत होगी। यदि बैटरी के निर्माण में होने वाली बिजली की खपत के साथ-साथ बैटरी को रिचार्ज करने में होने वाली बिजली की खपत को भी जोड़ दिया जाए तो कार्बन-डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का फीसद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक ई-वाहन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल एवं डीजल कारों की उत्पादन प्रक्रिया की अपेक्षा ढाई टन अधिक कार्बन-डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इस तरह, भले ही प्रत्यक्ष रूप से ई-वाहन से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप इसकी वजह से बड़ी मात्रा में कार्बन-डाईऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।

ई-वाहन की बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली लीथियम की उपलब्धता विश्व में बहुत ही कम है। लीथियम की दो-तिहाई मात्रा लैटिन अमेरिका के तीन देशों चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में उपलब्ध है। एक टन लीथियम हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और बीस लाख लीटर से ज्यादा पानी खर्च होता है। इसके अलावा, बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाले कोबाल्ट और मैंगनीज भी विश्व में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम उपलब्धता की वजह से ही लीथियम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2015 की तुलना में इसकी कीमत में चार गुना वृद्धि हो चुकी है। चूंकि इसकी खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत में और भी ज्यादा इजाफा होगा, जिससे ई-वाहन और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं।

भारत में ई-वाहन का सपना साकार करने की राह में फिलहाल अनेक बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा इसके उत्पादन और संचालन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की है। भारत में पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे। इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति जरूरी है। इसके अलावा इ-वाहनों की कीमत बड़ा मुद्दा है। जब तक ई-वाहन सस्ते नहीं होंगे, आम आदमी इन्हें खरीद नहीं सकेंगे। वाहन कंपनियों और सरकार को इन सब कामों के लिए भारी-भरकम पूंजी लगानी होगी। लेकिन नीति आयोग की ई-वाहन नीति में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।

बोझ बढ़ाती आबादी

संगीता कुमारी

दुनिया मेरे आगे

हम जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन रोजाना उनका उपयोग करके घटा अवश्य सकते हैं। यही हम कर भी रहे हैं। अपनी आबादी बढ़ाते-बढ़ाते हम कब जंगलों को शहर बना बैठे, हमें खबर ही नहीं। जंगली जानवरों का इंसानी आबादी में आकर तहलका मचा देना अब आम बात हो गई है। उनके घरों में हम घुस गए हैं तो वे अपनी पुश्तैनी जमीन देखने कभी-कभार आ ही जाते हैं। जानवरों की संख्या की बात की जाए तो उनकी आबादी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी घरेलू जानवरों में कुत्तों की आबादी बढ़ रही है।

घरों से निकली नित की दो रोटी और बचा हुआ भोजन भी उनके लिए अब कम लग रहा है। अक्सर अपनी रसोई की खिड़की से देखती हूं कि पक्षियों के लिए डाला गया खाना दीवार पर चढ़ कर कुत्ते खा जाते हैं। तब मैं देख कर भी अनजान बन कर कुत्तों के लिए और खाना डाल आती हूं। कुत्तों की बढ़ती आबादी के कारण उनका आपस में संघर्ष देख कर उन पर तरस भी आता है। दूसरी तरफ उनके भय से मेरा बाहर न निकलने का मर्म भी मुझे सताता है। फिर मैं ममतामयी बन पक्षियों के लिए दुबारा खाना डालने जाती हूं और थोड़ी देर पक्षियों के आने तक ठहर जाती हूं। उस समय मेरे भीतर एक जज बैठा दिखता है जो पक्षियों व कुत्तों के साथ न्याय करने का प्रयास कर रहा होता है। यह सिलसिला लगभग हर दिन का है।

कभी-कभी मेरे भीतर सामाजिक चिंतन भी समा जाता है। सोचने लगती हूं कि देश कहां से कहां विकास कर गया और हम इन पक्षियों, जानवरों और भूख से मरते गरीबों की सोच में डूबे रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए करोड़ों-अरबों खर्च करती नहीं! मगर वह सब शायद सही तरीके से गरीबों की सुविधाओं के लिए पहुंचता नहीं होगा! आबादी का बढ़ना भी बहुत बड़ी बाधा है। अब जब मैं स्वयं जानवरों की बढ़ती आबादी से हैरान हूं तो देश की बढ़ती आबादी से सरकार भी परेशान तो रहती होगी!

कितनी सरलता से हम हर साल अपनी जनसंख्या में करोड़ों का आंकड़ा जोड़ते जा रहे हैं। मगर हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस बढ़ती आबादी के लिए सुविधाएं कितनी उपलब्ध करा रहे हैं। नए शिशुओं के स्वागत की तैयारी में कहीं हम कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं! देश के भविष्य को बेहतर बनाना है तो सरकार को आने वाली नई पीढ़ी के लिए पहले पौष्टिक भोजन, शुद्ध जल, सस्ती और असली दवाओं और जीवनदायी अस्पतालों जैसी बुनियादी जरूरतों के बारे में सोचना होगा।

धरती का विस्तार किया नहीं जा सकता है। समुद्र को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। जितनी भूमि है उतने में ही हमें रहना भी है। अनाज उगा कर सबका पेट भरना है। लौकिक सुख-सुविधाओं के लिए प्रकृति का संतुलित दोहन भी करना है। आज से चालीस-पचास साल पहले हमारे पूर्वजों ने सोचा भी नहीं होगा कि जल जैसी प्राकृतिक सुविधा को हम कभी खरीदकर पीएंगे! वह भी हमारे भारत जैसे देश में जहां स्वच्छ जल गंगा हिमालय से स्वयं हमें जीवन देने के लिए अवतरित होती है।

इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़-पौधे, पक्षी, जानवर, जीव-जंतु, कीट-पतंगे आदि सभी की आवश्यकता है। इसलिए सभी का संतुलन बना रहे, यह भी ध्यान रखना होगा। कुत्ते सामाजिक जानवर हैं, इसलिए उनकी भी आबादी मनुष्यों के साथ-साथ बढ़ती जा रही है। हम अपनी सुविधाओं व जीवन जीने के लिए जंगल में प्रवेश करते जा रहे हैं। मनुष्यता के नाम पर जंगली बन जंगली जीवों की दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। अभी भी समय है कि सचेत होकर अपनी मनुष्यता को बचाते हुए हमें स्वयं को जानवर बनने से रोक लेना चाहिए। बढ़ती आबादी के लिए या तो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं या फिर इन पर नियंत्रण के उपाय हों।

किसी देश की आबादी अगर वहां की ताकत है तो उस आबादी का सदुपयोग न होना उस देश की बर्बादी भी होती है। आजादी के समय भारत की आबादी लगभग पैंतीस करोड़ थी। अब बहत्तर वर्षों में बढ़ कर लगभग एक सौ पैंतीस करोड़ हो गई है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की ताकत तब मानी जाती है जब उसका संसाधन के रूप में देश के विकास में उपयोग हो। लेकिन मनुष्य उचित मानव संसाधन तो नहीं बन रहा है, मगर अपनी जीविका के लिए प्रकृति के संसाधनों का भरपूर दोहन अवश्य कर रहा है। अब तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और जनसंख्या को नियंत्रित करते हुए प्रकृति के अनावश्यक दोहन से बचना चाहिए।

चौपाल

रुपए की सेहत

भारतीय मुद्रा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। बीते सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपए में अमेरिकी मुद्रा डॉलर की तुलना में 42 पैसे की गिरावट आई। बैंकों और आयातकों के बीच डॉलर की भारी मांग के कारण यह गिरावट आ रही है। विदेशी मुद्रा के कारोबारियों का कहना है कि अमेरिका और चीन में जारी व्यापार युद्ध के कारण रुपया दबाव में है और एक डॉलर खरीदने के लिए 72.03 रुपए देने पड़ रहे हैं। सोमवार को चीन की मुद्रा में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। आखिर अमेरिकी डॉलर दुनिया भर में इस कदर मजबूत क्यों है? डॉलर की मांग ज्यादा क्यों रहती है? और दुनिया के सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को ही क्यों रखते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब से हम रुपए की कमजोरी और डॉलर की मजबूती को समझ सकते हैं।

दरअसल, 1944 में ब्रेटनवुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थीं कि वे उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगी। 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति से लड़ने की जरूरत थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने फोर्ट नॉक्स को अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया। आज अमेरिकी डॉलर की पहचान एक वैश्विक मुद्रा की बन गई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर और यूरो काफी लोकप्रिय और स्वीकार्य हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64 फीसद अमेरिकी डॉलर होते हैं।

इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है यह उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर निर्भर करता है। दुनिया की दूसरी ताकतवर मुद्रा यूरो है, जिसका दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 19.9 फीसद हिस्सा है। आज भारत अगर वैश्विक महाशक्ति बनने के मंसूबे पाले है तो उसे अपनी मुद्रा की मजबूती पर भी ध्यान देना चाहिए।

● *संजीव कुमार, एमएस डिग्री कॉलेज, सहारनपुर*

बेतुके बोल

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि विपक्ष ने भाजपा के नेताओं पर मारक शक्ति का प्रयोग किया है, इसीलिए एक के बाद एक उनकी मृत्यु हो रही है। यह बयान बेतुका होने के साथ निंदनीय और समझ से परे है। एक सांसद के मुंह से ऐसी अंधविश्वासपूर्ण बातें शोभा नहीं देती हैं। वैसे प्रज्ञा ठाकुर अपने अनापशनाप बयानों के लिए कुख्यात हैं। भाजपा ने उन्हें फर्श से उठा कर अर्श पर बैठाया पर अपने विवादित बयान से वे भाजपा का ही नुकसान करने में लगी हैं। सोचने-समझने की बात है कि ऐसी कोई मारक शक्ति नहीं होती है। जीवन है तो मृत्यु तय है। यह प्रकृति का नियम है। इस प्रकार के अंधविश्वासी बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

विरोध की राजनीति

राजनीति में विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष का हर बात में विरोध करने का नकारात्मक परिणाम यह होता है कि जनता उसकी बात पर ध्यान देना छोड़ देती है। कांग्रेस आलाकमान को तो यह बात समझ नहीं आ रही, पर उनके नेताओं जयराम रमेश, शशि थरूर और मनु अभिषेक सिंघवी अवश्य ही समझ रहे हैं। पिछले पांच से अधिक वर्ष से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं अथवा राजग की सरकार बनी है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उनके हर कार्य का एकतरफा विरोध किया है, किसी अच्छे कार्य की प्रशंसा एक बार भी नहीं की। नोटबंदी, पाकिस्तान में लक्षित हमले और तीन तलाक का तो जोरदार विरोध किया ही, साथ में राष्ट्रहित से जुड़े अतिसंवेदनशील मुद्दे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का भी जबरदस्त विरोध कर बैठे।

होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्रीय एकता से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का साथ देते, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने इसे अपनी नाक का सवाल समझा। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के किसी भी दांवपेच को चूकना नहीं चाहता। कांग्रेस का यह विरोध पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने का काम करेगा और यह विरोध भारत को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी आंखों से सरकार के विरोध का चश्मा हटा कर राष्ट्रहित के लिए उसके सही कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करे। इससे कांग्रेस की छवि और जनाधार में वृद्धि ही होगी।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*

रोजगार पर संकट

जब 1951-52 में पंचवर्षीय योजना को हरी झंडी दी गई थी, तब विनोबा भावे ने कहा था कि सरकार की सभी राष्ट्रीय योजनाओं का मकसद रोजगार बढ़ाना भी होना चाहिए। सरकार को ऐसी कोई योजना या नीति बनाने से परहेज करना चाहिए, जिससे किसी भी उद्योग-धंधे पर नकारात्मक असर पड़े और लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट के बादल छाएं। उसे देश के विकास के लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे रोजगार बढ़े। हमारे देश के आर्थिक मंदी की चपेट में आने की खबरें सुर्खियां बनी हैं। इस पर सरकार, विपक्ष, अन्य राजनीतिक पार्टियों और बुद्धिजीवियों के अपने-अपने तर्क-वितर्क सामने आ रहे हैं। इस मंदी ने बहुत से लोगों के नोटबंदी के जख्मों को भी हरा कर दिया क्योंकि नोटबंदी के समय भी अनेक उद्योग धंधों, व्यापार और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ा था।

हालांकि सरकार ने मौजूदा आर्थिक मंदी से निपटने के कुछ उपाय भी किए हैं और इस मंदी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ कारण भी बताए जिनमें मुख्य अमेरिका और चीन का व्यापार युद्ध है। इन कारणों के बरक्स सरकार को आर्थिक मंदी दूर करने के लिए अपनी मौद्रिक नीतियों में रद्दोबदल करनी पड़े तो वह भी की जानी चाहिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होने का अनुमान

एक अध्ययन के मुताबिक समुद्र में 5 ट्रिलियन पाउंड प्लास्टिक तैर रहा है और इसका दो-तिहाई हिस्सा विश्व की 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों से आता है जो महासागरों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्लास्टिक का 67 फीसद है। गंगा नदी द्वारा 98 मिलियन पाउंउ प्लास्टिक प्रतिमाह समुद्र में आ रहा है। समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार इसी प्रकार प्लास्टिक समुद्र में गिरता रहा तो वर्ष 2050 तक वजन के हिसाब से समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगा।

सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का हाल बेहाल है। इन स्कूलों में कंप्यूटर विषय के शिक्षकों के नहीं होने से विद्यार्थियों का कंप्यूटर पर काम करना तो दूर चलाना भी नहीं आता। जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपने तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने में जुटी है वहीं प्रदेश के युवाओं को प्राथमिक स्तर पर इसका ज्ञान ही नहीं मिल रहा। देश में जहां कंप्यूटर शिक्षा आज के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है वहीं प्रदेश के 14 हजार 147 सरकारी सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में एक भी स्थायी कंप्यूटर शिक्षक तैनात नहीं है।

कंप्यूटर के स्थायी शिक्षक नहीं होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में इस विषय को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं छात्रों का इसमें मूल्यांकन होने के साथ उसका परिणाम भी जारी किया जा रहा है। पांच साल में सरकार ने इन स्कूलों की कंप्यूटर शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया है। यही नहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है और जहां है वहां धूल फांक रहे हैं। प्रदेश के 10 हजार स्कूलों में कंप्यूटर लैब तो है पर इनपर शिक्षक का पद मंजूर ही नहीं हुआ है।

प्रदेश में 2014 तक तो स्कूलों में अस्थायी तौर पर कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती थी। लेकिन पिछले साल ही सरकार ने संविदा पर लगे इन शिक्षकों को हटा दिया था। प्रदेश में 25 हजार कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार हैं और सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश के 14 हजार 147 स्कूलों में से 8 हजार 500 में आइसीटी फेज छह के तहत कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत स्कूलों में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं तो स्थापित हो गईं पर शिक्षकों के अभाव में यह सजावटी बनकर रह गईं हैं। इनमें 75 फीसद राशि केंद्र और 25 फीसद राशि राज्य सरकार देती है। इसके अलावा राज्य बजट से 1172 स्कूलों में भी क्लिक योजना के तहत कंप्यूटर लैब बनाया गया है।

प्रदेश के कई स्कूलों में दूसरे विषय के शिक्षकों को कंप्यूटर विषय पढ़ाने के काम में लगा दिया गया है। ऐसे शिक्षकों की बदौलत कक्षा नौ और दसवीं के विद्यार्थियों को बाकायदा फाउंडेशन आफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी के विषय का मूल्यांकन किया जा रहा है। राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ के महासचिव मुकुल आचार्य का कहना है कि प्रदेश के स्कूलों में 2014 तक बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीटेक, एमटेक जैसी योग्यता रखने वाले शिक्षक अस्थायी तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। पर उस समय की सरकार ने एक ही आदेश के तहत इन अस्थायी शिक्षकों को चलता कर दिया। कंप्यूटर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा छात्रों को दिया जाना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षा के शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। मुकुल आचार्य का कहना है कि सरकार ने क्लिक नाम की एक योजना बनाई थी। यह योजना फेल हो गई है। इन स्कूलों में गरीब तबके के विद्यार्थी ही अध्ययन करते है लिहाजा सरकार को अब इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए।

प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि नई सरकार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा पर पूरा ध्यान देगी। सरकार का प्रयास है कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी कंप्यूटर शिक्षक लगाए जाएं। इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिया गया है। मंजूरी मिलते ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस शिक्षा को उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

आग के घेरे में अस्पताल

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

भले ही एम्स में लगी आग में हताहत न होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं लेकिन एम्स सहित राजधानी के तमाम अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि आगजनी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है या होता भी है तो मरीजों की संख्या के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं इन अस्पतालों में आग लगने की सूरत में जो जरूरी उपाय किए जाने चाहिए वे भी बेकार हैं। इतना ही नहीं आग लगने पर जिस संस्थान को काफी तेजी से काम करने की दरकार होती है वह भी संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है।

अग्निशमन विभाग के पूर्व निदेशक जीसी मिश्र ने कहा कि अमूमन सभी अस्पतालों की स्थिति एक जैसी ही है। इमारतें बहुत पुरानी हैं। आग से सुरक्षा के जो उपाय जरूरी है वह हैं ही नहीं। यहां कई स्तर पर नियमों की अनदेखी होती है। अस्पतालों में आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। जीटीबी अस्पताल में ही हाल में दो दिन आग लगी। एक दिन तो इन्क्यूबेटर में ही आग लग गई थी। इन्क्यूबेटर में नवजातों को इलाज के लिए रखा जाता है।

एम्स

एनओसी मिलने के बाद अस्पताल अपने जरूरत के हिसाब से निर्माण व उपयोग करने लगते हैं फिर वे नहीं देखते कि अमुक निर्माण से नियमों की अनदेखी तो नहीं हो रही। एम्स के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जहां पर आग बुझाने के लिए मचान बनाने की जरूरत थी वहां पर निर्माण कर लिया गया है। इसी तरह जहां नई कैंटीन बनी है वहां दमकल की गाड़ी पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। एम्स की हालत यह है कि आग बुझाने के लिए जहां तक दमकल विभाग की गाड़ियों व कर्मचारियों को पहुंचना था वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं था। जो कि अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए जरूरी शर्त है।

जीटीबी

जीटीबी अस्पताल के कई फायर एग्जिट पर ताले जड़े हैं तो कहीं सामान रखने की आलमारी रखी है तो कहीं पर अस्पताल कर्मियों के कपड़े बदलने के कमरे बना दिए गए। जगह-जगह बने गलियारों में मरीजों के परिजनों का डेराडंबल पड़ा रहता है। वहीं कहीं पर दवा या दूसरे चिकित्सा संबंधी सामानों का भंडारण किया गया है तो कहीं पर कबाड़ जमा है।

डीडीयू

दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की पुरानी इमारत का हाल और यहां भीड़ का आलम तो यह है कि आग लगने की सूरत में यहां से मरीजों का बच कर भाग पाना संभव नहीं है।

निजी एवं छोटे अस्पताल

दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक दिल्ली में करीब छह सौ छोटे और मझोले स्तर के अस्पतालों में आग से सुरक्षा के मानकों का पालन ही नहीं किया जाता। यहां किसी अस्पताल में पहुंचने का रास्ता नहीं तो कहीं इमारत ही मानकों के अनुरूप नहीं है। जीसी मिश्र बताते हैं कि नियम के मुताबिक हर नौ मीटर ऊंची इमारत में ढाई मीटर चौड़ा गलियारा और दो मीटर चौड़ी सीढ़ी होनी चाहिए। छोटे छोटे क्लीनिक और नर्सिंग होम में इसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिजली संबंधी नियमावली के मुताबिक हर अस्पताल के तारों की हर दस साल पर जांच करके उसे बदला जाना चाहिए। इसका पालन शायद ही कोई अस्पताल करता है। एक तो सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ होती है कि उस भीड़ में तार की जांच करना संभव नहीं होता दूसरे सरकारी अस्पताल मेंटेनेंस के लिए कभी बंद नहीं किए जाते। आग बुझाने के सिलिंडर अच्छी गुणवत्ता वाले महंगे आते हैं और बाजार में बिना मानक के घटिया सिलिंडर किसी भी दुकान पर सस्ते में मिल जाते हैं।

अरुणा आसफ अली अस्पताल

यहां के डॉक्टरों का कहना है कि यहां आग बुझाने वाले सिलिंडर तो लगे हैं लेकिन कभी मॉकड्रिल तक नहीं हुआ। लिहाजा यह पता ही नहीं है कि आग से बचाव की मुस्तैदी कितनी है। यूनाइडेट फेडरेशन आफ रेजीडेंट डॉक्टर्स के संयोजक डॉ. मनू गौतम कहते हैं कि आग एवं आपदा संबंधी सुरक्षा उपायों की हालत लगभग सभी अस्पतालों में खराब है।

एलएनजेपी

यहां दमकल को इमारतों में पहुंचने के लिए जरूरी 120 फुट चौड़ा रास्ता नहीं है। हाल ही में आनन-फानन में एनओसी लिया गया है। सूत्रों की मानें तो आग बुझाने वाले सिलिंडर जब पुराने हो जाते हैं तो उनकी रंगाई करके उन पर नई एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है। यह सब यहां किचन के पीछे बने गोदामनुमा कमरे में किया जाता है। वहीं यहां आग लगने पर किसी को सिलिंडर का प्रयोग करना ही नहीं आता। जीबी पंत अस्पताल के पास भी हाल तक एनओसी नहीं था।

सफदरजंग अस्पताल

इस अस्पताल की नई इमारत इमरजेंसी को एनओसी नहीं मिली है। आरडीए के पदाधिकारी बताते है कि यहां सुरक्षा उपाय बहुत बुरी हालत में हैं।

राम मनोहर लोहिया

इस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर और पीजी ब्लॉक को अभी तक एनओसी नहीं मिली है।

अग्निशमन विभाग

जीसी मिश्र बताते है कि अग्निशमन विभाग के 40 फीसद पद खाली हैं । इसके अलावा आग की जगह पहुंचने में समय कम से कम लगे इसके लिए जरूरी है कि अग्निशमन विभाग के केंद्र जगह-जगह बनाए जाएं। सरकार चाहती भी है लेकिन नौकरशाही का कामकाज इतना ढीला है कि कई सालों तक अग्निशमन विभाग के जमीन मिल ही नहीं पाती है। एअरपोर्ट के पास भी एक फायर स्टेशन बनाने के लिए विभाग ने जमीन मांगी है। लेकिन अभी तक नहीं मिली है। कहीं डीडीए से जमीन मिल नहीं पा रही है तो कहीं डीडीए ने चिन्हित तो कर रखा है लेकिन आबंटित नहीं किया है।

मध्याह्न भोजन में मिलने वाली सामग्री तय करेगी सरकार

प्रभाकर मणि तिवारी
कोलकाता।

कहीं चावल के साथ नमक तो कहीं भोजन में कीड़े। यह है पश्चिम बंगाल के स्कूलों में मध्याह्न भोजन का हाल। बीते सप्ताह ऐसे कई मामले सामने आने के बाद अब तृणमूल सरकार की नींद टूटी है। उसने अब सप्ताह के हर दिन के लिए मिड-डे मील का मेन्यू तय कर दिया है। सरकार ने दो शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही दलील दी है कि मिड-डे मील पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हुगली जिले के दो स्कूलों में छात्रों को चावल के साथ नमक देने की घटना के बाद इसी सप्ताह पश्चिम मेदिनीपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में छात्रों के भोजन में कीड़े चलने की घटना भी सामने आई है। इस मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है।

फाइल फोटो

हुगली जिले के चुंचुड़ा बालिका मंदिर स्कूल में छात्राओं को खिचड़ी के साथ अंडे और सोयाबीन देने के बजाय चावल और नमक देने का पता तब चला जब इलाके की भाजपा सांसद लाकेट चटर्जी ने स्कूल का औचक दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि मिड-डे मील के लिए आवंटित रकम तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की जेब में चली गई है। इसके बाद कथित घटना का वीडियो भी वायरल होने लगा। दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक में अंडों से लेकर 257 बोरी चावल तक की खरीद दिखाई गई थी। लेकिन वहां कोई सामान था ही नहीं।

सांसद लाकेट चटर्जी का दावा है कि मिड-डे मील में महीनों से घोटाला चल रहा है। चुनावों से पहले भी उनको इसकी सूचना मिली थी। स्कूल के कुछ शिक्षकों ने इस बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि छात्रों को सूखे चावल खाने के लिए मजबूर किया जाता है। पांच हजार अंडे खरीदने में 25,000 रुपये खर्च किए गए हैं लेकिन छात्रों को कुछ भी नहीं दिया गया है। 257 बोरी चावल गायब है। सांसद ने कहा कि छात्रों के भोजन के अधिकार का हनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विभागीय जांच के आदेश देते हुए कहा है कि स्कूलों में दिए जाने वाले मिड-डे मील को लेकर किसी तरह का भ्रष्टाचार बेहद अमानवीय है। सरकार ने संस्थान के दो शिक्षकों को निलंबित कर मिड-डे मील का मेन्यू तय कर दिया है। स्कूली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच के आधार पर उक्त स्कूल के एक पूर्व शिक्ष प्रभारी और मौजूदा प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल जांच चल रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने तमाम जिलाशासकों को एक अधिसूचना भेज कर स्कूलों में मिड-डे मील के मेन्यू का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही मिड-डे मील के स्थानीय स्तर के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के सुपरवाइजरों को मिड-डे मील की निगरानी के लिए 24 से 31 अगस्त तक संबंधित इलाके के स्कूलों का दौरा करने का निर्देश देने को कहा गया है। उनको रोजाना इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजनी होगी।

शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं कि सरकार समुचित मिड-डे मील सुनिश्चित करने की दिशा में हर संभव कदम उठाएगी और छात्रों को तय मेन्यू से वंचित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी।

पर्यावरण प्रेम ने बनाया हरित दूत और वृक्ष माता

पूनम मिश्रा
नई दिल्ली।

नौ साल की उम्र में जहां बच्चों को खेल-कूद और मस्ती के अलावा कुछ नहीं सुझता वहीं मणिपुर की वेलेंटिना एलंगबाम को 'हरित दूत' बनाया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में वेलेंटिना एलंगबाम को 'ग्रीन एंबेसडर' बनाए जाने की घोषणा की है।

वेलेंटिना एलंगबाम काकिंग जिले की है। वह एलंगबाम प्रेमकुमार और एलंगबाम शैया की बेटी है। जब वह पहली कक्षा में थी तब उसने हयांगलाम वाबगई में दो गुलमोहर के पौधों को लगाया था। हाल ही में सड़क की सफाई के दौरान ये गुलमोहर काट दिए गए थे। वेलेंटिना इस पर दहाड़ मार कर रोने लगी। वेलेंटिना का वीडियो को उसके चाचा ने फेसबुक पर साझा किया। वेलेंटिना ने रोने का कारण बताया, मैंने वह पेड़ लगाया था और मैं इसे बहुत प्यार करती हूं, इसे कटते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है।' वीडियो को साझा करने के बाद इसे करीब 127,750 लोगों ने देखा। वीडियो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी देखा। इस पर मुख्यमंत्री ने वेलेंटिना को मणिपुर का हरित दूत घोषित किया।

कर्नाटक की वृक्ष माता

कर्नाटक में हजारों पौधों लगाने के लिए 107 वर्षीय सालूमरदा थिमक्का को इसी साल भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। थिमक्का पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कभी एक सामान्य मजदूर की तरह काम करने वाली थिमक्का ने अपने अकेलपन से बचने के लिए बरगद का पेड़ लगाना शुरू किया। थिमक्का ने कर्नाटक में बरगद के 400 पेड़ों समेत 8000 से ज्यादा पेड़ लगाएं हैं। यही वजह है कि सभी उन्हें 'वृक्ष माता' बुलाते है। प्रकृति के प्रति थिमक्का के असीम प्रेम को देखते हुए उनका नाम 'सालूमरदा' दे दिया गया। कन्नड़ भाषा में 'सालूमरदा' का मतलब वृक्षों की पंक्ति होता है।

हरियाणा के ट्री-मैन

हरियाणा में सोनीपत के देवेंदर सूरा ने हरियाणा में पर्यावरण के लिए एक अभियान छे-ड़ रखा है। देवेंदर चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल हैं। चंडीगढ़ की हरियाली देखकर उनके मन में सोनीपत को भी हरा-भरा करने का ख्याल आया। 2012 से उन्होंने पौधे लगाने शुरू किए। आज वे पर्यावरण मित्र और ट्री-मैन बन गए हैं। सोनीपत के लगभग 182 गांवों में पेड़ लगवा चुके हैं। पेड़ों की संख्या लगभग 1, 54, 000 है।

मरुस्थल को बना दिया हरा

राजस्थान के नागौर जिले के हिम्मताराम भांबू ने मरुस्थल को हरा भरा करने का जिम्मा उठाया है। हालांकि वे बहुत पढ़े-लिखे नहीं है लेकिन वातावरण और वनों के महत्त्व को भलीभांति समझते हैं। हिम्मताराम का पेड़ प्रेम काफी पुराना है और इसकी शिक्षा उन्हें अपनी दादी से मिली थी। बचपन में दादी ने उनसे गांव में एक पीपल का एक पौधा लगवाया था, 15 साल बाद उस छोटे से पौधों को विशालकाय वृक्ष के रूप में देख कर हिम्मताराम को बहुत खुशी मिली। इसके बाद ही उन्होंने वृक्षारोपण को अपने जीवन का आधार बना लिया। हिम्मताराम ने राजस्थान के नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर समेत कई जगहों पर लगभग तीन लाख पौधे लगाए, जो अब विशाल वृक्ष बन गए हैं।

पेड-पौधों को पुत्र जैसा स्नेह

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के भरतपुर के 55 वर्षीय भैया राम यादव पेड़-पौधों को अपने पुत्रों की तरह प्यार करते हैं। वृक्षारोपण को अपने जीवन का उद्देश्य मानकर उन्होंने अपने गांव की 50 हेक्टेयर बंजर भूमि पर पौधे लगाकर जंगल बना दिया है। उन्होंने बताया कि पत्नी और बेटे के गुजर जाने के बाद उनका जीवन उद्देश्य लग रहा था। इधर-उधर भटकने के दौरान एक दिन उनकी नजर चित्रकूट में वन विभाग के नारे पर पड़ी जिसमें लिखा था, ह्यएक पेड़ सौ बेटों के समान है।' इस नारे ने उनकी जिंदगी बदल डाली और अपने घर लौटकर गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और पौधे लगाना शुरू कर दिया। 40,000 पौधो तक पहुंच चुकी है।

पर्यावरण, सद्भाव और भाईचारे की 'हरियाली'

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड के साधु-संतों और देवबन्द के मौलानाओं ने देश में सद्भाव और भाईचारा कायम करने के लिए अमन-एकता हरियाली यात्रा का अभिनव प्रयोग शुरू किया है। इस तीन दिवसीय अमन एकता हरियाली यात्रा ने देश की विभिन्न नदियों के तटों पर वृक्षारोपण कर नदियों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। ऋषिकेश में गंगा तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम के पीतवणर्धारी ऋषिकुमारों की वेद ध्वनियों और मदरसों के छात्रों की अल्लाह-ओ-अकबर की गूंज के साथ अभिनव यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज काली नदी के तट पर समापन हुआ।

जब यह यात्रा रविवार को ऋषिकेश, रायवाला, हरिद्वार होते हुए ज्वालापुर के दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह ज्वालापुर मदरसा में पहुंची तो वहां के छात्र-छात्राओं ने साधु-संतों का जोरदार स्वागत किया। अमन-एकता हरियाली यात्रा की अगुआई परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, दशनामी संन्यासी परंपरा से जुड़े श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्रीमहन्त रविन्द्र पुरी महाराज और जमीयत उलेमा ए हिन्द के राष्ट्रीय सचिव मौलाना सैयद असद महमूद मदनी के नेतृत्व में शुरू हुई। इस यात्रा का दूसरा चरण नवंबर में देवबन्द की काली नदी से शुरू होगा और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में समापन होगा।

"जीवन जीने के लिए तीन चीजें बेहद जरूरी है। पीने के लिए शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण। अगर यह तीनों चीजें नही होंगी तो व्यक्ति के पास सबकुछ होते हुए भी जीवन में सुख और शांति का भाव होगा और मनुष्य स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा। हमारी यह यात्रा एक अभिनव प्रयोग के रूप में है।

-मौलाना सैयद असद महमूद मदनी
जमीयत उलेमा ए हिन्द के राष्ट्रीय सचिव

"अमन-एकता हरियाली यात्रा देश की एकता और अखंडता के साथ-साथ देश के पर्यावरण को शुद्ध बनाने का भी कार्य करेगी। यह अपने तरह की अद्भुत और अनोखी यात्रा है।

- श्रीमहन्त रविन्द्र पुरी महाराज
श्री पंचायती महानिर्वाणी
अखाड़ा के सचिव

"यह ऐतिहासिक यात्रा दिलों को बदलने, दिलों में दिए जलाने, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाने की मुहिम है। हरियाली में हरि और अली दोनों का वास है। अमन-एकता हरियाली यात्रा लोगं के दिलों को जड़ती है। इसका ध्येय स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से स्वस्थ शरीर, सभ्य समाज और सकारात्मक सोच का निर्माण करना है।

-स्वामी चिदानंद मुनि

ऐसा पहली बार देखने को मिला जब भगवाधारी साधु और श्वेत वस्त्र धारी मौलानाओं ने एक साथ मंदिरों-मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों, स्कूल, कॉलेज और मदरसों में वृक्षारोपण किया और भारत माता की जय, हिन्दुस्तान जिन्दाबाद, वन्दे मातरम् और वंदे मातरम के नारे एक साथ गूंजे।

अमन-एकता हरियाली यात्रा की शुरुआत करने से पहले परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने वैज्ञानिकों के एक दल से देवबन्द की काली नदी के पानी की जांच करवाई थी। इस परीक्षण में यह पाया गया कि काली नदी में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य है। टीसीओ 2,80,000 और बीओडी 40 है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह जल सिंचाई कि लिए भी उपयुक्त नहीं है।

जामिया बदरूल उलूम के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सैयद कासमी का कहना है कि यह यात्रा मुल्क के अन्दर हरियाली और खुशहाली की प्रतीक है। पौधा पेड़ बनकर जब फल देता है चाहे उस पेड़ के फल कोई खरीदकर खाए उससे पेड़ लगाने वाले को पुण्य मिलता है।

पर्यटन मंत्री जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जाएंगे

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक टीम अगले महीने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर जाएगी और दो नवगठित केंद्र शासित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देगी। एक साक्षात्कार के दौरान पटेल ने कहा कि वे पहले ही केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भेज चुके हैं, जो उनके वहां पहुंचने से पहले एक 'एडवांस टीम' की तरह काम करेंगे।

पटेल सितंबर के पहले सप्ताह में स्थिति का जायजा लेने के लिए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर पहुंचेंगे। उन्होंने सोमवार को कहा, 'मैं चिह्नित पर्यटन स्थलों और उनकी समीक्षा करने के लिए पहले लेह जाऊंगा और उसके बाद जम्मू-कश्मीर जाऊंगा। हमें गाइडों को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें अलग-अलग भाषाओं से परिचित कराने की जरूरत है। हम इसे अगले दो महीने में करने की योजना बना रहे हैं।'

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस की यात्रा पर जाने से पहले तक इन टीमों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि ई-वीजा और विदेशी पर्यटकों के लिए पहाड़ों की 137 चोटियां खोलने से इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इससे राज्य में राजस्व के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन 137 चोटियों में से 15 जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में हैं।

पटेल ने दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजना में चार मुख्य बिदु सूचीबद्ध किए हैं। ये बिदु गाइडों को प्रशिक्षण देना, लोगों को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के बारे में जागरूक करना, होटलों की कमी वाली जगहों पर लोगों को अपने घरों के दरवाजे अतिथियों के लिए खोलने को लेकर जागरूक करना और इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना तथा रोमांचक खेलों को बढ़ावा देना आदि हैं। उन्होंने कहा, 'हमें लोगों की सोच बदलने की जरूरत है जैसा कि हम पूर्वोत्तर में करने में कामयाब रहे। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि क्षेत्र में सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है और वहां यात्रा करना सुरक्षित है।' पटेल ने कहा, 'इन स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमें इन स्थानों के आसपास सुविधाओं का निर्माण करना है।

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का एलान कर सकती है सरकार

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

सरकार जम्मू-कश्मीर में 100 से अधिक केंद्रीय कानूनों के क्रियान्यन को लेकर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जल्द ही करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा कर सकती है। इस महीने जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के मद्देनजर सरकार के लिए ये कदम उठाने की जरूरत है। इस निर्णय के बाद 106 केंद्रीय कानून राज्य में 31 अक्तूबर, 2019 से पूरी तरह लागू हो जाएंगे। बदलाव की इस अवधि के दौरान 30 अक्तूबर तक जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय और राज्य कानून दोनों लागू रहेंगे। एक सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकर जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है। राज्य में केंद्रीय कानूनों के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों रुपए के निवेश की जरूरत होगी।

सूत्र ने बताया कि केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले सप्ताह श्रम, बिजली, अक्षय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के 12 से अधिक मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं और कोष की जरूरत पर चर्चा हुई थी। सूत्र ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के अनुसार पैकेज की राशि का अभी आकलन नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द व्यय वित्त समिति के पास भेजा जाएगा। इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल भी इसकी समीक्षा कर सकता है। अन्य प्रस्तावों के अलावा श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नए अस्पताल का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार को बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के क्रियान्वयन के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत होगी।

जम्मू-कश्मीर में हालात पहले से बेहतर, स्कूल खुले

पेज 1 का बाकी

माध्यमिक विद्यालय फिर से खुल गए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि घाटी में 81 थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां अब हटा दी गई हैं। गुरुवार को 10 और थाना क्षेत्रों में पाबंदियां हटाई जाएंगी। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीब मुगल ने स्थिति का ब्योरा देते हुए कहा कि घाटी में कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने कहा, 'आज कोई बड़ी घटना नहीं हुई। श्रीनगर से दो छोटी घटनाएं दर्ज की गई।'

कश्मीर में मंगलवार को वैसे तो स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही लेकिन बाजार और स्कूलों के बंद होने व सार्वजनिक वाहनों के सड़कों से नदारद रहने के कारण लगातार 23वें दिन भी जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही और घाटी में किसी अप्रिय घटना होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि घाटी में अधिकतर इलाकों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं लेकिन कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी वहां तैनात हैं।

उन्होंने बताया कि संचार सेवाओं में एक हद तक छूट दी गई है। स्थिति बेहतर होने के बाद अधिकतर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल की गई हैं। लाल चौक और प्रेस एन्कलेव में सेवाएं अब भी निलंबित है। 'बीएसएनएल' और अन्य निजी इंटरनेट सेवाओं सहित मोबाइल टेलीफोन सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं अभी निलंबित हैं।

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया था। इसके बाद ये सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि लगातार 23वें दिन भी कश्मीर में बाजार, दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सार्वजनिक वाहन भी सड़कों से नदारद रहे। उन्होंने बताया कि राजधानी में सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। अधिकारियों ने बताया कि निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, जबकि सरकारी स्कूल खुले लेकिन छात्र नदारद रहे।

कुछ ट्रेनों में यात्रा 25 फीसद तक सस्ती होगी

पेज 1 का बाकी

सकेगी।' इस श्रेणी में कौन सी ट्रेन व परिचालन रूट को शामिल किया जाएगा और कितनी राहत दी जाएगी। इसका अधिकार मंत्रालय ने स्थानीय स्तर के अधिकारियों को सौंपा है।

मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक इस नियम को अधिकारी एक माह, एक साल या 6 माह के लिए लागू कर सकते हैं। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉरमेशन सिस्टम (कृस) को सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कहा गया है और 30 सितंबर तक इस योजना को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। छूट प्राप्त करने के लिए यह भी शर्त रखी गई है कि यात्रियों को जहां से ट्रेन चलती है और जहां पर समाप्त होती है, वहां तक का टिकट लेना होगा। बीच रास्ते में यदि किसी यात्री को उतरना है तो उस यात्री को पूरा किराया चुकाना होगा।

योजना लागू होने पर यदि किसी ट्रेन के लिए अधिकतम 25 फीसद ही छूट तय की जाती है और उस ट्रेन का प्रति यात्री किराया 1000 रुपए है, तो यात्री को 250 रुपए का लाभ होगा। वर्तमान में ऐसी कोई राहत योजना उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा उन ट्रेन में उपलब्ध नहीं होगी, जिनमें फ्लैक्सी फेयर लागू होता है।

आर्थिक हालात पर श्वेतपत्र लाए सरकार : कांग्रेस

पेज 1 का बाकी

द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने के निर्णय को लेकर पार्टी ने कहा कि इससे पता चलता है कि देश की आर्थिक हालत कितनी गंभीर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आरबीआइ से जुड़ा निर्णय इस बात का प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, लेकिन सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भारत एक गहरे आर्थिक संकट में है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जीडीपी निरंतर गिर रही है। अर्थव्यवस्था के सभी सूचकांक नीचे हैं। रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा है।

शर्मा ने कहा कि वास्तव में भारत बेरोजगारी 20 फीसद से ऊपर है। हर जानकार अर्थशास्त्री इससे सहमत होगा। लोगों को कर्ज भी नहीं मिल रहा है। देश का निर्यात जहां पांच साल पहले था, वहीं अटका हुआ है। इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरबीआइ से पैसा लेने का निर्णय खतरनाक है। दुनिया में कहीं भी केंद्रीय बैंक अपने फंड का पैसा सरकार को नहीं देता। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में होने की पुष्टि होती है।

उन्होंने कहा कि आरबीआइ के सभी पुराने गवर्नर ने इसका विरोध किया था। रघुराम राजन ने इसका विरोध किया और उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। ये हालात इस सरकार की नीतियों और बदइंतजामी से पैदा हुए हैं।

विकास की संभावनाएं तलाशने घाटी पहुंची अल्पसंख्यक मंत्रालय की टीम

नई दिल्ली/श्रीनगर, 27 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छह सदस्यीय टीम मंगलवार को कश्मीर घाटी पहुंच गई। घाटी में वह उन इलाकों की पहचान करेगी, जहां अल्पसंख्यकों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय के सचिव शैलेश के नेतृत्व में यह टीम सुबह श्रीनगर के लिए रवाना हुई। यह टीम घाटी के दो दिनों के दौरे पर है।

जी-7 सम्मेलन पर वाइट हाउस ने कहा

भारत-पाक में तनाव घटाना पांच प्रमुख संदेशों में शामिल

वाशिंगटन, 27 अगस्त (भाषा)।

वाइट हाउस ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाक के बीच तनाव कम करने में मदद को लेकर किए गए प्रयास हाल ही में सम्पन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में दिए गए पांच प्रमुख संदेशों में से एक था।

राष्ट्रपति ट्रंप पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ जी-7 शिखर सम्मेलन से सोमवार रात को वापस लौटे। जी-7 का आयोजन फ्रांस के बियारेत्ज शहर में 24 से 26 अगस्त के बीच हुआ। वाइट हाउस ने कहा, 'जी-7 में पांच बड़े संदेश दिए गए एकता का संदेश, एक अरब डॉलर के व्यापार सौदे की सुरक्षा, अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) को आगे बढ़ाना, यूरोप के साथ मजबूत व्यापार संबंध विकसित करना और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद करना।' उसने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत व पाकिस्तान के बीच वार्ता की जरूरत पर जोर दिया और हमारे देशों के बीच अच्छे आर्थिक संबंध बनाने की बात भी की।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश को सिरे

वाइट हाउस ने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत व पाकिस्तान के बीच वार्ता की जरूरत पर जोर दिया और हमारे देशों के बीच अच्छे आर्थिक संबंध बनाने की बात भी की।'

से खारिज करते हुए सोमवार को कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। इस दौरान वहां मौजूद ट्रंप ने कहा, 'हमने बीती रात कश्मीर के बारे में बात की, प्रधानमंत्री को वास्तव में यह लगता है कि यह (स्थिति) उनके नियंत्रण में है। मुझे विश्वास है कि वो कुछ ऐसा करने में सक्षम होंगे जो बेहद अच्छा होगा।' उन्होंने कहा, 'मेरे दोनों ही (मोदी और खान) से अच्छे संबंध हैं और मैं यहां हूं। मुझे लगता है कि वे अपने आप (मुद्दे का समाधान) कर सकते हैं।' ट्रंप का सोमवार का बयान उस बयान से बिल्कुल अलग है जिसमें कुछ समय पहले उन्होंने दावा किया था कि मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा था। भारत ने इस दावे को पुरजोर तरीके से खारिज किया था।

वाइट हाउस ने हालिया ट्वीट में कहा कि मोदी के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने अफगानिस्तान में महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार किया है। वाइट हाउस ने ट्विटर पर मोदी और ट्रंप की तस्वीरें भी साझा की थीं, जिसमें दोनों नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। वाइट हाउस ने कहा, 'ट्रंप ने हमारे गठजोड़ को मजबूत करने, बेहतर व्यापारिक करार सुनिश्चित करने और हमेशा की तरह अमेरिकी लोगों के हितों को वैश्विक मंच के केंद्र में रखने के लिए विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की।'

आरबीआइ कोष के उपयोग पर अभी निर्णय नहीं : निर्मला

पेज 1 का बाकी

की ओर से सरकार को रेकॉर्ड नकद धन हस्तांतरित करने के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को स्वयं पैदा किए हुए आर्थिक संकट के समाधान का रास्ता पता नहीं है। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता ने सरकार पर केंद्रीय बैंक से धन चोरी का आरोप लगाया।

उन्होंने जीएसटी (माल व सेवा कर) पर एक बैठक के दौरान अलग से कहा, 'कांग्रेस को आरबीआइ के बारे में इस तरह के आरोप लगाने से पहले वित्त मंत्री रह चुके अपनी पार्टी के लोगों और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर लेनी चाहिए थी। वे चोरी का आरोप जैसे बयान देकर निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और मैं इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती।' सीतारमण ने यह भी कहा कि अतिरिक्त पूंजी का निर्धारण करने के लिए बिमल जालान समिति का गठन करने वाले आरबीआइ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना 'चिंताजनक' संकेत है। उन्होंने कहा कि समिति में चर्चित लोग थे और इस प्रकार के आरोप विचित्र हैं। वित्त मंत्री ने कहा, 'समिति का गठन आरबीआइ ने किया था और उसके भरोसेमंद होने को लेकर सवाल उठाना विचित्र है।'

पीसीआइ ने दी सफाई, मीडिया पर पाबंदियों का समर्थन नहीं

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में संचार पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक मामले में हस्तक्षेप करने संबंधी कदम को लेकर कड़ी आलोचना का सामना कर रही भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआइ) ने शीर्ष अदालत को यह कहने का निर्णय किया है कि वह मीडिया पर किसी तरह की पाबंदी समर्थन नहीं करती। परिषद इस बारे में एक विस्तृत जवाब उसकी तथ्यान्वेषी समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद देगी।

पीसीआइ ने ऐसे समय में अपना रुख स्पष्ट किया जबकि एडिटर्स गिल्ड, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वूमेंस प्रेस कोर (आइडब्लूपीसी), इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, वर्किंग न्यूज कैमरामैंस एसोसिएशन और प्रेस क्लब आफ इंडिया ने उससे वह अर्जी वापस लेने के लिए कहा जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका में हस्तक्षेप की अनुमति मांगी थी।

अर्जी में भसीन ने जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियां हटाने की मांग की थी और कहा था कि इससे पत्रकारों को अपने पेशे में दिक्कत आ रही है। पीसीआइ के सदस्यों के एक समूह ने पीसीआइ के कदम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पीसीआइ के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीके प्रसाद के कदम से पहले या बाद में उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया।

संघ से जुड़े संगठन ने कहा, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन ने मंगलवार को कहा कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने या इसे केंद्र की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

हालांकि शिक्षाविद् दीनानाथ बत्रा द्वारा स्थापित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (एसएसयूएन) ने सुझाव दिया कि छात्रों और परिजनों को जरूरत आधारित परामर्श दिए जा सकते हैं।

जोगी के 'कंवर आदिवासी' होने का प्रमाणपत्र खारिज

पेज 1 का बाकी

जोगी की जाति के मामले में बनी उच्च स्तरीय समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री के कंवर आदिवासी होने के प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है। समिति ने पाया कि अजीत प्रमोद कुमार जोगी अपने कंवर अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के दावे को साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए 'छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013' के नियम 2013 के उपनियम 23 (2) के प्रावधान के अनुसार जोगी के पक्ष में जारी किए गए 'कंवर' अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जोगी की जाति की छानबीन के लिए उच्च स्तरीय 'प्रमाणीकरण छानबीन समिति' बनाने का निर्देश दिया था। तब छानबीन समिति ने जोगी को जारी कंवर अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाणपत्रों को विधि संगत नहीं पाया था। फलस्वरूप जोगी के जाति प्रमाणपत्रों को जून 2017 में निरस्त कर दिया गया था। समिति के आदेश के खिलाफ जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने छानबीन समिति का आदेश निरस्त करते हुए एक बार फिर समिति का गठन करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य शासन ने फरवरी 2018 में समिति बनाई। आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने जोगी को जारी जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करने का आदेश दिया है।

इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने इस मामले को न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। जोगी ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से कहा कि उन्हें फैसले की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, तब तक यह मामला नहीं उठा। राजनीति में आने के बाद मामला सामने आया। जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए तब उनकी जाति का मुद्दा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ के समक्ष आया। उनके पक्ष में इंदौर, जबलपुर और बिलासपुर हाई कोर्ट से छह बार फैसले आए हैं।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भाजपा के नेता रहे दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में दो बार रिपोर्ट आई। मैं तब से न्यायालय में इन फैसलों को चुनौती देता रहा हूं। अब फिर इस मामले को अदालत में चुनौती दूंगा। जोगी की जाति को लेकर विवाद लगभग दो दशक पुराना है। भाजपा नेता संत कुमार नेताम ने 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग से जोगी की जाति को लेकर शिकायत की थी। नेताम के मुताबिक जोगी ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वयं को आदिवासी बताया है।

'चीन विवादित क्षेत्र में 100 बार घुसा तो हम 200 बार घुसे हैं'

पेज 1 का बाकी

दबंग' की तरह काम किया। फिलहाल पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिग इन चीफ नरवाने ने कहा कि चीन को समझना चाहिए कि भारतीय सेना वैसी नहीं रही जैसी 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय थी। उन्होंने यहां भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स में 'डिफेंडिग अवर बॉर्डर्स' पर संवाद के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा, 'डोकलाम गतिरोध से स्पष्ट संकेत मिला था कि भारतीय सशस्त्र बल कमजोर नहीं पड़े।' 1962 के युद्ध से मिले सबक और उसके बाद उठाए गए कदमों के बारे में पूछने पर नरवाने ने कहा, 'हम अब 1962 वाली सेना नहीं हैं। अगर चीन कहता है कि इतिहास मत भूलो तो हमें भी उन्हें यही बात कहनी है।' उन्होंने कहा कि भारत 1962 से बहुत आगे निकल आया है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। नरवाने ने कहा, 'उन्होंने सोचा कि वे क्षेत्रीय दबंग बनकर निकल जाएंगे। लेकिन हम दादागिरी के सामने डटे रहे।' भारतीय सेना किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि डोकलाम में गतिरोध के बाद कुछ गतिविधियों की खबरें सुनने में आई थीं। नरवाने ने कहा, 'यह खबर भी पूरी तरह गलत नहीं है। दोनों तरफ गतिविधियां रहीं। जो साल दर साल चलती रही हैं। उन्होंने दो नई बैरक बनाई हैं, हमने भी दो नई बैरक बनाई हैं।' एलएसी पर चीन के उल्लंघन के मामले बढ़ने के संबंध में नरवाने ने कहा, 'अगर हम कहते हैं कि चीन विवादित क्षेत्र में 100 दफा आ चुका है तो हम भी 200 बार वहां गए हैं।

ईडी मामला : चिदंबरम को मिली गिरफ्तारी से आज तक की मोहलत

पेज 1 का बाकी

पीठ ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में भेजने को चुनौती देने वाली याचिका सहित दो याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय की दलील वह बुधवार को सुनेगी। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक आवेदन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले साल 19 दिसंबर, एक जनवरी और 21 जनवरी, 2019 को पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ के दौरान पूछे गए सवाल और उनके जवाबों का लिखित ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सिब्बल का कहना था कि इस लिखित ब्योरे से पता चल जाएगा कि क्या चिदंबरम पूछताछ के दौरान जवाब देने से बच रहे थे, जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि वे इस मामले में बहस के दौरान चिदंबरम के नए आवेदन का जवाब दाखिल करेंगे। सिब्बल ने पीठ से कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अपनी मर्जी से और पीठ पीछे कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता है। सिब्बल ने कहा-वे अचानक ही दस्तावेज पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि यह केस डायरी का हिस्सा है। चिदंबरम की ओर से ही एक अन्य वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा-वे आरोपी को हिरासत में लेने के लिए पीछे से दस्तावेज पेश नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने सांवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सिंघवी का कहना था कि धन शोधन रोकथाम कानून में 2009 में संशोधन किया गया। जबकि इस मामले में आरोप 2007-08 के हैं।

सिंघवी ने कहा-आप एक व्यक्ति को सरगना बता रहे हैं जबकि ये कथित अपराध उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे। यह पीठ आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने सोमवार को चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी थी। यूपीए सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में चिदंबरम 2004 से 2014 के दौरान वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया था कि बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताएं की गईं। इसके बाद 2017 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

किसी को हिरासत में लिए जाने या रिहा करने में राज्यपाल शामिल नहीं : राजभवन

श्रीनगर, 27 अगस्त (भाषा)।

राजभवन ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने या रिहा किए जाने में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शामिल नहीं हैं साथ ही राजभवन ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कोई संवाद नहीं हुआ है। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था। राजभवन के एक प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा, 'एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्रियों (उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती) से कहा है कि उन्हें उनके आवास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, बशर्ते वे अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो भागों में बांटने के खिलाफ घाटी में कोई भी बयान नहीं देंगे।

डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया

जम्मू, 27 अगस्त (भाषा)।

डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चरक को उनके संवाददाता सम्मेलन से पहले ही मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। चरक के बेटे गंभीर देव सिंह ने बताया कि वह डोगरा हॉल स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे और पुलिस ने बिना कोई कारण बताए उन्हें हिरासत में ले लिया। पार्टी की युवा शाखा के प्रभारी गंभीर ने बताया कि राज्य के पुनर्गठन के संबंध में जम्मू क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ सुझाव देने की खातिर डोगरा सदर सभा द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

दरअसल

भारतीय उड़ानों के लिए वायुक्षेत्र पर फिर पाबंदी लगा सकता है पाक

इस्लामाबाद, 27 अगस्त। भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान सरकार फिर भारतीय उड़ानों के लिए देश के वायुक्षेत्र के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में भारत के लिए वायुक्षेत्र बंद करने और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार के लिए पाकिस्तानी जमीनी मार्ग के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया। उन्होंने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री भारत के लिए वायु क्षेत्र को पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए भारतीय व्यापार को लेकर पाकिस्तानी जमीनी मार्गों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोकने का भी सुझाव आया है। इन फैसलों की कानूनी औपचारिकताओं पर विचार हो रहा है। मोदी ने शुरू किया, हम उसे खत्म करेंगे।' (**भाषा**)

हाफिज सईद की याचिका पर आतंक निरोधी अधिकारी तलब

लाहौर, 27 अगस्त। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के षड्यंत्रकर्ता व जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की याचिका पर मंगलवार को आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) के अधिकारी को तलब किया है। सईद ने आतंकवाद को धन मुहैया करने के मामलों में गिरफ्तारी को याचिका के मार्फत चुनौती दी है। (**भाषा**)

ब्राजील के राष्ट्रपति की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी पर घटिया टिप्पणी

बियारेत्ज, 27 अगस्त। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने पत्नी ब्रिगित मैक्रों को लेकर ब्राजील राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद घटिया बताया है। दोनों नेताओं के बीच अमेजन वर्षावन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब निजी स्तर पर पहुंच गया है। एमैनुएल मैक्रों ने बियारेत्ज में कहा, 'उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ बेहद घटिया टिप्पणी की है। मैं क्या कह सकता हूं? यह दुखद है। (**एएफपी**)

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

मामले में: ओ.ए. नं. 154/2019 डीआरटी-III

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मै. शील एण्टरप्राईजेज

(आवेदक) (प्रतिवादीगण)

सेवा में,

डी-1. मै. शील एण्टरप्राईजेज, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर
श्री धरमेन्दर कुमार
जी 1/41, लॉरेन्स रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110035
साथ ही: श्री धरमेन्दर कुमार
डी-282/32, ब्लॉक-डी, (283-284) सुदर्शन पार्क, दिल्ली- 110015

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 6.9.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 23 जुलाई, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

मुहर

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–द्वितीय ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मांग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 236/2018, टी.ए. संख्या 287/2018 डायरी संख्या 292, दिनांक: 17.06.2019
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, बनाम मैसर्स अक्षय इंडस्ट्रीज एवं अन्य
रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड
सेवा में,
सीडी नं0 1: मैसर्स अक्षय इंडस्ट्रीज प्रो0 श्री अरूण कुमार मनोत ऑफिस पता 53-के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड, 248001 दूसरा पता: इंडस्ट्रियल क्षेत्र, लंगा देहरादून, उत्तराखण्ड 248001
सीडी नं0 2: श्री अर्जुन कुमार मनोत पुत्र स्व0 श्री एन0पी0 मनोत निवासी 53-के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड, 248001
सीडी नं0 3: श्रीमति पूनम मनोत पत्नि श्री अरूण कुमार मनोत, निवासी 53-के, राजपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड, 248001 सर्टिफिकेट डेबटर्स

(i) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 98,52,823/– (अठानवे लाख बावन हजार आठ सौ तेईस रुपये मात्र) साथ में + बाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 08.12.2015 से @12.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे रू0 1,50,000.00 बकाया है, जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक 28.06.2018 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. संख्या 287/2018 के अनुसार देय है।
(ii) आपको इस डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। जिसके असफल होने पर वसूली ऋण व दिवालियापन अधिनियम 1993 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
(iii) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्न भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:–
(a) इस नोटिस की निष्पादन कार्यवाही के पूरे होने तक शुरू होने वाली अवधि का ब्याज।
(b) इस नोटिस की प्रक्रिया पर हुए, वे सभी लागत, शुल्क और खर्चे तथा बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य कार्यवाई।
(iv) यदि आपके द्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप 08.11.2019 को प्रातः 11.00 बजे, ओ.ए.अधिकारी के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित हों।

17, अगस्त, 2019 को अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। (समीर कुमार सक्सेना)
वसूली अधिकारी–द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–द्वितीय ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मांग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 239/2018, टी.ए. संख्या 101/2018 डायरी संख्या 246, दिनांक: 15.07.2019
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, बनाम मनोज कुमार सेमवाल एवं अन्य
शाखा–17, राजपुर रोड, देहरादून
सेवा में,
सीडी नं0 1: मनोज कुमार सेमवाल (गारन्टर) पुत्र स्व0 श्री आत्माराम सेमवाल, निवासी 303, सारथि विहार, निकट रिस्पना ब्रिज, जिला–देहरादून उत्तराखण्ड।
सीडी नं0 2: श्रीमति सुनीता सेमवाल (गारन्टर) पत्नि श्री मनोज कुमार सेमवाल, निवासी 303, सारथि विहार, निकट रिस्पना ब्रिज, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड।
सीडी नं0 3: श्रीमति शीला नौटियाल पत्नि श्री आर0डी0 नौटियाल, निवासी 28–बी, शेरबाग नदी के पास, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड।
सीडी नं0 4: श्री चन्द्र प्रकाश जकलानी (गारन्टर) पुत्र श्री गोविन्द राम जकलानी, निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास उदयपुर, रायपुर, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड। सर्टिफिकेट डेबटर्स

(i) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 22,03,918/– (बाईस लाख तीन हजार नौ सौ अट्ठारह रुपये मात्र) साथ में + बाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 22.12.2014 से @12.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे रू0 66,250.00 बकाया है, जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक 28.05.2018 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. संख्या 101/2018 के अनुसार देय है।
(ii) आपको इस डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। जिसके असफल होने पर, वसूली ऋण व दिवालियापन अधिनियम 1993 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
(iii) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्न भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:–
(a) इस नोटिस की निष्पादन कार्यवाही के पूरे होने तक शुरू होने वाली अवधि का ब्याज।
(b) इस नोटिस की प्रक्रिया पर हुए, वे सभी लागत, शुल्क और खर्चे तथा बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य कार्यवाई।
(iv) यदि आपके द्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप 21.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे, ओ.ए.अधिकारी के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित हों।

16, जुलाई, 2019 को अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। (समीर कुमार सक्सेना)
वसूली अधिकारी–द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–द्वितीय ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मांग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 266/2018, टी.ए. संख्या 570/2018 डायरी संख्या 291, दिनांक: 17.06.2019
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, बनाम मैसर्स दून फूड्स एवं अन्य
सुभाष नगर, देहरादून, उत्तराखंड
सेवा में,
सीडी नं0 1: मैसर्स दून फूड्स प्रो0 फर्म स्थित 84, त्यागी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड, प्रोपराइटर श्री मोइनुद्दीन के माध्यम से।
सीडी नं0 2: श्री मोइनुद्दीन पुत्र श्री अमीर अहमद निवासी 84, त्यागी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड
सीडी नं0 3: श्रीमति रेशमा पत्नि श्री मोइनुद्दीन, निवासी 84, त्यागी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड सर्टिफिकेट डेबटर्स

(i) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 30,49,301.60/– (तीस लाख उनचास हजार तीन सौ एक रुपये एवं साठ पैसे मात्र) साथ में + बाद कालीन प्रभावी ब्याज, ओ.ए. की दिनांक 05.07.2016 से @16.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य खर्चे रू0 77,000.00 बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण–देहरादून के द्वारा दिनांक 05.09.2018 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के ओ.ए. संख्या 570/2018 के अनुसार देय है।
(ii) आपको इस डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। जिसके असफल होने पर, वसूली ऋण व दिवालियापन अधिनियम 1993 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
(iii) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्न भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:–
(a) इस नोटिस की निष्पादन कार्यवाही के पूरे होने तक शुरू होने वाली अवधि का ब्याज।
(b) इस नोटिस की प्रक्रिया पर हुए, वे सभी लागत, शुल्क और खर्चे तथा बकाया राशि की वसूली के लिए की गई अन्य कार्यवाई।
(iv) यदि आपके द्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप 08.11.2019 को प्रातः 11.00 बजे, ओ.ए.अधिकारी के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित हों।

17, अगस्त, 2019 को अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। (समीर कुमार सक्सेना)
वसूली अधिकारी–द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

B L KASHYAP
BUILD YOUR WORLD

बी.एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड
(CIN: L74899DL1989PLC036148)
पंजी. कार्या.: 409, 4था तल, डीएलएफ टावर-ए, जसोला, नई दिल्ली-110025
फोन: 011-40500300, 011-43058345, फैक्स: 011-40500333
ई-मेल: info@blkashyap.com; वेबसाईट: www.blkashyap.com

सूचना

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''नियमावली''), अद्यतन यथा-संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की ऐसी इक्विटी शेयरों जिसके संदर्भ में लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश राशि दावा-रहित रहा है, को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (''आईईपीएफ'') में अंतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों जिनकी शेयरों को उपरोक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किया जाना नियत है, को 26 अक्टूबर 2019 या उससे पूर्व दावा-रहित लाभांश को भुना लेने का अनुरोध करते हुए इस संदर्भ में सूचनाऐं भेज दी है। उनसे संबंधित लाभांश के विवरणों के साथ ऐसे शेयरधारकों जन्हें सूचना भेजी गई है, का विवरण निवेशक खंड के अंतर्गत कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.blkashyap.com पर उपलब्ध है।

यदि 26 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व आपकी ओर से कोई वैध दावे प्राप्त नहीं होती है तो आगे कोई सूचना दिये बिना कम्पनी आईईपीएफ में इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये आगे की कार्रवाई करेगी। कृपया ध्यान रहे कि शेयरधारक ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आवेदन भेजकर तथा कम्पनी सचिव के पास प्रपत्र आईईपीएफ-5 में वर्णित वांछित दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (कम्पनी में दर्ज हस्ताक्षर के नमूने के अनुसार) उसकी भौतिक प्रति भेजकर दावा-रहित लाभांश राशि तथा शेयरों दोनों को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये संबंधित शेयरधारकों कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट एवं/अथवा कम्पनी से नीचे वर्णित पते पर सम्पर्क करें:

भारत भूषण लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड नोबल हाइट्स, 1ला तल, एनएच-2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, निकट नई दिल्ली-110058 टेली. नं. 011-41410592, 93, 94 ईमेल: delhi@linkintime.co.in वेब: www.linkintime.co.in	पुष्पक कुमार बी.एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड 409, 4था तल, डीएलएफ टावर-ए, जसोला, नई दिल्ली-110025 टेली. नं. 011-40500300, 43058345 ईमेल: pushpak@blkashyap.com वेब: www.blkashyap.com

बी.एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(पुष्कर कुमार)
जीएम-कॉर्पोरेट कार्य एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 27 अगस्त, 2019
स्थान: नई दिल्ली

WE BUILD YOUR WORLD

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ENGINEERS INDIA LIMITED
(नवरत्न सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
पंजीकृत कार्यालय: इंजीनियर्स इंडिया हाउस, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-26762121, फैक्स: 011-26178210
ई-मेल: company.secretary@eil.co.in, वेबसाइट: http://www.engineersindia.com
सीआईएन: L74899DL1965GOI004352

54वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर जानकारी की सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी के सदस्यों की 54वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 को अप. 3.00 बजे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनएच-8, सैक्टर-16, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा) में आयोजित की जाएगी जिसमें बैठक की सूचना दिनांक 9 अगस्त, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।
2. एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं । ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://engineersindia.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 26 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट-ऑफ तिथि (19 सितम्बर, 2019) को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से मैसर्स कार्वी फिनटेक प्रा लिमिटेड (''केएफपीएल'') के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
क) 54वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
ख) रिमोट ई-वोटिंग 23 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.30 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी;
ग) रिमोट ई-वोटिंग 25 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी;
घ) एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2019 है।
ङ) 25 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
च) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह mohsin.mohd@karvy.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केएफपीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
छ) सदस्यगण कृपया नोट करें कि: (1) 25 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे आईएसटी के बाद केएफपीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव में वोट देने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (2) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है उनके लिए एजीएम में उपस्थित होने पर बैलेट के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी (3) सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। और (4) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट के माध्यम से अपना वोट देने के हकदार होंगे।
ज. एजीएम की सूचना केएफपीएल की वेबसाइट https://www.evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।
झ. ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण श्री मोहसिन उद्दीन, वरि. प्रबंधक मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032, टोल फ्री नं. 18003454001, ई-मेल: evoting@karvy.com से सम्पर्क कर सकते हैं या https://www.evoting.karvy.com पर उपलब्ध हेल्प एवं एफएक्यू सैक्शन को देख सकते हैं।
4. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण और वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 से बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगा।

कृते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(सुवेन्दु कुमार पाधी)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 अगस्त, 2019

CA/2019-2020/16

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतेदद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐलान लिमिटेड जिसका कॉरपोरेट कार्यालय 3 मंजिल, टावर ए, गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टावर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 42, गुरूग्राम पर है। जिसे टाउन एवम् कंट्री प्लानिंग विभाग हरियाणा सरकार द्वारा गांव -बादशाहपुर, सेक्टर 70, जिला गुड़गांव (हरियाणा) के राजस्व एस्टेट में 3.525 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक कॉलोनी को स्थापित करने के लिए लाइसेंस संख्या 148/2008 दिनांक 2/8/2018 को मंजूरी / ट्रांसफर दी गई है।

नतीजतन दि स्टेट एनवायरनमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए), हरियाणा ने नं0 55-58, पर्यटन भवन, सेक्टर 2, पंचकुला (हरियाणा), उनके पत्र संख्या एसईआईएए/एच आर/2019/238 दिनांक 22/08/2019 द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान की गई है। यह एनवायरनमेंट क्लेरियन्स पत्र हरियाणा स्टेट पोल्युशन कण्ट्रोल बोर्ड पंचकुला और एसईआईएए पंचकुला कार्यालय में उपलब्ध है।

मेसर्स ऐलान लिमिटेड
3 मंजिल, टावर ए,
गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टावर, गोल्फ
कोर्स रोड, सेक्टर 42, गुरूग्राम

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाजपत नगर, मुरादाबाद- शाखा (1555)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा नीचे दिये गये दिनांक को ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को मुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख
ऋणकर्ता:– मैसर्स एन. ए. मैटलस **प्रो. श्री नफीस अहमद**, खसरा नंबर 422, ग्राम भैंसिया, प्रेम वंडर लैंड के पीछे, जब्बार सीमेंट स्टोर के पास, एन.बी. पब्लिक स्कूल के पास, मुरादाबाद –244001 उ.प्र. **ऋणकर्ता / बंधककर्ता :– श्री नफीस अहमद** **प्रो. मैसर्स एन. ए. मैटलस**, पुत्र श्री अब्दुल सलाम, खसरा नंबर 422, ग्राम भैंसिया, प्रेम वंडर लैंड के पीछे, जब्बार सीमेंट स्टोर के पास, एन.बी. पब्लिक स्कूल के पास, मुरादाबाद –244001 उ.प्र.	अचल संपत्ति स्थित खसरा नंबर 422, ग्राम भैंसिया, प्रेम वंडर लैंड के पीछे, जब्बार सीमेंट स्टोर के पास, एन.बी. पब्लिक स्कूल, मुरादाबाद–244001 यू.पी. । स्वामित्व श्री नफीस पुत्र अब्दुल सलाम। बिक्री विलेख अंतर पुस्तक संख्या I वॉल्यूम संख्या 10493, पृष्ठ 53-80 क्रम सं. 2581 दिनांक 05.02.2014 **कुल क्षेत्रफल 94.68 वर्ग मीटर। संपत्ति की सीमायें:–** उत्तर– कलुआ आदि का मकान दक्षिण: सड़क 18'0 चौड़ी पूर्व: आराजी नजीबुल्ला पश्चिम: कलुआ का मकान	01.04.2019 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 17,93,259.97 +अगामी ब्याज + अन्य शुल्क 01.04.2019 को	26.08.2019 कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 18,65,641.97 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक– 27.08.2019 स्थान– मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT DATED NOVEMBER 08, 2018 WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

LINDE INDIA LIMITED

Regd. Office: Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal-700088
Tel: +91 33 6602 1600; Fax: +91 33 2401 4206; Website: www.linde.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 2,13,21,056 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH ("OFFER SHARES"), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF LINDE INDIA LIMITED ("TARGET COMPANY") BY THE BOC GROUP LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PRAXAIR, INC. ("PAC 1") AND LINDE HOLDINGS NETHERLANDS B.V. ("PAC 2") (PAC 1 AND PAC 2 ARE COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACs") IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1), 4, AND 5(1) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SAST REGULATIONS") AT AN OFFER PRICE OF INR 478.40 PER EQUITY SHARE ("OFFER/OPEN OFFER")

This Corrigendum is being issued by ICICI Securities Limited, the Manager to the Offer ("**Manager**"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs in respect of the Offer to the public shareholders of the Target Company, pursuant to revisions/ amendments in the schedule of activities relating to the Offer.

This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Detailed Public Statement dated November 08, 2018 ("**DPS**"), unless otherwise specified.

This Corrigendum is being issued pursuant to changes/amendments in the Schedule of major activities relating to the Offer made in the Draft Letter of Offer in terms of the SEBI letter bearing reference no. SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/20907/1 dated August 14, 2019 conveying comments on the Draft Letter of Offer dated February 01, 2019 ("**DLOO**").

This Corrigendum is being issued in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the Draft Letter of Offer, unless otherwise defined.

1. Upward revision in the Offer Price:

Pursuant to SEBI's observation letter dated August 14, 2019, the Acquirer and PACs have decided to revise the offer price upwards from INR 328.21 to INR 478.40 per equity share ("**Offer Price**"), consisting of INR 376.63 (Rupees Three Hundred and Seventy Six and Sixty Three Paise) per Equity Share plus interest compounded at the rate of ten per cent per annum for the period between December 20, 2016 and the date of publication of the DPS in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations, being INR 71.10 (Rupees Seventy One and Ten Paise) per Equity Share plus interest compounded at the rate of ten

एलसीआरडी/नई दिल्ली प्रभाग
2/2, फेडरल टावर्स, प्रथम् तल
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
फोन नं. 011-40733980, 40733982

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग पार्टनर

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 (यहां के बाद अधिनियम वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. **श्री नकुल सिह, पुत्र पूरण सिह,** जो मै. नकुल पॉल्ट्री के नाम से वीपीओ फैजालीपुर माजरा, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा-132114 में व्यवसाय करते हैं।
2. **श्रीमती कविता राणा, पत्नी नकुल सिंह,** निवासी वीपीओ कलरोन, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा-132114
3. **श्री शखर राणा, पुत्र नकुल सिंह,** निवासी वीपीओ कलरोन, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा-132114
4. **श्री अजय राणा,** वर्तमान में निवासीः 7, हॉलीवेल पार्क सॉर्ड्स, को डब्लिन, प्रतिनिधित्व द्वारा पीओए धारक श्री शखर राणा

क) आप में 1 ले ने प्रधान ऋणधारक तथा 2 से 4 ने सह-देनदार के रूप में कैश क्रेडिट लिमिट के लिये रु. 60 लाख (रुपये साठ लाख मात्र) 11.4.2017 को स्वीकृत तथा 28.6.2017 को वितरित, सावधि ऋण सीमा के लिये रु. 30 लाख (रुपये तीस लाख मात्र) 11.4.2017 को स्वीकृत तथा 25.4.2017 को वितरित तथा सावधि ऋण सीमा के अंतर्गत रु. 50 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) 11.4.2017 को स्वीकृत तथा 26.4.2017 को वितरित, प्राप्त की थी।
ख) आप में 1 ले ने प्रधान ऋणधारक तथा 2 से 3 ने सह-देनदार के रूप में फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अलवाये में है (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) की कलरोन में उसकी शाखा द्वारा बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद पॉल्ट्री फार्म आदि की कार्यरत पूंजी की जरूरत पूरा करने/बढ़ाने/संचालन के लिये रु. 80 लाख (रुपये अस्सी लाख मात्र) के लिये एफकेसीसी लिमिट प्राप्त की जो 20.5.2016 को स्वीकृत तथा 31.5.2016 को वितरित की गई थी। बैंक से प्राप्त उक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिये आपने निम्न सम्पत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन के द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।

हाइपोथेकेटेड चल सम्पत्तियों का विवरण

सीसी लिमिट- 25% मार्जिन के साथ फीड्स, मेडीसीन्स आदि के स्टॉक तथा 50% मार्जिन के साथ बुक डेब्ट्स का हाइपोथेकेशन
सावधि ऋण- 26.42% मार्जिन के साथ रु. 67.96 लाख की अनुमानित लागत पर सावधि ऋण से प्रापण की जाने वाली प्लान्ट एवं मशीनरी का हाइपोथेकेशन।

बैंक से प्राप्त उक्त साख सुविधाओं की प्रतिभूति के लिये पीओए धारक श्री शखर राणा के माध्यम से श्री अजय राणा ने निम्न अचल सम्पत्तियों की गिरवी द्वारा 25.4.2017 को बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया था।

1. गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण

1. सभी विद्यमान एवं/ अथवा निर्मित होने वाली भवनों के साथ 275 वर्ग याईस की माप से युक्त कसबा करनाल, सेक्टर- 35, तहसील एवं जिला करनाल, हरियाणा की राजस्व सम्पदा में पार्स्वनाथ सिटी में स्थित आवासीय प्लॉट नं. ए-237 (भूमि) की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। पूर्वः प्लॉट नं. ए-246, पश्चिमः 12 मी. चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. ए-236 तथा दक्षिणः प्लॉट नं. 238, बैंक से प्राप्त उक्त साख सुविधा की प्रतिभूति के लिये श्री नकुल सिंह ने निम्न अचल सम्पत्तियों की गिरवी द्वारा 25.4.2017 को बैंक के पक्ष मे प्रतिभूति हित का निर्माण किया था।
2. गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण
1. निम्न प्रक्रिया में कृषि भूमि माप 48 कनाल 11 मरला का सभी भाग एवं हिस्सा। (1) 13 कित्ता में खेवत नं. 12//11, खतौनी नं. 14, रेक्ट. नं. 4, किल्ला नं. 25/4 (1-5), रेक्ट. नं. 11, किल्ला नं. 4 (8-0), 5 (6-8), 6 (6-8), 7 (8-0), 21 (8-0), 22 (8-0), 23 (8-0), रेक्ट. नं. 18, किल्ला नं. 1 (8-0), 2 (8-0), 3 (8-0), 8/2 (4-12), 13/1 (4-12) में शामिल 87 कनाल 5 मरला की भूमि में भूमि माप 15 कनाल 4 मरला जो 609/3490 शेयर है।
ख) 4 कित्ता में खेवत नं. 17//16, खतोनी नं. 19, रेक्ट.नं. 18, किल्ला नं. 9 (8-0), 10 (8-0), 11 (8-0), 12 (8-0) में शामिल भूमि माप 32 कनाल 0 मरला में से भूमि माप 4 कनाल 13 मरला जो 93/640 शेयर है।
3) 3 कित्ता में खेवत नं. 148/143, खतोनी नं. 168, रेक्ट.नं. 53, किल्ला नं. 6 (1-13), 14/2 (3-12), 15/ 1 (3-11) में शामिल भूमि माप 8 कनाल 16 मरला में से भूमि माप 0 कनाल 9 मरला जो 1/18 शेयर है।
4) 7 कित्ता में खेवत नं. 149/144, खतोनी नं. 169, रेक्ट.नं. 11, किल्ला नं. 16 (6-8), 24 (7-7), 25/1 (6-8), रेक्ट. नं. 18, किल्ला नं. 4 (8-0), 5 (6-8), 7/ 2 (1-0), 8/1 (3-8) में शामिल भूमि माप 38 कनाल 19 मरला में भूमि माप 6 कनाल 9 मरला जो 1/6 शेयर है।
5) 7 कित्ता में खेवत नं. 152/147, खतोनी नं. 172, रेक्ट.नं. 4, किल्ला नं. 12/2 (0-15), 13 (4-16), 14 (4-12), 15 (7-9), 16 (6-8), 17 (8-0), 18 (8-0) में शामिल भूमि माप 40 कनाल 0 मरला में भूमि माप 6 कनाल 13 मरला जो 1/6 शेयर होता है।
6) 16 कित्ता में खेवत नं. 153/148, खतोनी नं. 73, रेक्ट.नं. 4, किल्ला नं. 19/2 (4-18), 22 (8-0), 23/1 (2-0), रेक्ट. नं. 11, किल्ला नं. 9 (8-0), 10 (8-0), 11 (8-0), 12 (8-0), 19 (8-0), 20 (8-0), खतोनी नं. 174, रेक्ट. नं. 11, किल्ला नं. 2 (8-0), 3 (8-0), 8 (8-0), 13 (8-0), 8 (8-0), 13 (8-0), 14/1 (6-4), 17 (7-8), 18 (8-0) में शामिल भूमि माप 9 कनाल 14 मरला जो 1/12 शेयर है।
7) 5 कित्ता में खेवत नं. 156/151, खतोनी नं. 177, रेक्ट.नं. 31, किल्ला नं. 7/2 (4-10), 8 (8-0), 13/1 (2-18), 13/2 (4-9), 19 (8-0) में शामिल भूमि माप 27 कनाल 27 मरला में भूमि माप 2 कनाल 6 मरला जो 1/2 शेयर है।
8) 8 कित्ता में खेवत नं. 221//216, खतोनी नं. 251, रेक्ट.नं. 10, किल्ला नं. 22 (8-0), रेक्ट. नं. 13, किल्ला नं. 22/1 (1-11), 22/3 (1-2), 23/2 (2-18), रेक्ट. नं. 16, किल्ला नं. 2/1, (4-18), 9/1 (4-14), रेक्ट. नं. 52, किल्ला नं. 11 (6-6), रेक्ट. नं. 53 किल्ला नं. 15/2 (4-19), 16 (8-0), 17 (8-0), 18/1 (2-11), 18/2 (7-16), 24 (7-0), 25 (8-0), रेक्ट. नं. 54, किल्ला नं. 5 (2-11), रेक्ट. नं. 55, किल्ला नं 1 (6-6), 10 (1-17), खतोनी नं. 252, रेक्ट.नं. 55, किल्ला नं. 2 (3-7), में शामिल भूमि माप 89 कनाल 6 मरला में भूमि माप 1 कनाल 17 मरला जो 37/1896 शेयर है।
9) वर्ष 2012-2013 तथा नवीनतम खसरा गिर्दावरी के लिये जमाबंदी के माध्यम से ग्राम फैज अलीपुर माजरा, तहसील घरौंदा, जिला करनाल की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित 4 कित्ता में खेवत नं. 224/219, खतौनी नं. 255, रेक्ट.नं. 5, किल्ला नं. 11 (9-11), 12 (5-9), 19 (8-0), 20 (8-0) में शामिल भूमि माप 31 कनाल 0 मरला में भूमि माप 1 कनाल 6 मरला जो 13/310 शेयर होता है।
2. वर्ष 2013-2014 की जमाबंदी के माध्यम से ग्राम कलरोन, तहसील घरौंदा, जिला करनाल की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित 104 कित्ता में खेवत नं. 98/91, खतौनी नं. 144, रेक्ट.नं. 62, किल्ला नं. 26 (2-8), खतोनी नं. 145, रेक्ट.नं. 36, किल्ला नं. 25 मिन (7-2), रेक्ट. नं. 51, किल्ला नं. 5 (8-0), रेक्ट. नं. 62, किल्ला नं. 17 (8-0), 18 (7-18), 19/1 (3-16), 23/2 (2-2), खतोनी नं. 146, रेक्ट. नं. 62, किल्ला नं. 16 (8-0), 24 (7-7), 25 (8-0), खतोनी नं. 147, रेक्ट. नं. 51, किल्ला नं. 6 (6-16), 15 (7-8), 16 (7-8), रेक्ट. नं. 62, किल्ला नं. 13 (8-0), 14 (8-0), 15 (8-0), रेक्ट. नं. 63, किल्ला नं. 11 (8-0), खतोनी नं. 148, रेक्ट. नं. 36, किल्ला नं. 23 मिन (4-0), रेक्ट. नं. 51 किल्ला नं. 25 (7-8), रेक्ट नं. 56, किल्ला नं. 5 (7-8), रेक्ट. नं. 62, किल्ला नं. 6 (8-0), 7 (8-0), 8 (8-0), रेक्ट. नं. 63, किल्ला नं. 10 (8-0), खतोनी नं. 149, रेक्ट. नं. 48, किल्ला नं. 8/2 (0-19), 9 (4-2), 10/2 (3-4), 11 (7-4), 12/1 (7-14), 13/2 (1-3), 19/2 (4-4), 20 (8-0), रेक्ट. नं. 62, किल्ला नं. 9 (6-10), खतोनी नं. 150, रेक्ट. नं. 36, किल्ला नं. 24 (7-2), रेक्ट नं. 51, किल्ला नं. 4 (8-0), खतोनी नं. 151, रेक्ट. नं. 44, किल्ला नं. 20 (7-2), रेक्ट. नं. 45, किल्ला नं. 16 (8-0), 17 (8-0), 18 (8-0), 23 (8-0), 24 (8-0), खतोनी नं. 152, रेक्ट.नं. 44, किल्ला नं. 21 (8-0), रेक्ट. नं. 45, किल्ला नं. 25 (8-0), रेक्ट.नं. 62 (किल्ला नं. 3 (8-0), 4 (8-0) 5 (8-0) रेक्ट नं. 63 किल्ला नं. 1(8-0), खतोनी नं. 153, रेक्ट नं. 45, किल्ला नं. 19(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 22(8-0), रेक्ट नं. 46, किल्ला नं. 16(8-0), 25(8-0) रेक्ट नं. 61, किल्ला नं. 5(8-0), 6(7-11), 15/1(0-13), रेक्ट नं. 62, किल्ला नं. 1(8-0), 2(7-1), 10(8-0), 11(5-11), 12(8-0), खतोनी नं. 154, रेक्ट नं. 36, किल्ला नं. 23 मिन (3-2), रेक्ट. नं. 37, किल्ला नं. 21(7-2), रेक्ट नं. 50, किल्ला नं. 1(8-0), 10(7-8), 11(7-11), 20(8-0), खतौनी नं. 155, रेक्ट नं. 50, किल्ला नं. 21(8-0), रेक्ट नं. 57, किल्ला नं. 1(8-0), खतोनी नं. 156, रेक्ट नं. 49, किल्ला नं. 14(8-0), 15(8-0), 16(8-0), 23(7-8), खतोनी नं. 157, रेक्ट नं. 48, किल्ला नं. 26(0-16), खतोनी नं. 158, रेक्ट नं. 49, किल्ला नं. 13(7-8), 17(8-0), 18(7-8), रेक्ट नं. 49, किल्ला नं. 24(8-0), खतोनी नं. 159, रेक्ट नं. 63, किल्ला नं. 16 मिन (5-3), 17(8-0), 24(8-0), 25(8-0), रेक्ट नं. 64, किल्ला नं. 21(2-18), रेक्ट नं. 65, किल्ला नं. 1(7-12), 10(1-9), रेक्ट नं. 66, किल्ला नं. 4(8-0), 5(8-0), 6(5-18), 7(8-0), 8(8-0), 9(7-12), 14(0-19), खतोनी नं. 160, रेक्ट नं. 66, किल्ला नं. 2/2(3-12), 3(5-7), 10/1(4-1), 12(5-1), 13(5-6), 19(0-6) में शामिल भूमि माप 695 कनाल 7 मरला में कृषि भूमि माप 28 कनाल 19 मरला का सभी भाग तथा हिस्सा जो 1159/27814 शेयर है।
3. ग्राम फैजालीपुर माजरा, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित 14 कित्ता में खेवत नं. 147/142, खतोनी नं. 166, रेक्ट नं. 5, किल्ला नं. 21(6-16), 22(8-0), रेक्ट नं. 10, किल्ला नं. 2(8-0), 9(8-0), 11/2(4-0), 12(8-0), 19(8-0), 20(8-0), 21/1(3-7), रेक्ट नं. 52, किल्ला नं. 19(3-18), 20(8-0), 21(8-0), खतोनी नं. 167, रेक्ट नं. 52, किल्ला नं. 22(10-2) में शामिल भूमि माप 94 कनाल 1 मरला में से कृषि भूमि माप 3 कनाल 18 मरला 5 सरसई का सभी भाग तथा हिस्सा जो 157/3762 शेयर होता है।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/गिरवी सम्पत्तियाँ यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसम्पत्तियों'' के रूप में वर्णित है। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि नगदी साख खाता सं. 22315500000530 में रु. 63,50,733.00 (रुपये तिड़ेसठ लाख पचास हजार सात सौ तैंतीस मात्र) की राशि 30.06.2019 को आप पर संयुक्त एवं अथवा पृथक रूप से बकाया है, नगदी साख खाता सं. 22315500000282 में 30.6.2019 को संयुक्त एवं/अथवा पृथक रूप से आप पर रु. 88,72,449.18 (रुपये अठासी लाख बहत्तर हजार चार सौ उन्चास एवं पैसे अठारह मात्र) की राशि बकाया है, सावधि ऋण खाता सं. 22316600000123 में 30.6.2019 को आप पर संयुक्त एवं/अथवा पृथक रूप से रु. 24,77,805.76 (रुपये चौबीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ पांच एवं पैसे छियत्तर मात्र) की राशि बकाया है तथा सावधि ऋण खाता सं. 2231660000013 में 30.06.2019 को संयुक्त एवं/अथवा पृथक रूप से रु. 41,29,801.42 (रुपये इकतालिस लाख उन्नतीस हजार आठ सौ एक एवं पैसे बयालिस मात्र) की राशि बकाया है, अर्थात् बैंक की करोलबाग शाखा में आप की ऋण खाता के अंतर्गत कुल रु. 2,18,30,789.36 (रुपये दो करोड़ अठारह लाख तीस हजार सात सौ नवासी तथा पैसे छत्तीस मात्र) की राशि बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। सह-देनदार/सह-ऋणधारक के रूप में तथा साथ ही कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से आप बैंक की बकाये का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि एफकेसीसी खाता नं. 22315500000282 में मासिक रेस्ट्स के साथ 10.75% प्रति वर्ष की दर से, नगदी साख खाता सं. 22315500000530 में मासिक रेस्ट्स के साथ 15.20% प्रति वर्ष की दर से, सावधि ऋण खाता सं. 22316600000123 में मासिक रेस्ट्स के साथ 11.20% प्रति वर्ष की दर से तथा सावधि ऋण खाता सं. 22316600000131 में मासिक रेस्ट्स के साथ 11.20% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज तथा 1.7.2019 से 2% प्रति वर्ष की दर से उक्त राशि का भुगतान करें।

अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

यह सूचना 19 जुलाई 2019 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।
यह सूचना उसके बकाये की वसूली के लिये बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जा रही है।

कृते, द फेडरल बैंक लि., सहायक उपाध्यक्ष
(सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)
आज, दिनांक 26 अगस्त, 2019 को

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
नाबार्ड

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में **ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत सहाय्य सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (Impact Evaluation Study) संचालित करने हेतु** योग्य संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है.
पूर्ण प्रस्ताव के जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 20 सितंबर 2019 को दोपहर 3 बजे तक है. इच्छुक संस्थान विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **https://www.nabard.org/** देख सकते हैं.

मुमप्र, राज्य परियोजना विभाग, नाबार्ड

जीवन बदले >> तो देश बदले | www.nabard.org | Taking Rural India >> Forward

---

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

समक्ष वसूली अधिकारी-द्वितीय ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मौंग तथा उपस्थित होने की सूचना
(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 239/2018, टी.ए. संख्या 101/2018 डायरी संख्या 246, दिनांक 15.07.2019
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, बनाम मनोज कुमार सेमवाल एवं अन्य
शाखा-17, राजपुर रोड, देहरादून

सेवा में,
सीडी नं0 1: मनोज कुमार सेमवाल (गारन्टर) पुत्र स्व0 श्री आत्माराम सेमवाल, निवासी 303, सारथि विहार, निकट रिस्पना ब्रिज, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।
सीडी नं0 2: श्रीमति सुनीता सेमवाल (गारन्टर) पत्नि श्री मनोज कुमार सेमवाल, निवासी 303, सारथि विहार, निकट रिस्पना ब्रिज, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।
सीडी नं0 3: श्रीमति शीला नौटियाल पत्नि श्री आनन्दी नौटियाल, निवासी 28-बी, शेरबाग, गढ़ी, कैंट जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।
सीडी नं0 4: श्री चन्द्र प्रकाश शक्लानी (गारन्टर) पुत्र श्री गोविन्द राम शकलानी, निवासी टेलीफोन एक्सचेंज मील देवला, राजपुर, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।

सर्टिफिकेट डेबटर्स

(1) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 22,03,915/- (बाईस लाख तीन हजार नौ सौ पन्द्रह रुपये मात्र) सहित ब्याज कालीन प्रभारी ब्याज, जो 01 को दिनांक 22.12.2014 से @12.00% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अन्य चार्ज रू0 86,250.00 बकाया है। जो कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ऋण वसूली अधिकरण-देहरादून के द्वारा दिनांक 20.06.2018 को जारी वसूली प्रमाणपत्र के जा.प. संख्या 101/2018 के अनुसार आप देय है।
(2) आपको इस नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। जिसके असफल होने पर, वसूली ऋण व दिवालियापन अधिनियम 1993 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
(3) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्न सुनवाई करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:-
ए) इस नोटिस की निष्पादन कार्यवाही के शुरुआत शुरू होने वाली अवधि का ब्याज।
बी) इस नोटिस की प्रक्रिया पर हुए व सभी लागत, शुल्क और खर्चे तथा अन्य राशि की वसूली के लिए ली गई अन्य कार्यवाई।
(4) यदि आपके द्वारा उपर्युक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपका एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप **21.10.2019 का प्रातः 11.00 बजे,** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित हों।
15, जुलाई, 2019 को अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। (समीर कुमार सक्सेना)
वसूली अधिकारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

प्रपत्र संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनियों के (निगमन) नियम, 2014 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
मैक्सट्रिप प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74999DL2017PTC320702) जिसका पंजीकृत कार्यालय म.नं.26, सैक्टर-13, नजदीक कादम्बरी अपार्टमैन्ट, यूनिक अपार्टमैन्ट, रोहिणी दिल्ली उत्तर पश्चिमी दिल्ली-110065 के मामले में ...आवेदक

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी केंद्र ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग करती है। 20, जुलाई 2019 को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से बदलकर 'तेलंगाना' में बदल सके। रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर कंपनियों के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110 003 के पते पर तथा साथ में आवेदक कम्पनी को एक प्रति कम्पनी के पंजिकृत कार्यालय में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 14 दिन के भीतर प्रेषित कर दें।

कृते **रिन्यु पावर लिमिटेड**
(हस्ता/-) **सुमन्त सिन्हा,**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, DIN : 00972012
पंजीकृत कार्यालय : 138, बसल चैम्बर्स-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066
दिनांक : 27/08/2019
स्थान : नई दिल्ली
(**नोट :** उपरोक्त विज्ञापन मूलरूप में दिनांक 22.05.2019 को बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्ली के अंग्रेजी व हिंदी संस्करण में पहले ही प्रकाशित हो चुका है)

प्रपत्र संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनियों के (निगमन) नियम, 2014 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
मैक्सट्रिप प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74999DL2017PTC320702) जिसका पंजीकृत कार्यालय म.नं.26, सैक्टर-13, नजदीक कादम्बरी अपार्टमैन्ट, यूनिक अपार्टमैन्ट, रोहिणी दिल्ली उत्तर पश्चिमी दिल्ली-110065 के मामले में ...आवेदक

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी केंद्र ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग करती है। 20, जुलाई 2019 को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से बदलकर 'तेलंगाना' में बदल सके। रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर कंपनियों के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110 003 के पते पर तथा साथ में आवेदक कम्पनी को एक प्रति कम्पनी के पंजिकृत कार्यालय में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 14 दिन के भीतर प्रेषित कर दें।

कृते **मैक्सट्रिप प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/- **सारिका बलराम शर्मा**
निदेशक
DIN: 07857169
तिथि : 20.07.2019
स्थान : दिल्ली

फार्म नं. INC-25A
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में।
तथा
मै. रिन्यु पॉवर लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, बसल चैम्बर्स-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066 में स्थित है के मामले में ... **आवेदक**

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 सपठित नियमावली के साथ पढ़े के अधीन आवेदन दाखिल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने के इच्छुक है जैसा कि 27 अप्रैल, 2019 को आयोजित अतिरिक्त सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में इस परिवर्तन को प्रभावी करने हेतु आयोजित की गई।
कोई भी व्यक्ति, जिसकी रुचि कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन की स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110 003 के पते पर, पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या तुरंत कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा:
310, तीसरा फ्लोर, दशमेश प्लाज़, सेक्टर 20बी फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)
बोर्ड के निदेशक कि ओर से
सीआईएस इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अजय नागर
निदेशक
DIN: 03262181
तिथि : 27.08.2019
स्थान : फरीदाबाद

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	**DELHI CONTROL DEVICES PVT. LTD.**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	05/01/1984
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U31200DL1984PTC017281
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Reg. office : K-185/2,BASEMENT, SURYA PLAZA, NEW FRIENDS COLONY, NEW DELHI-110065 **Principal office : C-22 & 23, Sector -4, Noida, UP Plant: Plot No. 25, Sector 2, IIE, SIDCUL, Haridwar**
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	Original date :15/02/2019 Re-commencement date : 05/07/2019 (by the order of Hon'ble NCLT, Principal Bench, Delhi CP No.(IB)-1567(PB)/2018 (received on 08/07/2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	26/08/19
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the code is available at:	Details can be sought by emailing at email:- irpdcdpl@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available at https://www.ibbi.gov.in/legal-framework/act (official website of IBBI) or can be sought by emailing at irpdcdpl@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	12/09/2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	22/09/2019
12.	Last date for submission of objections to provisional list	27/09/2019
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	28/09/2019
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	28/09/2019
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible Resolution applicant may communicate at the address mentioned against serial No. 21 to obtain RFRP, Evaluation Matrix , Information Memorandum and further information.
16.	Last date for submission of resolution plans	29/10/2019
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic mode to the email ID or by Speed Post or Registered Post of by hand at address given at Sr. No. 21 to Resolution Professional
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	On or before 13/12/2019
19.	Name and registration number of the resolution professional	ASHOK KUMAR GUPTA IBBI/IPA-003/IP-N00010/2016-17/10072
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	LD-46, Pitampura, Delhi-110034 **cmaashokgupt@gmail.com**
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	304, D.R. Chambers, 12/56, DB Gupta Road, Opp PP Jwellers, Kar

ट्रक ने दो सवारी गाड़ियों को मारी टक्कर

17 लोगों की मौत

शाहजहांपुर (उप्र), 27 अगस्त (जनसत्ता/भाषा)।

शाहजहांपुर जिले के रौजा थाना क्षेत्र में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने दो यात्री वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मंगलवार सुबह करीब दस बजे हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन को राहत राशि उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि सीतापुर से कपड़ा लेकर आ रहे एक ट्रक ने लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमका चौराहे के पास आगे चल रहे एक टेंपो में टक्कर मार दी। ट्रक ने आगे चलकर एक सवारी वाहन को भी टक्कर मार दी और बेकाबू होकर उस पर पलट गया। पुलिस ने क्रेन मंगवा कर ट्रक को हटवाया जिसके बाद बमुश्किल शवों को निकाला जा सका।

त्रिपाठी ने बताया कि टेम्पो और सवारी गाड़ी में बैठे 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में से बुद्धा लाल (46), रामकिशोर (48), बलराम (40), आलिया (आठ), अजीम (26) अर्शित (12), अमन (छह) और आरती देवी (40) की ही शिनाख्त हो पाई है। बाकी मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गंभीर रूप से घायल चार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजन को राहत धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। मारे गए लोगों के आश्रितों को पांच लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है।

शाहजहांपुर सड़क हादसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजन को राहत धनराशि तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। मारे गए लोगों के आश्रितों को पांच लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है।

मेरे रुख का सम्मान करे कांग्रेस : थरूर

कहा, वह केंद्र की राजग सरकार की रचनात्मक आलोचना करते हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'हमेशा खलनायक की तरह पेश नहीं करने' से जुड़े जयराम रमेश के बयान का खुलकर समर्थन करने के कारण अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के निशाने पर आए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि वह मोदी सरकार की रचनात्मक आलोचना करते रहे हैं और कांग्रेसजनों को उनके रुख का सम्मान करना चाहिए।

केरल कांग्रेस की ओर से उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने की खबर सामने आने के बाद थरूर ने कहा-मैं राजग सरकार का कटु आलोचक रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह रचनात्मक आलोचना रही है। समावेशी मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों का बचाव करते हुए मैं तीन चुनाव जीता हूं। मैं कांग्रेस के साथियों से आग्रह करता हूं कि मुझसे असहमत होने के बावजूद वे मेरे रुख का सम्मान करेंगे। इससे पहले, कांग्रेस की केरल इकाई ने थरूर से उनकी इस टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सही चीजें करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की जानी चाहिए।

● मैं तीन चुनाव जीता हूं। मैं कांग्रेस के साथियों से आग्रह करता हूं कि मुझसे असहमत होने के बावजूद वे मेरे रुख का सम्मान करेंगे।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसी) के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने कन्नूर में संवाददाताओं से कहा कि विभिन्न पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क कर थरूर द्वारा मोदी की सराहना किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वह उस परिस्थिति से अनभिज्ञ हैं जिसमें थरूर ने मोदी के समर्थन में टिप्पणी की। पूर्व मंत्री को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस बात के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना पूर्व रुख बदल दिया।

दरअसल, यह पूरा मामला कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान से शुरू हुआ। रमेश ने गत बुधवार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन का मॉडल पूरी तरह नकारात्मक गाथा नहीं है और उनके काम के महत्व को स्वीकार नहीं करके और हर समय उन्हें खलनायक की तरह पेश करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बाद में थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी सरीखे नेता रमेश के बयान के समर्थन में सामने आए और कहा कि व्यक्ति की नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों व गलतियों की आलोचना होनी चाहिए।

विदेश मंत्री जयशंकर रूस के दौरे पर, क्षेत्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को रूस के दो दिवसीय दौरे की शुरुआत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद से यह जयशंकर की पहली मास्को यात्रा है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव प्रधानमंत्री मोदी की आगामी व्लादिवोस्तोक यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चार से छह सितंबर के बीच व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने वाले हैं।

मंत्रालय के अनुसार जयशंकर का उप-प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मिलने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री भारत-प्रशांत के भारत के परिप्रेक्ष के विषय पर वल्दई चर्चा क्लब की बातचीत में भी भाग लेंगे।

दोनों देश इस दौरान निवेश, सैन्य संबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, अंतरिक्ष एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच एशिया-प्रशांत क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र, शांघाई सहयोग संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के बारे में भी चर्चा होगी। इस दौरान ईरान, अफगानिस्तान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि जयशंकर की यात्रा से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेट्रूशेव के साथ वार्ता की थी। इसमें दोनों पक्षों ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और तीसरे पक्षों के गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों के समर्थन को रेखांकित किया था।

नई दिल्ली में मंगलवार को दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

मोदी ने जेटली के घर पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि देश के लिए किए गए उनके अच्छे कार्य अमर रहेंगे। हालांकि वे हमें असमय छोड़ गए। प्रधानमंत्री जेटली के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। जेटली का गत शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 66 साल की उम्र में निधन हो गया था।

गृह मंत्री अमित शाह पहले ही जेटली के आवास पर पहुंच गए थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र रोहन जेटली के साथ वहां मौजूद थे। मोदी ने जेटली की पत्नी और बच्चों से बात की। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। मोदी, जेटली के आवास पर करीब 20 से 25 मिनट तक रुके। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि नियति ने अरुण जी को असमय हमसे छीन लिया लेकिन भारत के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा अमर रहेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता जेटली का जब निधन हुआ, तब मोदी विदेश दौर पर थे। हालांकि उन्होंने जेटली की पत्नी और बेटे रोहन से शनिवार को फोन पर बात की थी। मोदी ने बहरीन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं यहां बहरीन में हूं, जबकि मेरे प्रिय मित्र अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन पहले हमने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को खो दिया। आज मेरे प्रिय दोस्त अरुण हमें छोड़कर चले गए।

जेडे हत्याकांड

जिग्ना वोरा को बरी करने का फैसला बरकरार

मुंबई, 27 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने पत्रकार जेडे हत्या मामले में पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा को बरी करने के विशेष सीबीआइ अदालत के 2018 के फैसले को मंगलवार को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि अभियोजन एजंसी सीबीआइ 2011 के इस हत्याकांड से वोरा को जोड़ने के लिए कोई ठोस साक्ष्य मुहैया करने में नाकाम रही है। विशेष सीबीआइ अदालत ने 2018 में गैंगस्टर छोटा राजन और आठ अन्य लोगों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया था लेकिन वोरा और एक अन्य व्यक्ति पॉलसन जोसेफ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। वोरा व जोसेफ को बरी करने के फैसले को सीबीआइ ने कोर्ट में चुनौती दी थी।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) — **अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस**

रिटेल एसेट ग्रुप क्लस्टर ऑफिसः प्रथम तल, राधा पैलेस, 78, राजपुर, रोड, देहरादून

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अंतर्गत अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के संबंध में

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग/कोरियर द्वारा बिना वितरण के (Undelivered) वापस आ गया। सभी संबन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्ननिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

खाते का नाम/ बंधककर्ता / गारन्टर का नाम	बंधक वाहन का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	13(2) डिमांड नोटिस की तिथि
श्री मौहम्मद वकील पुत्र मौहम्मद हनीफ, मकान नं0 30, टी एस्टेट बंजारावाला, देहरादून	एक चार पहिया वाहन, निर्माता का नाम-फोर्ड मॉडल-फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.5 डीजल, टाइटन कलर-डी व्हाइट, रजिस्ट्रेशन नं0- UK-07-BP0200, इंजन नं0 43106, चेसिस नं0 MAJAXXMRKAGB43106, खरीद मूल्य रू0 1221209/- **बंधककर्ता/दृष्टिबंधक का नाम व पताः** श्री मौहम्मद वकील पुत्र मौहम्मद हनीफ, मकान नं0 30, टी एस्टेट बंजारावाला, देहरादून	रू0 602106.88 दिनांक 31.05.2019 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.06.2019 एनपीए की तिथि 31.05.2019

उधारकर्ता/गारन्टर को सलाह दी जाती है कि वह सरफासी एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही से बचने हेतु प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन के अन्तर्गत उल्लिखित बकाया धनराशि का भुगतान कर दें।

दिनांक-27.08.2019 स्थानः देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

पंजाब एंड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
ए-4 बलराम नगर, लोनी, गायिजाबाद-201102
Punjab & Sind Bank — Where service is a way of life

कब्जा सूचना {नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये}

सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तालिका में नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

चूंकि, ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवयाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत तथा अन्य खर्चे आदि के साथ यहां नीचे दी गई राशि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक (बीओः ए-4, बलराम नगर, लोनी, गाजियाबाद) के चार्ज के अधीन होगा।

खाता/ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि धारा 13(2) सूचना में वर्णित	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
1. श्री नवनीत कुमार गोस्वामी, पुत्र श्री सुरेश चन्द, निवासी फ्लैट नं. यूजीएफ-4, प्लॉट नं. 130, आकाशवाणी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102.....ऋणधारक, साथ ही: एच.नं. 44, टाइप-3, वरुण निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 2. श्रीमती सर्वेश, पत्नी श्री सुरेश चन्द, निवासीः एच.नं. 44, टाइप-3, वरुण निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 3. श्री अमरजीत सिंह, पुत्र अशोक कुमार, निवासीः एच.नं. 764, बंगाली कॉलोनी, संत नगर, गली 21, बुराड़ी, दिल्ली-110084.....गारन्टर	फ्लैट नं. यूजीएफ-4, लॉट नं. 130, खसरा नं. 279, आकाशवानी कॉलोनी, ग्राम सैदुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102, सम्पत्ति की चौहद्दीः पश्चिमः अन्य भूमि, पूर्वः 35 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. 129, दक्षिणः प्लॉट नं. 131	रु. 1072017.20/- जिसमें 31.5.2019 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.6.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे एवं उस पर अन्य चार्जेज	1.6.2019	22.8.2019
1. श्रीमती जसवीर कौर, पत्नी श्री अरविन्दर सिंह, निवासीः एच. नं. एवं प्लॉट नं. 11/51-डी, ब्लॉक नं. 11, सेक्टर-3, टी.एच.ए. राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201101.....ऋणधारकः साथ ही: एच नं. 11/137, सेक्टर-3, राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201101 2. श्री अरविन्दर सिंह, पत्नी श्री मंगल सिंह, निवासीः एच नं. 11/137, सेक्टर-3, राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201101..... सह-ऋणधारक 3. श्री मूल चंद पाल, पुत्र श्री पाल, निवासीः एच.नं. 2/6, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-गारन्टर	एच.नं. प्लॉट नं. 11/51-डी, ब्लॉक नं. 11, सेक्टर-3, टीएचए राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201101 सम्पत्ति की चौहद्दीः पश्चिमः गजराज सिंह का मकान एवं 10 फीट रास्ता, पूर्वः प्लॉट नं. 52, उत्तरः प्लॉट नं. 93 एवं 94, दक्षिणः प्लॉट नं. 11/51-सी	रु. 3649853.50/- जिसमें 31.5.2019 तक ब्याज शामिल हैं तथा 1.6.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत, खर्चे एवं उस पर अन्य चार्जेज	1.6.2019	22.8.2019

तिथिः 28.8.2019, स्थानः गाजियाबाद — हस्ता./- प्राधिकृत, अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

प्रेसिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
CIN NO.: L32104DL1979PLC009590
पंजीकृत कार्यालयः डी-1081, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110025
ई-मेलः cs@pel-india.com, वेबसाइटः www.pel-india.com,
फोनः 120 2551556/7, फैक्सः 120 2524337

40वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-मतदान जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 40वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 26 सितंबर, 2019, को दोपहर 02:30 बजे, बिपिन चंद पाल मेमोरियल ऑडीटोरियम, ए-81, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली में एजीएम सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।
2. एजीएम-सूचना और 2019 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी अमानतदार प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम-सूचना और 2019 की वार्षिक रिपोर्ट की कागजी प्रतियां सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य माध्यमों से भेज दी गई है। भेजने की कार्यवाही 27 अगस्त, 2019 तक पूर्ण हो जाएगी।
3. कट-ऑफ तिथि यानी 19 सितंबर, 2019 के अनुसार वास्तविक या अप्रत्याशित रूप में शेयरधारक सदस्य अपने मत सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में और एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान (रिमोट-मतदान) से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से एजीएम सूचना में तय विशेष कार्यवाही हेतु अपना मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   i. एजीएम सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा किया जा सकता है:
   ii. रिमोट ई-मतदान 22 सितंबर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी।
   iii. रिमोट ई-मतदान 25 सितंबर, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।
   iv. एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मत देने हेतु पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2019 है।
   v. एजीएम सूचना भेजे जाने के बाद जो व्यक्ति कंपनी का शेयर प्राप्त करता है और सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी 19 सितंबर, 2019 के अनुसार शेयरधारक है वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसके साथ यदि कोई व्यक्ति ई-मतदान हेतु एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तब वह अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग मतदान करने हेतु कर सकता है।
   vi. सदस्य ध्यान दें कि: i) रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल मतदान की उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा तथा सदस्यों द्वारा अस्वीकार पर एक बार मतदान कर देने के बाद, उन्हें इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। ii) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध रहेगी। iii) रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य सामान्य बैठक में उपस्थित रह सकते है लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकेंगे तथा iv) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या अमानतदारों द्वारा बनाए गये लाभार्थी सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान या मतपत्र के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
   vii. एजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है तथा
   viii. किसी पूछताछ हेतु सदस्य वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर सदस्यों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और सदस्यों हेतु ई-मतदान यूजर मैनुअल देखें या टोलफ्री नं 1800 22 2990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए' विंग, दौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से पदनामित ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर: 022 24994545 से संपर्क कर सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को उपरोक्त ई-मेल आईडी या पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी पत्र लिख सकते हैं।

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 20 सितंबर, 2019 से 26 सितंबर, 2019 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

कृते प्रेसिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
हस्ता/-
विनीता पुरी
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा
दिनांकः 28 अगस्त, 2019

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
प्रॉमिनेन्ट मेटल प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	प्रॉमिनेन्ट मेटल प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	12 फरवरी, 2014
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U51101DL2014PTC264825
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	XWH 20, 2रा तल, प्लॉट नं. 5, पार्क एण्ड, विकास मार्ग, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली- 110092
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आईबीसी के अंतर्गत दिवाला आरंभ होने की तिथि 25 जुलाई, 2019 है। आईआरपी को आदेश की सूचना देने की तिथि 26 अगस्त, 2019 है। दावे 25 जुलाई, 2019 तक जमा किये जाएंगे।
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	21 जनवरी, 2020- माननीय एनसीएलटी दिल्ली पीठ द्वारा पारित आदेश तिथि 25 जुलाई, 2019 की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	नाम- विवेक पर्ती, पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	विवेक पर्ती, ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024, दिल्ली, पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376 ई-मेलः v-parti@yahoo.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, दिल्ली, वेबसाईटः www.prominentmetal.in ई-मेलः irppmpl@prominentmetal.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	9 सितम्बर, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग (गों) का नाम एन ए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. 2. 3.

14. क) संबंधित प्रपत्र
प्रमाण के साथ दावे भारत दिवाला एवं दिवालिया संहिता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला विनियमन प्रक्रिया) के चैप्टर IV के अनुसार जमा की जायेगी। दावे का प्रमाण अधोलिखित प्रपत्रों में जमा किया जा सकता हैः
प्रपत्र बीः ऑपरेशनल क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीः होम बायर्स तथा सावधि जमा धारकों को छोड़कर वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीएः होम बायर्स तथा सावधि जमा धारकों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र डीः कर्मियों तथा कर्मचारियों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिये आप वेबसाईटः www.ibbi.gov.in से तथा भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अंतर्गत, से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध हैः एनए
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 25 जुलाई, 2019 को प्रॉमिनेन्ट मेटल प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा प्रॉमिनेन्ट मेटल प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 9 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये [ ] प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
विवेक पर्ती
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 26 अगस्त, 2019

SEASONS FURNISHINGS LIMITED
CIN - L36101DL1990PLC039238
Regd. Off: 64, Ground Floor, Ring Road, Lajpat Nagar – III, New Delhi - 110024
Website :www.seasonsfurnishings.com, Email : cs@seasonsfurnishings.com Phone No. 011-41582040

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of SEASONS FURNISHINGS LIMITED will be held on Monday the 23rd day of September, 2019 at 11.00 A.M. at Royal Valika, Main Bus Stand, Khera Khurd, Delhi – 110082.

Notice convening the AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 has been mailed through electronic mode to the members who have registered their e-mail IDs with their Depository Participants and dispatched through courier to the other members in physical mode to their registered address. The notice of the AGM of the Company inter alia indicating the process and manner of e-voting along with attendance slip and proxy form can also be downloaded from www.seasonsfurnishings.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with rules and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain close from Monday, the 16th day of September, 2019 to Monday, the 23rd day of September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management And Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by The Institute of company Secretaries of India, the Company is pleased to provide the Members facility to exercise their right to vote at the 29th AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (

Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233
E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in
CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE

Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 04th day of September, 2019 at 12:00 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company, situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Surajkund, Shooting Range Road, Faridabad, Haryana – 121001 to inter-alia consider the following business:

1. To decide the date, time and place of 30th Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended on 31st March, 2019.
2. To fix the date of book closure for the aforesaid Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended on 31st March, 2019.
3. To take note of the decision of the Financial Institution/Bank on the proposal submitted by the Company for One Time Settlement (OTS), and
4. Any other matter as may be considered appropriate by the Board.

By Order of the Board of Directors
For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
Deepak Kaushal
Company Secretary & Manager (Legal)

Place: Faridabad
Date: 27th August, 2019

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Raj Nagar, Ghaziabad, Ph.: 0120 - 2827621, 2824631

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक राज नगर, गाजियाबाद शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.07.2018, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता राम गोपाल और जमानती श्रीमती रमा गुप्ता और श्री शरद गुप्ता, 131, खसरा नं0. 966, महाराजा सूरजमल इन्क्लेव, फेस–।।, सैक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 12,66,314.42/– (रूपये बारह लाख छासठ हजार तीन सौ चौदह और बियालिस पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनाक 22 अगस्त 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सिंडिकेट बैंक, राज नगर, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.– 12,66,314.42/– (रूपये बारह लाख छासठ हजार तीन सौ चौदह और बियालिस पैसे केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज दिनांक 30.06.2018 तक अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

प्लॉट नं0. 19 और 19ए (न्यू नं0. 131) खसरा नं0 966, महाराजा सूरजमल इन्क्लेव, फेस–।।, सैक्टर – 23, संजय नगर, गाजियाबाद। मालिक श्री राम गोपाल।

दिनांक: 22.08.2019
स्थान: गाजियाबाद।

प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक।

झारखण्ड सरकार, उद्योग निदेशालय
नेपाल हाउस,तृतीय तल,डोरण्डा,राँची-834002(झारखण्ड)

सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि MSMED ACT 2006 के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विलम्बित भुगतान की समस्या के निदान हेतु गठित "सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद" की बैठक निदेशक उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष, नेपाल हाउस, तृतीय तल, डोरन्डा, राँची में दिनाक 03.09.2019 को पू0 11.00 बजे आहूत की गई है। जिसमें निम्नवर्णित वादों पर सुनवाई किया जाना है:–

क्र0	केस नं0	वादी का नाम एवं पता	प्रतिवादी का नाम एवं पता
1	JHMSEFC-11/2016 (JH/22//S/00032)	सर्वश्री एनभिल केबल्स प्रा0 लि0, गम्हरिया	सर्वश्री मध्यप्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि0 ब्लॉक नं0–7 शक्ति भवन जबलपुर, मध्यप्रदेश–482008
2	JHMSEFC-19/2016 (JH/22/S/00038)	सर्वश्री एनभिल केबल्स प्रा0 लि0, गम्हरिया	झारखण्ड विद्युत वितरण निगम, धुर्वा, राँची
3	JHMSEFC-62/2018 JH/20/S/00078	सर्वश्री कार्फ्टेज अपरल,राँची	खादी बोर्ड, राँची
4	JHMSEFC-65/2018 (JH/20/S/00072)	सर्वश्री निर्मलारोटीप्लास्ट प्रा0लि0, राँची	नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ओडिसा
5	JHMSEFC-91/2018 (JH/22/S/00086)	सर्वश्री व्युवल इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट,जमशेदपुर	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,आदित्यपुर डिवीजन, जमशेदपुर
6	JHMSEFC-92/2018 (JH/22/S/00087)	सर्वश्री व्युवल इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट,जमशेदपुर	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,आदित्यपुर डिवीजन, जमशेदपुर
7	JHMSEFC-93/2018 (JH/22/S/00088)	सर्वश्री व्युवल इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट,जमशेदपुर	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,आदित्यपुर डिवीजन, जमशेदपुर
8	JHMSEFC-124/2018 (JH/01/S/00094)	सर्वश्री एनविल केबल्स प्रा0लि0 जमशेदपुर	चीफ इन्जीनियर, जे0ए0ई0वी0, राँची
9	JHMSEFC-133/2018 (JH/03/S/00090)	सर्वश्री तिरजन टेक्सटाईल लि0 देवघर	झारकाफ्ट, राँची
10	JHMSEFC-10/2011	सर्वश्री हिन्दुस्तान ईलेक्ट्रोड, राची	सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,राँची
11	JHMSEFC-16/2011	सर्वश्री हिन्दुस्तान ईलेक्ट्रोड, राची	सेन्ट्रल कालफील्ड लिमिटेड,राँची
12	JHMSEFC-158/2019 (JH/22/S/JKH/00100)	सर्वश्री शिला प्रोजेक्टस् एण्ड मार्केटिंग प्रा0लि0,जमशेदपुर	सर्वश्री भूषण पावर एण्ड स्टील लि0,कोलकाता
13	JHMSEFC-123/2018 (JH/22/S/00095)	सर्वश्री एनविल केबल्स प्रा0लि0 जमशेदपुर	सर्वश्री इर्नगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लि0 हरियाणा
14	JHMSEFC-134/2018 (JH/04/S/00096)	सर्वश्री नटराज आयरन कास्टिंग प्रा0लि0,धनबाद	सर्वश्री स्वर्णा टैक्नो कस्ट्रक्सन प्रा0लि0 कर्नाटक
15	JHMSEFC-135/2018 (JH/11/S/00098)	सर्वश्री एस0एन0सिंह, पी0टी0पी0एल0, हजारीबाग	सर्वश्री एस्सार पावर गुजरात लि0, गुजरात
16	JHMSEFC-147/2018 (JH/04/S/00099)	सर्वश्री पाम्पोस रिफैक्ट्रीज सेरामिक वर्क्स, धनबाद	सर्वश्री सेल, बोकारो
17	JHMSEFC-148/2018 (JH/04/S/00097)	सर्वश्री नटराज आयरन कास्टिंग प्रा0लि0,धनबाद	सर्वश्री पी0के0 इण्डस्ट्रीज, उत्तराखण्ड
18	JHMSEFC-149/2018 (JH/04/S/00101)	सर्वश्री अशोका कालण्ड्री इक्युपमेंट प्रा0लि0, बोकारो	सर्वश्री मैसर्स स्टील लि0,ओडिसा
19	JHMSEFC-02/2016	सर्वश्री नेशनल प्रिंटर्स, नामकुम, राँची	प्रधान सचिव, एच0आर0डी0–कम– स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, झारखण्ड एजूकेशन प्रोजेक्ट कॉसिल, राँची
20	JHMSEFC-167/2019 (JH20B0005927/S/00001)	सर्वश्री सिमोंस कैंट्रैक्टर्स एण्ड इंजीनियरिंग प्रा0लि0, राँची	मे0 अर्जुन इंजीनियरिंग लि0 तेलगाना
21	JHMSEFC-179/2019 (JH20E0016099/S/00001)	सर्वश्री एस0एन0इन्टरप्राइजेज, राँची	सर्वश्री आइ0एल0 एण्ड एफ0एस0 ट्रान्सपोर्टेशन नेटवार्क लि0,मुम्बई
22	JHMSEFC-152/2018 (JH01B0001131/S/00001)	सर्वश्री एसोसिएटेड प्लेटेरा एण्ड मेसल प्रा0लि0, बोकारो	सर्वश्री प्रामंडल्ला टेक्नोलॉजिज इंडिया प्रा0 लि0,महाराष्ट
23	JHMSEFC-156/2019 (JH01E0002433/S/00004)	सर्वश्री इलेक्ट्रो मैक इंजीनियर धनबाद	सर्वश्री उषा मार्टिन धनबाद
24	JHMSEFC-157/2019 (JH01E0002433/S/00001)	सर्वश्री इलेक्ट्रो मैक इंजीनियर धनबाद	सर्वश्री सिनार्जीन इनर्जी इंडिया,प्रा0लि0, महाराष्ट
25	JHMSEFC-159/2019 (JH01B0001129/S/00007)	सर्वश्री अशोका कालण्ड्री इक्युपमेंट प्रा0लि0, बोकारो	सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0, ओडिसा
26	JHMSEFC-153/2018 (JH20B0004896/S/00020)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,राँची वेस्ट, राँची
27	JHMSEFC-154/2018 (JH20B0004896/S/00021)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,राँची ईस्ट,
28	JHMSEFC-165/2019 (JH20B0004896/S/00026)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,दुमका
29	JHMSEFC-160/2019 (JH20B0004896/S/00024)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,गिरिडीह
30	JHMSEFC-162/2019 (JH20B0004896/S/00022)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,लातेहार
31	JHMSEFC-163/2019 (JH20B0004896/S/00023)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,हजारीबाग
32	JHMSEFC-164/2019 (JH20B0004896/S/00027)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,बोकारो
33	JHMSEFC-166/2019 (JH20B0004896/S/00025)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,रामगढ
34	JHMSEFC-161/2019 (JH20B0004896/S/00030)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,मधुपुर
35	JHMSEFC-169/2019 (JH20B0004896/S/00029)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,देवघर
36	JHMSEFC-170/2019 (JH20B0004896/S/00031)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,–II गिरिडीह
37	JHMSEFC-171/2019 (JH20B0004896/S/00032)	सर्वश्री शिवगंगा इन्टरप्राईजेज, राँची	सर्वश्री कार्यकारी अभियन्ता,पेयजल एवं स्वच्छता डिविजन,– II,गिरिडीह
38	JHMSEFC-180/2019 (JH20E0007884/S/00003)	सर्वश्री इंडिगो कैटरिंग एण्ड सर्विसेज प्रा0लि0,राँची	मे0 ई0पी0सी0 अपिसार सबसी प्रोजेक्ट लि0, महाराष्ट
39	JHMSEFC-182/2019 (JH20B0009277/S/00001)	सर्वश्री मंगलम लुब्रीकेन्ट प्रा0लि0,राँची	मे0 रमेश शर्मा एण्ड क0 जमशेदपुर
40	JHMSEFC-174/2019 (JH20A0012992/M/00002)	सर्वश्री ग्रीन पावर सिस्टम,राँची	निदेशक, भूमि सरक्षण, कृषि भवन, कांके रोड, राँची
41	JHMSEFC-175/2019 (JH20A0012992/M/00003)	सर्वश्री ग्रीन पावर सिस्टम,राँची	निदेशक, भूमि सरक्षण, कृषि भवन, कांके रोड, राँची
42	JHMSEFC-176/2019 (JH20A0012992/M/00004)	सर्वश्री ग्रीन पावर सिस्टम,राँची	निदेशक, भूमि सरक्षण, कृषि भवन, कांके रोड, राँची
43	JHMSEFC-177/2019 (JH20A0012992/M/00005)	सर्वश्री ग्रीन पावर सिस्टम,राँची	निदेशक, भूमि सरक्षण, कृषि भवन, कांके रोड, राँची
44	JHMSEFC-178/2019 (JH20A0012992/M/00006)	सर्वश्री ग्रीन पावर सिस्टम,राँची	निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि भवन कांके रोड, राँची
45	JHMSEFC-185/2019 (JH20A0004115/M/00001)	सर्वश्री पावर ड्राईव (इंडिया) आदित्यपुर, जमशेदपुर	मे0 मैकनली सायाजी इंजीनियरिंग लि0, धनबाद
46	JHMSEFC-186/2019 (JH20A0004115/M/00002)	सर्वश्री पावर ड्राईव (इंडिया) आदित्यपुर, जमशेदपुर	मे0 मैकनली सायाजी इंजीनियरिंग लि0, धनबाद

तदनुसार निर्धारित बैठक में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे।

अवर सचिव
उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

P.R. 215461 Industries(19-20)-D

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः भगीरथ पैलेस, दिल्ली–110006

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदार: श्री धर्मेन्द्र एच नं. डी–151–बी, ब्रिज विहार, चन्दर नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0–201011	मालिक: श्री धर्मेन्द्र सिंह बिस्ट वाणिज्यिक दुकान सं. सी–30, क्षेत्र–12.34 वर्ग मीटर, बी ब्लॉक, ब्रिज विहार, गाजियाबाद, उ0प्र0। जो घिरा है: उत्तर: दुकान सं.19 पश्चिम: रोड (17 फीट एवं 2 इंच) उत्तर: दुकान सं.20 दक्षिण: कॉमन स्टेयर केस	29.07.2019 को एनपीए 29.07.2019 को बकाया रु.7,75,616/– (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 01.08.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भगीरथ पैलेस, दिल्ली

शुद्धि पत्र (प्रपत्र–ए)
अर्थकॉन इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

मैं. अर्थकॉन इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों का ध्यान फाइनांसियल एक्सप्रैस एवं जनसत्ता समाचार पत्र के दिल्ली एवं एनसीआर संस्करण में 26 अगस्त, 2019 को प्रकाशित {भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत} 'प्रपत्र–ए' में की गई सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसमें कॉर्पोरेट ऋणधारक के पते के कॉलम नं 5 के अंतर्गत गोदाम का पता अनजाने में प्रकाशित हो गया है जो स्पष्ट रूप से लिपकीय त्रुटि है। हमस स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि इस पते पर कॉर्पोरेट ऋणधारक का कोई ऐसा गोदाम नहीं है। अन्य विवरण पूर्ववत तथा अप्रभावित रहेंगे।

रुखसाना चौधरी
अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल
पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00761/2018-19/12374
तिथि: 27.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लि.
डी–105, विवेक विहार, नजदीक विवेकानंद कॉलेज, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110095

कब्जा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर को मांग सूचना जारी की जिसमें उनसे कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया। जैसा कि उनके द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त नियम के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले उपर्युक्त अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे कर्जदार के नाम के सम्मुख वर्णित तिथि को निम्नलिखित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि एवं उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करने के अधीन होगा।

कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर एवं सम्पत्ति के स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि / सांकेतिक कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	13(12) सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि
श्री प्रतीक भारद्वाज (कर्जदार), श्री राम प्रकाश शर्मा (गारंटर) एवं श्रीमती शशि रानी शर्मा (गारंटर)	18.07.2017 / 23.08.2019	प्लॉट न. 25 जी, भूतल, खुल लान के साथ, प्लॉट नं बीआरएस–08, सैक्टर–ओमेगा (पूर्व में पॉकेट पी–2 के रूप में ज्ञात), ग्रेटर नोएडा, जिला जी बी नगर, यूपी	25.01.2019 को रु. 18,17,991 80/– (अठारह लाख सत्रह हजार नौ सौ एकानबे रुपए एवं अस्सी पैसे)

दिनांक: 27.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
(आईडीबीआई बैंक लिमिटेड)

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
{भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत}
मैसर्स पीको इवेन्ट मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संगत विवरण	
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स पीको इवेन्ट मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	19.08.2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत कंपनी पंजीयक (दिल्ली)
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान सं.	U74900DL2009FTC193329
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	ल 2 एलिगेंस, मथुरा रोड, जसोला, दक्षिण दिल्ली नई दिल्ली–110025 एन
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश के रूप में तिथि 23.08.2019 (आईआरपी द्वारा 27.08.2019 को आदेश प्राप्ति)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	19.02.2020
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	गौरव कटियार आईबीबीआई/आईपीए–001/आईपी–पी00209/2017–18/10409
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई–मेल	डी–32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 ई–मेल: cagauravkatiyar@gmail.com
10.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई–मेल	डी–32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065 ई–मेल: picoevent.cirp@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	10.09.2019
12.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	अंतरित रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा वर्ग की गणना नहीं की गई है
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का विवरण	क) वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 23.08.2019 को मैसर्स पीको इवेन्ट मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

मैसर्स पीको इवेन्ट मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 10.09.2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांक: 27.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम एवं हस्ताक्षर:
गौरव कटियार

SKYWEB INFOTECH LIMITED
CIN: L72200DL1985PLC019763

Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024
Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor, Wing-A, Sector-126, Noida, Uttar Pradesh- 201 301
E-mail id: info@skywebindia.com | Ph. No. 0120-6721900

NOTICE

1. **Annual General Meeting & Book Closure**
   Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday, the 19th day of September, 2019 at 03:00 P.M at K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024. Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from Friday, 13th September, 2019 to Thursday, 19th September, 2019 (both days inclusive).
2. **Voting through Electronic Mode**
   a) Notice is also hereby given that the businesses proposed to be transacted at the 34 th Annual General Meeting may be transacted by electronic voting. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in the general meeting is 12th September, 2019. The remote E-voting period will commence from Monday, 16th September, 2019 at 9:00 A.M. IST and will end on Wednesday, 18th September, 2019 at 5:00 P.M. IST. Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Central Depository Services Limited (CDSL) on the help desk No. 1800 200 5533 or send an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or send physical communication at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013. Above mentioned person(s) can also be contacted to address the grievances connected with facility for e-voting by electronic means.
   b) Notice of the meeting along with the detailed E-Voting instructions has been sent to all members to their respective addresses by post and is also displayed on the website of the Company www.skywebindia.in and CDSL' website www.evotingindia.com.
   c) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general meeting. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote E-voting but shall not be entitled to vote again in the meeting. The members present at the meeting, having not exercised their vote by E-voting or ballot shall be entitled to vote by means of Poll.

By Order of the Board
Skyweb Infotech Limited
Sd/-
Amit Mahajan
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. 24167

Date: 27th August, 2019
Place: New Delhi

In the Court of **Sh. Dheeraj Mittal,**
ARC/CCJ/ACJ/ Room No. 3,
Patiala House Courts, New Delhi
Proclamation Requiring Attendance of Respondent
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

CS/SCJ No. 1226/18

CORPORATION BANK PETITIONER
Versus
Saroj Kumar Jha RESPONDENT

To,
Mr. Saroj Kumar Jha, H.No. 2, 6C, Block K Mahipalpur, New Delhi-110037

Whereas you are intentionally evading service of sunimons it is hereby notified that if you shall not defend the case on 04-09-2019, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this 17-07-2019 **Judge**

In the Court of **Sh. Dheeraj Mittal,**
ARC/CCJ/ACJ/ Room No. 3,
Patiala House Courts, New Delhi
Proclamation Requiring Attendance of Respondent
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

CS/SCJ No. 1225/18

CORPORATION BANK PETITIONER
Versus
DHANWANTI RESPONDENT

To,
Mr. Dhanwanti D-55, Street No. 15, Trishul Colony Chhawla New Delhi-110071

Whereas you are intentionally evading service of sunimons it is hereby notified that if you shall not defend the case on 04-09-2019, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this 17-07-2019 **Judge**

MS. MANU SHREE
Civil Judge - 01
Room No. 16, Main Building
Patiala House Courts, New Delhi

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES (ORDER 5 RULE 20)
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
Civil Suit No. 1204/18

CORPORATION BANK
Vs.
SANJAY CHAUHAN

To,
Sanjay Chauhan,
H.No. A-28, Road No:1, Mahipal Pur, New Delhi-110037

Whereas the plaintiff has instituted a suit against you for Recovery of Money and you are intentionally avoiding the service of the summons. You are hereby directed to appear in person or by pleader on 16-09-2019 at 10:00 am.
Given under may hand and the seal of the Court, this 08 day of July, 2016

Civil Judge
New Delhi

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (भंडार)
सेन्ट्रल स्टोर ख्याला ब्लाइंड स्कूल के सामने, बी–ब्लॉक, रघुबीर नगर, नई दिल्ली–110027

एनआईटी नं.: डी/ईई(भंडार)/एसडीएमसी/टीसी/2019-20/01 दिनांक: 27.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

एसडीएमसी द्वारा **"वर्ष 2019–20 के लिए सैन्ट्रल स्टोर, एसडीएमसी में पीपीसी सीमेंट की अधिप्राप्ति"** कार्य के लिए ब्रांड जैसे एसीसी, अल्ट्राटेक, जेपी, विक्रम, श्री, बिरला, बागर, सीसीआई, जक, लक्ष्मी, डांडर, बिनानी आदि के प्रतिष्ठित सीमेंट विनिर्माताओं (वैध बीआईएस प्रमाणन/लाइसेंस धारक) एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं/वितरकों/ स्टॉकिस्टों से दो निविदा प्रणाली में खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अनुमानित लागत: **रु. 44.00 लाख**, धरोहर राशि: **रु. 88,000/–** है।

उपरोक्त दिये गये पते पर **कार्यपालक अभियंता (भंडार)** के कार्यालय में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **12.09.2019 को अप. 3.00 बजे तक** है। योग्यता शर्तें एवं अन्य विवरण/निविदा दस्तावेज **12.09.2019 को अप. 2.00 बजे तक** कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से खरीदे जा सकते हैं या एसडीएमसी वेबसाइट **http:www.mcdonline.gov.in** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

आर.ओ.सं. 44/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 कार्यपालक अभियंता (भंडार), एसडीएमसी

गुमशुदा की तलाश

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर मामला दर्ज

शाहजहांपुर, 27 अगस्त (भाषा)।

एक युवती द्वारा वीडियो क्लिप के जरिये संत समाज के एक बड़े नेता पर उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने और उसके लापता हो जाने के बाद मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में भाजपा के इस बड़े नेता पर पुत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, वहीं चिन्मयानंद के वकील ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश है। सोशल मीडिया पर 24 अगस्त को वायरल वीडियो में पीड़िता ने स्वामी चिन्मयानंद का नाम लिए बिना कहा 'संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता है जो बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी मारने की धमकी देता है। उसने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी है।' पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार शाम संवाददाताओं को बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (हत्या करने के लिए अपहरण करना) और धारा 506 (धमकाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

'राम लला' के दावे का विरोध नहीं कर रहे : निर्मोही अखाड़ा

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

निर्मोही अखाड़ा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के स्वामित्व के लिए 'राम लला' के वाद का विरोध नहीं कर रहा है। अखाड़ा ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ को इस रुख के बारे में बताया। उससे पूछा गया था कि क्या वह इस तथ्य के आलोक में राम लला की याचिका का विरोध कर रहा है कि 'शबैत' (उपासक) के तौर पर संपत्ति पर उसका अधिकार तभी हो सकता है जब 'राम लला विराजमान' के वाद को विचारार्थ स्वीकार किया जाए।

निर्मोही अखाड़े की ओर से वरिष्ठ वकील सुशील जैन ने पीठ से कहा, ''कल आपने जो कहा, उसके जवाब में निर्मोही अखाड़ा का रुख यह है कि वह वाद संख्या 5 (देवकी नंदन अग्रवाल के माध्यम से देवता द्वारा दाखिल) की विचारणीयता के मुद्दे पर जोर नहीं देगा बशर्ते कि देवता के वकील भी अखाड़ा के शबैत अधिकारों को चुनौती नहीं दें।'' पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने जैन के इस लगातार दिए जा रहे रुख से इत्तेफाक नहीं जताया कि देवता का मुकदमा विचारणीय नहीं है क्योंकि शबैत के रूप में केवल अखाड़ा को देवता की तरफ से मुकदमा दायर करने का हक है। पीठ ने अखाड़ा को उसका रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया। दशकों पुराने संवेदनशील मामले की 13वें दिन की सुनवाई में दलीलें पेश करते हुए जैन ने कहा कि 1934 से किसी मुसलिम ने नियमित नमाज अदा करने के लिए विवादित इमारत में प्रवेश नहीं किया है और यह स्थान अखाड़े के कब्जे वाला मंदिर है। पीठ ने कहा, 'आपने यह सब कल ही पढ़ा है। आप जो पढ़ चुके हैं, उसके आगे की बात करिए। दोहराइए मत।' जैन ने कहा कि मुसलिम पक्ष की इस दलील को नहीं माना जा सकता कि 1934 में सांप्रदायिक दंगे के बाद विवादित ढांचे की मरम्मत के लिए एक ठेकेदार को कहा गया था। इस बात पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि राजस्व रिकार्ड अखाड़े का कब्जा दिखाते हैं।

बंगाल में भीड़ हत्या के खिलाफ विधेयक

कोलकाता, 27 अगस्त (भाषा)।

पश्चिम बंगाल सरकार भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं पर काबू पाने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल (भीड़ द्वारा हत्या पर रोकथाम) विधेयक, 2019 को 30 अगस्त को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने मंगलवार को कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कमजोर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

अनुच्छेद 370 : याचिकाओं पर आज सुनवाई

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को सुनवाई करने का कार्यक्रम है।

जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं।

डायन बताकर महिला की पीट-पीटकर हत्या

नवादा, 27 अगस्त (भाषा)।

बिहार में नवादा जिले के कौआकोल थाना के तरौन गांव में महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाथ एस ने बताया कि इस सिलसिले में नामजद चार आरोपियों में से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकडीबरावां अनुमंडल पुलिस अधिकारी मुकेश कुमार साह ने बताया कि मृतक महिला का नाम चिंता देवी (60) है।

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में चिंता देवी की बेटी के जरिए कैलाश मांझी और उनके पुत्र सोनू सहित कुल चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साह ने बताया कि पुलिस ने कैलाश मांझी और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है और दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

उन्होंने बताया कि कैलाश के बेटे मुन्ना मांझी (12) की सोमवार की शाम मौत हो गई थी। वह लंबे समय से बीमार था। चारों आरोपियों ने उसकी मौत के लिए चिंता देवी को जिम्मेदार माना और उन्होंने डायन होने का आरोप लगाते हुए महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

दिलीप घोष ने फिर दिया विवादित बयान

कोलकाता, 27 अगस्त (जनसत्ता)।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमला होने पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों की पिटाई करने और बाद में मामले को संभाल लेने संबंधी बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। पूर्व मेदिनीपुर में उन्होंने कहा अब वह किसी आइपीएस, आइएएस, डब्लूबीसीएस से नहीं डरता है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप पहले मार कर आएं, किसी को क्षमा नहीं करें।

तृणमूल कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव में दीदी मणि (ममता) वोट लूट, फर्जी मतदान, हत्या, आतंक करके चुनाव जीत गई थीं। इस बार उन्होंने कहा था 42 में 42 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन क्या हुआ हिसाब उलट कर 22 हो गया। चुनाव में पराजित होने के बाद ममता कह रही हैं कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। लेकिन मतदान ईवीएम से हो या बैलेट से चुनाव में जीत तो भाजपा की ही होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अंचल कार्यालय, छ ठा तल, कोनेक्टस टावर, यूनिट 602ए, टावर-II, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, अजमेरी गेट, नई दिल्ली
रेलवे स्टेशन के सामने, नई दिल्ली-110001, टेली: 011-23218529

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्तियों जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत क्रेडीटर) के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये 12.9.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान नीचे वर्णित रूप में होगा।

क्रम सं.	शाखा का नाम प्राधिकृत अधिकारी एवं सम्पर्क संख्या	ऋणधारक का नाम एवं पता	गारन्टर का नाम एवं पता	नीलामी के लिये रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूत क्रेडीटर को जानकारी में अधिभार, यदि कोई हो	ली गई रचनात्मक अथवा भौतिक कब्जा	ऋणधारक/गारन्टरों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / ईएमडी राशि (रु.)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	करोल बाग, सुश्री नीलम बक्शी, सम्पर्क नं.-9953033543 (एम), टेली. 011-28750003, 28757660, 28750709, ईमेल आईडी- karolbagh@union-bankofindia.com	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पताः ए-8सी, एमआईजी फ्लैट, डीडीए फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067. साथ हीः अपार्टमेन्ट नं. सीजीयू 076 एवं पार्किंग नं. पीयू 2046, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन फेज-II, शिवाजी मार्ग, गुड़गाँव।	श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव पताः ए-8सी, एमआईजी फ्लैट, डीडीए फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के नाम में अचल सम्पत्ति, चैम्बर नं. 102, प्रथम् तल, 9/54, नामधारी चैम्बर्स, डीबी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, माप 360 वर्ग फीट तथा चौहद्दीः उत्तरः यूनिट नं. 103, दक्षिणः यूनिट नं. 101, पूर्वः नीचे खुला, पश्चिमः कॉमन पैसेज, साइट का क्षेत्रफलः 360 वर्ग फीट।	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	31.3.2019 को रु. 24332848.48 (रुपये दो करोड़ तैंतालिस लाख बत्तीस हजार आठ सौ अड़तालिस एवं पैसे अड़तालिस मात्र) तथा 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 56,70,000/- (रुपये छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र) / रु. 5,67,000/- (रुपये पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
2.	करोल बाग, सुश्री नीलम बक्शी, सम्पर्क नं.-9953033543 (एम), टेली. 011-28750003, 28757660, 28750709, ईमेल आईडी- karolbagh@union-bankofindia.com	मै. अश्वनी डायमंड ज्वैलरी 216, तीसरा तल, गली नं. 30-31, ब्लॉक-पी, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, साथ हीः 3086/35, एफएफ, बेडनपुरा, गली नं. 31, ब्लॉक-पी, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	श्री अश्वनी वर्मा (प्रॉप.), श्रीमती पूनम वर्मा, श्री धरमवीर वर्मा, श्री रविन्दर वर्मा, पताः 216, तीसरा तल, गली नं. 30-31, ब्लॉक-पी, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, साथ हीः एच. नं. 53, एक्स्टेंशन III, नांगलोई, नई दिल्ली-110041, साथ हीः ई-81/82, ब्लॉक-ई, कमरुद्दीन नगर, शिव राम पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली-41	श्रीमती पूनम वर्मा, पत्नी श्री सुरेन्दर वर्मा के नाम में ब्लॉक पी, गली नं. 30-31, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में सम्पत्ति सं. म्यूनिसिपल नं. 3216, वार्ड नं. XVI, खसरा नं. 270 बी/2616 में छत के अधिकार के बिना सम्पूर्ण तीसरे तल की अचल सम्पत्ति। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 3215, दक्षिणः गली, पूर्वः गली नं. 30, पश्चिमः गली नं. 31, साइट का क्षेत्रफलः 83 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 747 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	31.3.2019 को रु. 42277322.67 (रुपए चार करोड़ बाईस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बाईस तथा पैसे सड़सठ मात्र) तथा 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 68,85,000/- (रुपये अड़सठ लाख पचासी हजार मात्र) / रु. 6,88,500/- (रुपये छः लाख अठासी हजार पाँच सौ मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
3.	करोल बाग, सुश्री नीलम बक्शी, सम्पर्क नं.-9953033543 (एम), टेली. 011-28750003, 28757660, 28750709, ईमेल आईडी- karolbagh@union-bankofindia.com	श्री धर्मेन्दर सिंह चौहान (आवेदक) (प्रॉप. मै. लार्ड कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशन) एच-3/216, 2रा तल, वर्धमान प्लाजा, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	श्री सुनील कुमार गुप्ता, पताः एच. नं. एस-88, एस-ब्लॉक, विजय विहार, नई दिल्ली-59, साथ हीः आरजेड-3, भूतल, इन्द्र पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली, साथ हीः एन-66, मंगल बाजार रोड, उत्तम नगर, दिल्ली	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान के नाम में रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110008 की ले आउट योजना में स्थित पॉकेट-22, सेक्टर-24 में निर्मित संपत्ति सं. 118 के भाग में छत के अधिकार के साथ संपूर्ण तीसरे तल की अचल संपत्ति, चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 105; दक्षिणः रोड; पूर्वः प्लॉट नं. 119; पश्चिमः प्लॉट नं. 117, साईट का क्षेत्रफलः 60 वर्ग मीटर	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 7452088.55 (रुपए चौहत्तर लाख बावन हजार अठासी तथा पैसे पचपन मात्र) 31.3.2019 को तथा 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 25,51,000/- (रुपये पच्चीस लाख इक्यावन हजार मात्र) / रु. 2,55,100/- (रुपये दो लाख पचपन हजार एक सौ मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
4.	करोल बाग, सुश्री नीलम बक्शी, सम्पर्क नं.-9953033543 (एम), टेली. 011-28750003, 28757660, 28750709, ईमेल आईडी- karolbagh@union-bankofindia.com	मै. प्रकाश ब्रदर्स 2/31, रूप नगर, दिल्ली-110007, साथ हीः शॉप नं.-5, एमसीएम, एमसी रोड, गनौर, जिला सोनीपत, हरियाणा	श्री अनूप मित्तल, पता- फ्लैट नं. 901, टावर 4, सनशाइन कंट्री, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा, श्री सूबे सिंह, पताः फ्लैट नं. 303, टावर 16, सनशाइन कंट्री, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा श्री दिलबाग सिंह, पताः सी-7/224/225, पॉकेट-सी, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली श्री अनिल मित्तल, पताः मकान सं. ए-7/8 ए, # रा तल, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली-110007	श्री सूबे सिंह, पुत्र श्री महा सिंह के नाम में अचल संपत्ति फ्लैट नं. 303, तीसरा तल, टावर नं. 16, सनशाइन कंट्री, सेक्टर-63, तहसील राई, जिला सोनीपत (हरियाणा) चौहद्दीः उत्तरः खुला; दक्षिणः प्रवेश/लिफ्ट, पूर्वः फ्लैट नं. 301, पश्चिमः खुला क्षेत्र, साइट का क्षेत्रफलः 2176 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 14535925.88 (रु. एक करोड़ पैंतालिस लाख पैंतीस हजार नौ सौ पच्चीस एवं पैसे अठासी मात्र) 31.3.2019 को तथा 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 58,35,000/- (रुपये अन्ठावन लाख पैंतीस हजार मात्र) / रु. 5,83,500/- (रुपये पांच लाख तिड़ासी हजार पांच सौ मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
5.	करोल बाग, सुश्री नीलम बक्शी, सम्पर्क नं.-9953033543 (एम), टेली. 011-28750003, 28757660, 28750709, ईमेल आईडी- karolbagh@union-bankofindia.com	श्रीमती मधु गोस्वामी पताः प्रथम तल, शक्ति खंड 1/390/1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.	श्री चेतन कुमार गोस्वामी, दीपक कुमार गोस्वामी तथा श्रीमती मोनिका गोस्वामी (सह-ऋणधारक) पताः एच. नं. 182, स्कूल वाली गली, एमसीडी बैंक्वेट हॉल के निकट, आजादपुर, मॉडल टाउन, दिल्ली-110033	सम्पत्ति सं. शक्तिखंड 1/390/1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. के भाग में बिना छत के अधिकार के प्रथम तल तथा भूतल में अचल सम्पत्ति, चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. 390, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 390/2, पूर्वः 30 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः शिव शिव सनातन धरम मंदिर के पीछे का भाग, साईट का क्षेत्रफलः भूतलः 968.4 वर्ग फीट, प्रथम तलः 968.4 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 1,86,92,318.00 (रुपये एक करोड़ छियासी लाख बानवे हजार तीन सौ अठारह मात्र) 31.3.2019 को तथा 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 96,00,000/- (रुपये छियानवे लाख मात्र) / रु. 9,60,000/- (रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
6.	करोल बाग, सुश्री नीलम बक्शी, सम्पर्क नं.-9953033543 (एम), टेली. 011-28750003, 28757660, 28750709, ईमेल आईडी- karolbagh@union-bankofindia.com	श्री विनोद बंसल, पताः 1007, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009, साथ हीः यू-29, ग्रीन पार्क, दिल्ली-110029	श्रीमती प्रीति बंसल, श्री शुभि बंसल पताः 1007, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009, साथ हीः यू-29, ग्रीन पार्क, दिल्ली-110029	सुश्री प्रीति बंसल (ऑफिस नं. 107) तथा श्री विनोद बंसल (ऑफिस नं. 108, 109ए तथा 110) के नाम में निर्मित सम्पत्ति सं. 54, ब्लॉक 9, नामधारी चैम्बर्स, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005 में अचल सम्पत्ति प्रथम तल ऑफिस नं. 107, 108, 109ए तथा 110) चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति का भाग; दक्षिणः सम्पत्ति का भाग, पूर्वः अन्य; पश्चिमः लॉबी, साईट का क्षेत्रफलः 1956 वर्ग यार्ड्स।	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 125337783.07 (रुपये बारह करोड़ तिड़ेपन लाख सैंतीस हजार सात सौ तिड़ासी एवं पैसे सात मात्र) 31.3.2019 को तथा 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 2,15,37,000/- (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख सैंतीस हजार मात्र) / रु. 21,53,700/- (रुपये इक्कीस लाख तिड़ेपन हजार सात सौ मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
7.	रजौरी गार्डन वीरांगना राज (एओ) 8874142828 संजय भार्गव (बीएम) 9971802732	श्रीमती रणजीत कौर तथा श्री कंवल दीप सिंह, ए-81, 2रा तल, खसरा नं. 617, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली-110018	श्रीमती रणजीत कौर तथा श्री कंवल दीप सिंह, ए-81, 2रा तल, खसरा नं. 617, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली- 110018	ए-81, दूसरा तल, बैक साइड, खसरा नं. 617 का भाग, माप 88.00 वर्ग यार्ड्स जो ग्राम- तिहाड़, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली- 110018 में स्थित है	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	30.3.2017 को रु. 50.57 लाख (रुपये पचास लाख सत्तावन हजार मात्र)	रु. 32.50 लाख (रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) / रु. 3.25 लाख (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
8.	रजौरी गार्डन वीरांगना राज (एओ) 8874142828 संजय भार्गव (बीएम) 9971802732	श्री विकास त्यागी पुत्र श्री प्रवीण त्यागी, प्रॉप. मै. वर्टेक्स इंडिया तथा श्रीमती ज्योति, पत्नी श्री विकास त्यागी, फ्लैट नं. 103, टावर नं. 10, प्रथम तल, वैली व्यू इस्टेट, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	श्री विकास त्यागी पुत्र श्री प्रवीण त्यागी, प्रॉप. मै. वर्टेक्स इंडिया तथा श्रीमती ज्योति, पत्नी श्री विकास त्यागी	फ्लैट नं. 103, टावर नं. 10, प्रथम तल, वैली व्यू इस्टेट, गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, माप 2273.87 वर्ग फीट	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	17.9.2016 को रु. 30234658.86 (रुपये तीन करोड़ दो लाख चौंतीस हजार छः सौ अन्ठावन एवं पैसे छियासी मात्र) तथा आगे का ब्याज एवं लागत	रु. 1.42 करोड़ (रु. एक करोड़ बयालिस लाख मात्र) / रु. 14.20 लाख (रुपये चौदह लाख बीस हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	5.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
9.	पटेल नगर, दिल्ली श्री प्रेम कुमार सम्पर्क नं. 8800607045	मै. आर.एस. एण्टरप्राईजेज (प्रॉप्राईटर): श्री रवि गोयल निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034	श्रीमती शिखा गोयल, निवासीः मकान सं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034, श्री हिमांशु गुप्ता, निवासीः 23/ 124-125, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	श्रीमती शिखा गोयल के नाम में अचल सम्पत्ति, आवासीय सम्पत्ति सं. डी-110, तीसरा तल, छत तथा टैरेस के अधिकार के साथ, डी ब्लॉक, पुष्पांजलि एन्क्लेव, दिल्ली- 110054, माप 932 वर्ग फीट (सुपर निर्मित/कार्पेट एरिया)	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	30.4.2018 को रु. 40269842.05 (रुपये चार करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ बयालिस एवं पैसे पांच मात्र)	रु. 1.55 करोड़ (रु. एक करोड़ पचपन लाख मात्र) / रु. 15.50 लाख (रुपये पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	4.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
10.	पटेल नगर, दिल्ली श्री प्रेम कुमार सम्पर्क नं. 8800607045			श्री रवि गोयल के नाम में फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 2664, गली जटवारा, जेरे फजिल, नया बाजार, वार्ड नं. 111, दिल्ली- 110006 के भाग में छत के अधिकार के बिना दूसरे तल पर आकार 9.6 फीट X 10.6 फीट (माप 9.46 वर्ग मीटर लगभग) में स्थित अचल सम्पत्ति प्राईवेट शॉप नं. 203	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	30.4.2018 को रु. 40269842.05 (रुपये चार करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ बयालिस एवं पैसे पांच मात्र)	रु. 21.49 लाख (रु. इक्कीस लाख उन्चास हजार मात्र) / रु. 2,14,900/- (रु. दो लाख चौदह हजार नौ सौ मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	4.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
11.	पटेल नगर, दिल्ली श्री प्रेम कुमार सम्पर्क नं. 8800607045			श्री रवि गोयल के नाम में फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति म्युनिसिवल नं. 2664, गली जटवारा, जेरे फजिल, नया बाजार, वार्ड नं. 111, दिल्ली- 110006 के भाग में छत के अधिकार के बिना दूसरे तल पर आकार 8.39 फीट X 10.6 फीट (माप 9.46 वर्ग मीटर लगभग) में स्थित अचल सम्पत्ति प्राईवेट शॉप नं. 204	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	30.4.2018 को रु. 40269842.05 (रुपये चार करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ बयालिस एवं पैसे पांच मात्र)	रु. 19.06 लाख (रु. उन्नीस लाख छः हजार मात्र) / रु. 1.90 लाख (रु. एक लाख नब्बे हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	4.9.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच
12.	परिसम्पत्ति वसूली शाखा, श्री दिवाकर चौधरी फोनः 9971781144	गार्टेक्स कंसेप्ट क्लॉथिंग लि., कार्यालयः डी 23 बी, तिलक विहार-तिलक नगर, दिल्ली-110018 फैक्ट्रीः खेवत/खाता नं. 702/839, धुधोला-धातिर रोड, जिला पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा	1. श्री कुलबीर सिंह, मकान सं. 126, सेक्टर-28, फरीदाबाद-121008, 2. श्री तरण पाल सिंह, मकान सं. 126, सेक्टर-28, फरीदाबाद-121008, 3. श्री करण दीप कौर, मकान सं. 126, सेक्टर-28, फरीदाबाद-121008, 4. श्री भूपिन्दर सिंह सॉहनी, मकान सं. ए-53/1, डीएलएफ सिटी, फेज-1, गुरुग्राम-122001, 5. श्री गुरमीत सिंह सॉहनी, मकान सं. ए-39, रोजवुड सिटी, सेक्टर-49, गुरुग्राम-122001, 6. श्री देवेन्दर पाल सिंह कोहली, मकान सं. ए-39, रोजवुड सिटी, सेक्टर-49, गुरुग्राम-122001	खाता नं. 76 (खसरा नं. 368 एवं 374) एवं खाता नं. 151 (खसरा नं. 373) खाता नं. 367, ग्राम नलहेरा बक्कल, अम्बाला रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 73), सहारणपुर, उ.प्र.	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	उस पर आगे के ब्याज तथा लागत के साथ 31.3.2012 को रु. 122437986.12 (रुपये बारह करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ छियासी तथा पैसे बारह मात्र)	रु. 8.00 करोड़ (रुपये आठ करोड़ मात्र) / रु. 80.00 लाख (रुपये अस्सी लाख मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	6.9.2019 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच
13.	परिसम्पत्ति वसूली शाखा, श्री दिवाकर चौधरी फोनः 9971781144	जिनेन्द्र स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्रा.लि. 26/1, शिवगंगा इंड. इस्टेट, ग्राम लकेश्वरी, भगवानपुर, रुड़की, उत्तरांचल-247661, साथ हीः ए-21, गली नं. 5, नाला रोड, करावल नगर, दिल्ली	श्री संजय पोद्दार सुश्री मीनाक्षी पोद्दार श्रीमती कौशल्या देवी पोद्दार, सभीः ए-14, भूतल, पार्क स्ट्रीट, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उ.प्र.	सम्पत्ति सं. ए-21, गली नं. 5, नाला रोड, करावल नगर, दिल्ली-110094, माप 980 वर्ग यार्ड्स, चौहद्दीः उत्तरः गत्ता फैक्टरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड एवं नाला, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रु. 304060483.43 (रुपये तीस करोड़ चालिस लाख साठ हजार चार सौ तिड़ासी एवं पैसे तैंतालिस मात्र) 30.4.2013 को तथा उस पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा लागत	रु. 3.13 करोड़ (रुपये तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) / रु. 31.30 लाख (रुपये इक्कतीस लाख तीस हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	7.9.2019 (शनिवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच
14.	परिसम्पत्ति वसूली शाखा, श्री दिवाकर चौधरी फोनः 9971781144	विभा ओवरसीज एक्जिम प्रा.लि.*, मकान सं. 29, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015	1. श्री आलोक गुप्ता, 2. श्रीमती विभा गुप्ता, दोनोंः मकान सं. 12/6, गुरुकल इन्द्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, साथ हीः डी-9, महारानी बाग, नई दिल्ली, साथ हीः सी-732, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065, 3. श्री पवन कुमार मकान सं. 12/6, गुरुकल इन्द्रप्रस्थ, अनंगपुर रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, साथ हीः मकान सं. सी-387, गली नं. 7 सी, सुदामा पुरी, गामरी एक्टें., दिल्ली-53	श्रीमती विभा गुप्ता, पत्नी श्री आलोक गुप्ता के नाम में मकान सं. 732, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 (माप 478.3 वर्ग यार्ड्स)	* (डीआरटी-I, दिल्ली में एसए नं. 2017 का 356 लम्बित है।)	भौतिक कब्जा	2.12.2014 को रु. 952869572.72 (रुपये पंचानबे करोड़ अटठाईस लाख उन्हत्तर हजार पाँच सौ बहत्तर एवं पैसे बहत्तर मात्र)	रु. 22.9590 करोड़ (रु. बाईस करोड़ पच्चनाबे लाख नब्बे हजार मात्र) / रु. 2.2959 करोड़ (रु. दो करोड़ उन्नतीस लाख उन्सठ हजार मात्र)	11.9.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व	9.9.2019 (सोमवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच

ई-नीलामी सेवा प्रदाताः मै. 4 क्लोजर वेबसाईट www.bankeauctions.in, हेल्पलाइन नं. 08142000062/ 66 (एम), टेलीः 040-23836405) सम्पर्क व्यक्तिः श्री विकास- 8142000809, ई-मेलः vikas@bankeauctions.in एवं info.bankeauctions.in

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.unionbankofindia.co.in में दी गई लिंक देखें।

**ऊपर वर्णित तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उक्त ऋणधारक/कों तथा गारंटर/रों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर

खबर कोना

इटली में सीरी ए फुटबॉल मैच में लेचे के खिलाफ गोल दागने के बाद इंटर मिलान के एंटोनियो कैंड्रेवा। मिलान ने यह मैच 4-0 से जीता।

अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा कोटला

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने मंगलवार को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया जिनका शनिवार को निधन हो गया था। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसका नया नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा। इसमें एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी रखा जाएगा जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी।

कबड्डी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सितंबर को होने वाले भारतीय अमैच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआइ) के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह अंतरिम आदेश दिया। उन्होंने याचिका पर खेल मंत्रालय और एकेएफआइ से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी एसी थंगावेल की याचिका में एकेएफआइ के सात अगस्त, 16 और 17 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई थी।

नागल ने सेट और दिल जीता, फेडरर ने मैच

यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट

न्यूयार्क, 27 अगस्त (भाषा)।

सुमित नागल ने जज्बा और जुझारूपन दिखाकर ग्रैंडस्लैम में अपने पदार्पण की स्वप्निल शुरुआत करते हुए दिग्गज रोजर फेडरर से पहला सेट जीता लेकिन आखिर में उन्हें यूएस ओपन के पहले दौर के इस मैच में हारकर बाहर होना पड़ा।

भारत में बहुचर्चित इस मैच में झज्जर के 22 साल के नागल ने सोमवार की रात को अपनी प्रतिभा की झलक दिखाने के बाद आर्थर ऐस स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से गंवाया। यह मैच दो घंटे 25 मिनट तक चला। नागल हालांकि दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। वह कुछ आटोग्राफ देकर और तालियों के बीच स्टेडियम से बाहर गए। क्वालीफाइंग के जरिए यूएस ओपन के मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाले नागल को न सिर्फ 58,000 डॉलर की धनराशि मिलेगी बल्कि उन्हें इस मैच से जो अनुभव मिला वह आगे भी उनके काम आएगा। नागल पिछले 20 वर्षों में ग्रैंडस्लैम के पुरुष एकल मुख्य ड्रा में एक सेट जीतने वाले केवल चौथे भारतीय हैं।

- 20 वर्षों में ग्रैंडस्लैम के पुरुष एकल मुख्य ड्रा में एक सेट जीतने वाले चौथे भारतीय बने
- दो घंटे 25 मिनट तक चले मुकाबले में मिली 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से मात

सुमित नागल

इसकी विशेषता यह रही कि यह सेट उन्होंने फेडरर के खिलाफ जीता जिनके नाम पर 20 ग्रैंडस्लैम खिताब दर्ज हैं। पिछले दो दशक में नागल से पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में केवल सोमदेव देवबर्मन, युकी भांबरी और साकेत मयनेनी ही एक सेट जीतने में कामयाब रहे थे।

फेडरर ने कहा, यह मेरे लिए मुश्किल सेट था। उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया और उन्हें श्रेय जाता है। मैं कई गेंद को खेलने से चूक गया और मैं गलतियों में कमी करने पर ध्यान दे रहा था। उम्मीद है कि आगे मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा।

इस भारतीय ने पहला सेट जीतकर दर्शकों को हैरान कर दिया। उन्होंने तीसरे गेम में फेडरर के डबल फाल्ट का फायदा उठाकर ब्रेक प्वाइंट लिया। फेडरर जब एटीपी रैंकिंग में 190वें नंबर के खिलाड़ी को समझने की कोशिश कर रहे थे तब नागल ने अपने रिटर्न और फोरहैंड से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अभी फेडरर और दर्शक कुछ समझ पाते कि नागल ने दूसरी बार उनकी सर्विस तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 0-30 से पिछड़ने के बाद अपनी सर्विस बचाई।

नागल ने अपने करारे शॉट से फेडरर को नेट पर आने का मौका नहीं दिया। इस बीच फेडरर अपनी गलतियों पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फेडरर ने पहले सेट में 19 सहज गलतियां कीं जबकि नागल ने इस बीच केवल नौ ऐसी गलतियां कीं। इसके बाद उम्मीदें बढ़ गई लेकिन फेडरर ने खुद को संभाला और फिर नागल को अपना असली खेल दिखाया। उन्होंने पहले से बेहतर सर्विस करनी शुरू की और नेट पर आकर अंक बनाने शुरू कर दिए। दूसरे सेट में जल्द ही वह 5-0 से आगे हो गए और सातवें गेम में उन्होंने यह सेट जीतकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस बीच नागल ने छह सेट प्वाइंट बचाए और दो बार उनके पास ब्रेक प्वाइंट का मौका भी आया। नागल अब भी चुनौती दे रहे थे लेकिन फेडरर अपने रंग में लौट आए थे। तीसरे और चौथे सेट में भी कहानी वैसे ही आगे बढ़ी। नागल ने कुछ अंक जुटाए लेकिन मुकाबला अब एकतरफा दिखने लगा था।

सेरेना की शारापोवा पर एकतरफा जीत

न्यूयार्क, 27 अगस्त (एएफपी)।

अपने 24वें ग्रैंडस्लैम की कवायद में लगी सेरेना विलियम्स ने सोमवार को यहां मारिया शारापोवा को करारी शिकस्त देकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की जबकि नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर भी आगे बढ़ने में सफल रहे।

सेरना ने शारापोवा को 6-1, 6-1 से हराया। छह बार की यूएस ओपन चैंपियन ने इस जीत के केवल 59 मिनट का समय लिया। यह शारापोवा पर उनकी लगातार 19वीं जीत है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक जो 22 मैच खेले गए हैं उनमें से 20 सेरेना ने जीते हैं। शारापोवा के खिलाफ पांच ऐस और 16 विनर लगाने वाली सेरेना का अगला मुकाबला विश्व में 121वें नंबर की कैटी मैकनैली से होगा। पुरुष वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त स्विस खिलाड़ी फेडरर ने भारत के सुमित नागल के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने आसान जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई।

जांगड़ा की हैट्रिक से भारत ने श्रीलंका को 5-0 से रौंदा

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 27 अगस्त (भाषा)।

हिमांशु जांगड़ा की हैट्रिक से भारत ने यहां मंगलवार को सैफ अंडर-15 फुटबॉल टूर्नामेंट में श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त दी। भारतीय टीम के लिए जांगड़ा के अलावा महेसन सिंह और शुभो पाल ने गोल किया। भारतीय टीम गुरुवार को अपना आखिरी ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी।

इस मैच के लिए कोच बिबियानो फर्नांडिस ने दो बदलाव किए थे जिसमें श्रीदार्थ की जगह जांगड़ा और शिवाजीत सिंह की जगह सात्विक शर्मा को मैदान पर उतारा गया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत में ही आक्रामक खेल का सहारा लिया। मिडफील्डर मेहसन ने जांगड़ा के लिए मौका बनाया जिसे उन्होंने गोल में बदल कर टीम को पहली सफलता दिलाई।

मेहसन ने इसके बाद गोल कर बढ़त को दोगुना कर दिया और फिर जांगड़ा ने अपने दूसरे गोल से भारत को 3-0 से आगे कर दिया। पाल ने मध्यांतर से पहले इंजुरी टाइम में टीम के लिए चौथा गोल दागा। जांगड़ा ने दूसर हाफ में अपनी हैट्रिक पूरी की।

रैंकिंग में बुमराह पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे

दुबई, 27 अगस्त (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पर छह अंक की बढ़त के साथ बल्लेबाजों की नवीनतम टैस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं तो वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली बार शीर्ष 10 में जगह पाने में सफल हुए।

रैंकिंग में हालांकि सबसे ज्यादा फायदा आस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज श्रृंखला के तीसरे टैस्ट में शानदार खेल दिखाने वाले बेन स्टोक्स को हुआ है जिन्होंने हरफनमौला और बल्लेबाजों की रैंकिंग में करिअर का सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। हरफनमौला खिलाड़ियों की रैंकिंग वह दूसरे जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में वह 13वें पायदान पर हैं। बल्लेबाजों में शीर्ष पर काबिज कोहली के नाम 910 रेटिंग अंक हैं जबकि दूसरे स्थान पर काबिज स्मिथ के 904 रेटिंग अंक हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और चेतेश्वर पुजारा क्रम से तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टैस्ट में 81 और 102 रन की बदौलतअजिंक्य रहाणे रैंकिग में 10 स्थानों के सुधार के साथ 11वें पायदान पर पहुंच गए। बुमराह नौ स्थानों के सुधार के साथ सातवें स्थान पर आ गए हैं।

आइसीसी टैस्ट रैंकिंग 910 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर बराकरार कोहली

बेन स्टोक्स को एशेज श्रृंखला के तीसरे टैस्ट में शतक जड़ने पर हुआ सबसे ज्यादा फायदा

प्रधानमंत्री ने कहा, सिंधू भारत का गौरव

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

विश्व चैंपियन का ताज पहनकर मंगलवार को यहां लौटी पीवी सिंधू का जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की हालांकि इस धुरंधर बैडमिंटन खिलाड़ी ने कहा कि अभी तक उन पर जीत का खुमार चढ़ा नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर पेज पर तस्वीरें साझा करते हुए सिंधू को 'भारत का गौरव' बताया।

ओलंपिक 2016 रजत पदक विजेता सिंधू ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को स्विटजरलैंड के बासेल में हुए फाइनल में 21-7, 21-7 से हराया। वह सोमवार की रात राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के साथ भारत लौटी ओर हवाई अड्डे पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हवाई अड्डे से बाहर आते ही मीडिया ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। इस पर सिंधू ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश पर गर्व है। इस जीत का काफी समय से इंतजार था और मैं बहुत ही खुश हूं। इसके कुछ देर बाद सिंधू ने खेलमंत्री कीरेन रिजिजू के साथ नाश्ता किया और बाद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दूसरी ओर रिजिजू ने उन्हें 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया। सिंधू ने कहा, अभी जीत का खुमार चढ़ा नहीं है। मुझे जश्न मनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि अगले ही दिन भारत के लिए उड़ान लेनी थी। हैदराबाद की यह खिलाड़ी दोपहर को अपने शहर रवाना हो गई। एक साल बाद होने वाले ओलंपिक में उसने काफी अपेक्षाएं होंगी, इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, मैं और मेहनत करूंगी और अधिक पदक जीतूंगी। उनसे बासेल में पदक वितरण समारोह के दौरान भावुक होने के बारे में भी सवाल पूछे गए। जब बासेल में राष्ट्रगीत बज रहा था तो सिंधू की आंखें भर आई थीं। वह पहले विश्व चैंपियनशिप में दो रजत और दो कांस्य जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा, मैं रो पड़ी थी क्योंकि जज्बात का सैलाब उमड़ रहा था। मेरे लिए वह बहुत बड़ा पल था। मेरे सारे प्रशंसकों को आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। उसी की बदौलत मैं यहां पहुंची हूं। मैं अपने कोच गोपी सर और किम (जि ह्यून) को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने काफी मेहनत की और मेरे खेल में कुछ बदलाव किए।

विश्व चैंपियन स्वदेश लौटीं, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

खेलमंत्री रिजिजू ने 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया

पांच बार के पैरालंपियन ने दी अर्जुन पुरस्कार लौटाने की धमकी

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

भारतीय खेल प्राधिकरण पर खराब बर्ताव का आरोप लगाते हुए पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और कोच नरेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को विरोधस्वरूप अर्जुन पुरस्कार लौटाने की धमकी दी।

साइ पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, खेलमंत्री को लिखा पत्र

खेलमंत्री कीरेन रिजिजू को लिखे पत्र में शर्मा ने कहा कि उन्होंने जब एक प्रशिक्षु को कहा कि साइ के नियमों के तहत रेंज पर निजी कोच नहीं आ सकता तो उनके खिलाफ उसने यौन उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। उन्होंने पत्र में लिखा, भारी मन से मैंने अर्जुन पुरस्कार और 50000 रुपए का चेक लौटाने का फैसला किया है क्योंकि पिछले तीन महीने में भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शर्मा पैरा निशानेबाज हैं जिन्हें 1997 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। उन्होंने कहा, मैंने पांच पैरालंपिक खेल, चार पैरा एशियाई खेल, विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन पिछले तीन महीने में साइ ने मेरे साथ अपराधी की तरह बर्ताव किया। मेरे खिलाफ एक प्रशिक्षु ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए क्योंकि मैंने उससे कहा कि रेंज पर निजी कोच को नहीं ला सकते।

साइ की तत्कालीन महानिदेशक नीलम कपूर ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत जांच शुरू कराई थी लेकिन शर्मा ने कहा कि वह तीन महीने से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। शर्मा ने कहा, साइ ने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरी नौकरी चली गई और मैं अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। मैं छठा पैरालम्पिक नहीं खेल सका। मेरा व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है।

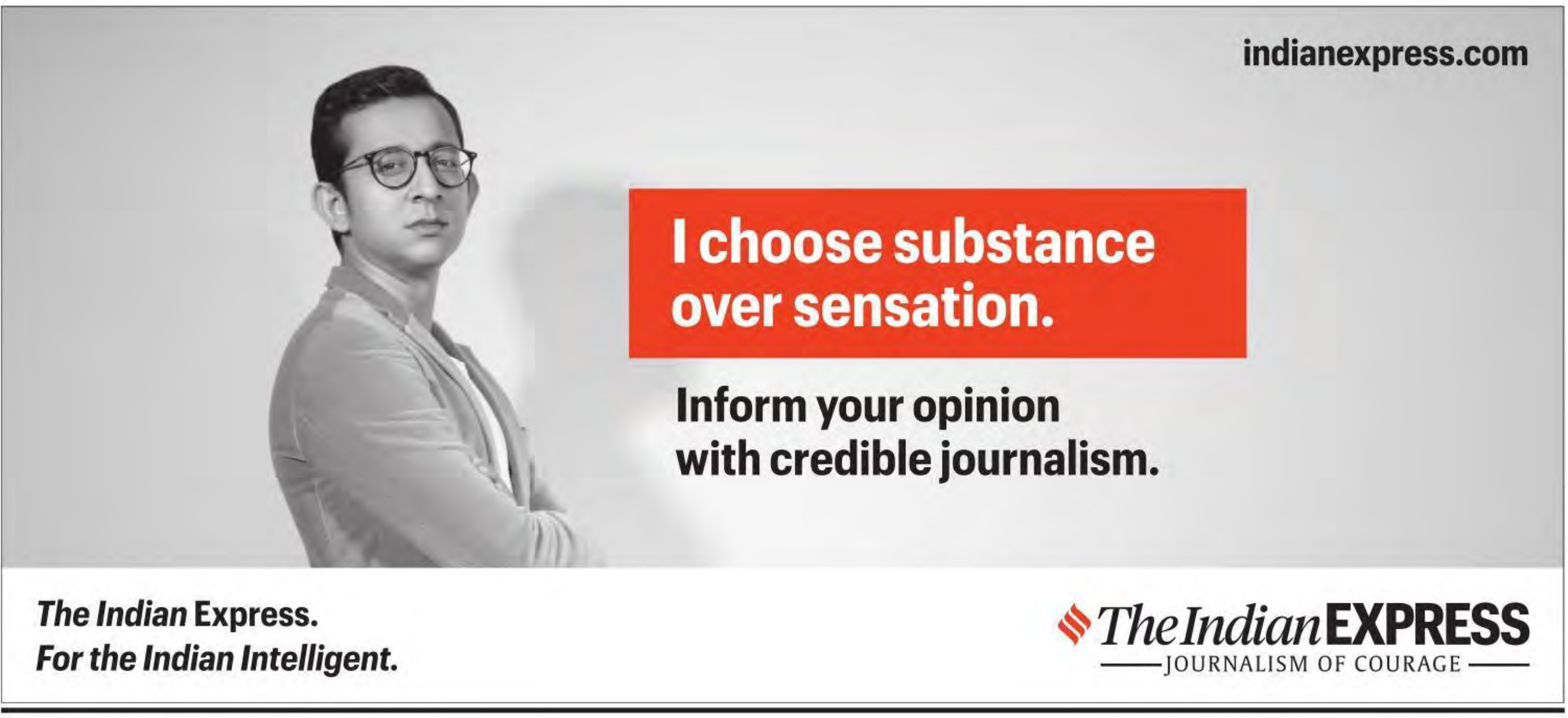

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 283, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।